खण्ड-334, अंक-5
सोमवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(28 अगस्त, 1978 ई0)

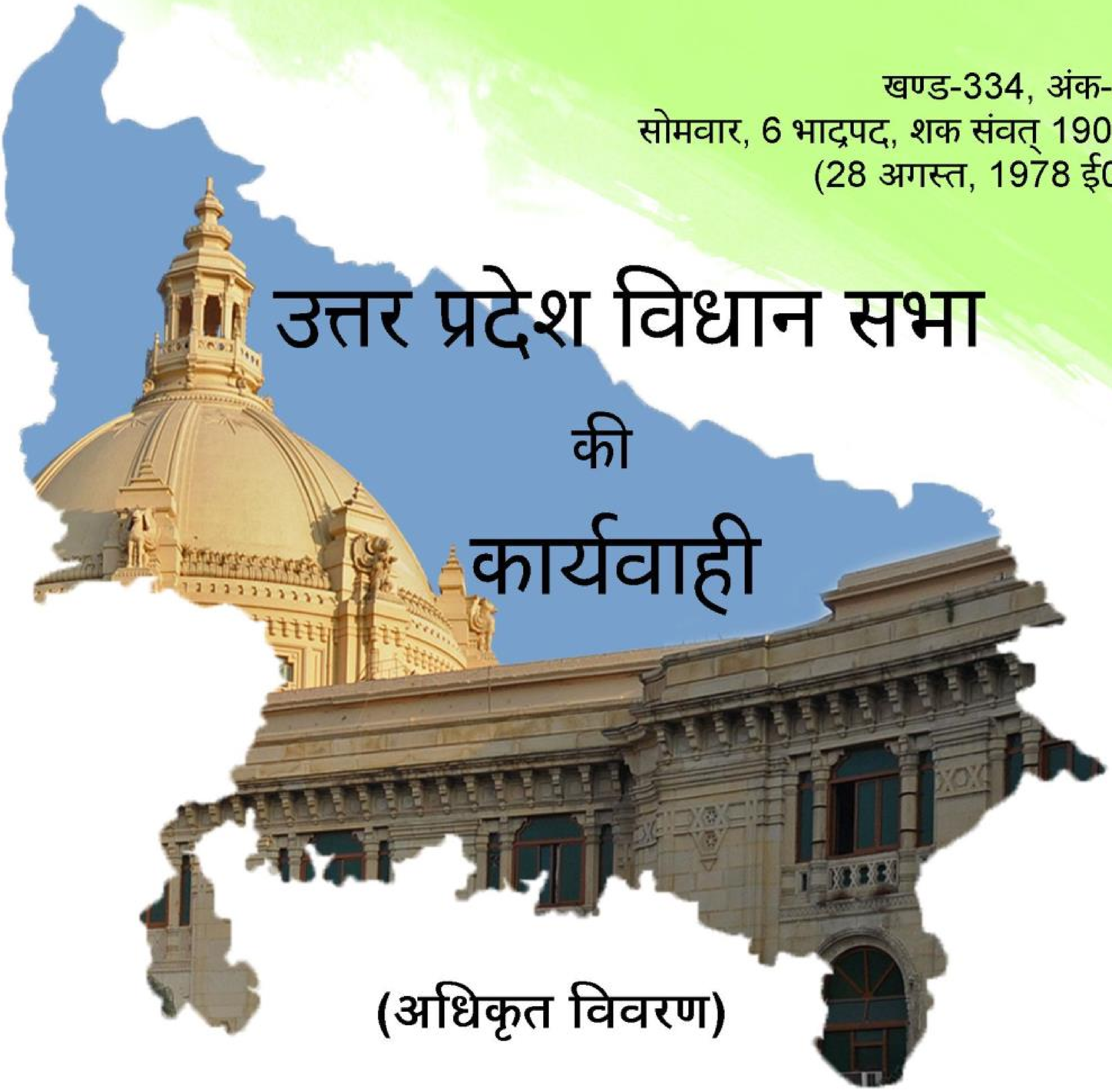

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६०५-६०८
प्रश्नोत्तर	६०९-६५२
भूतपूर्व सदस्य, श्री श्यामा चरण बाजपेयी के निधन पर शोकोद्गार	६५२-६५३
आज की कार्य सूची के नत्थी (ग) के प्रश्न संख्या-२ का उत्तर अधिक लम्बा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	६५४-६५५
जौनपुर में साहू कोल्ड स्टोरेज में श्री यादवेन्द्र यादव की रहस्यमय मृत्यु को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६५५
जनपद नैनीताल में भारी वर्षा तथा भू-स्खलन से क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६५५-६५६
फैजाबाद के औद्योगिक प्रतिष्ठान यू० पी० रुफीन की तालाबन्दी के फलस्वरूप कर्मचारियों द्वारा आमरण अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६५६
चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी मिर्जापुर के एक कर्मचारी की पत्नी तथा बच्चों के अपहरण के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६५७
सेकसरिया शुगर मिल जिला गोंडा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के फलस्वरूप चल रही हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६५७-६५८
सीतापुर तथा अन्य जिलों में सरकारी वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही किय जाने तथा किसानों को बकाया गन्ना मूल्य न दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६५८
साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' में प्रकाशित आपत्तिजनक वाक्यों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६५९-६६७
देवरिया तथा गोरखपुर जनपद में घाघरा व राप्ती के संगम पर पवहरिया ग्राम में भीषण कटाव से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	६६७
आगरा मण्डल की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से व्याप्त चिन्ता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६६७-६६८
आर्यनगर, लखनऊ की एक १५ वर्षीय लड़की के लापता होने से कालेज जाने वाली छात्राओं में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	६६८-६६९
स्वतंत्र भारत में प्रकाशित शीर्षक "हसीना की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच खींचतान" के सम्बन्ध में नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न	६६९-६७०

विषय	पृष्ठ संख्या।
'आपातकाल में निरुद्ध 'राजनैतिक बंदियों को सुविधाएं' नामक पुस्तिका में कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की राजाज्ञाओं को शामिल करके सदस्यों को वितरित करने के श्री अध्यक्ष के निर्देश शासन द्वारा अवहेलना किये जाने पर आपत्ति.. ..	६७०–६७१
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	६७१
उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष नियमावली, १९७७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	६७२
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८	६७२
उत्तर प्रदेश मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, १९७८	६७२
फैजाबाद सर्किट हाऊस में एक व्यक्ति की बिजली से हुयी मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	६७२–६७४
श्री राज बहादुर यादव, विधायक, जौनपुर की मिर्जापुर के जिला अस्पताल में इन्जेक्शन लगने के कारण हुयी मृत्यु के संबंध में वक्तव्य	६७४–६८१
प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम के पुत्र श्री सुरेश कुमार के अपहरण तथा मोदी नगर के एक गांव में निरुद्धकिये जाने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	६८२–६८८
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	६८८–६९८
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	६९८–७०७
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ (जारी) ..	७०७–७२६
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	७२६
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ (पारित) ..	७२७–७२९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	७२९
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार श्री ओम पाल सिंह पर बरेली सिविल लाइन्स स्थित रेस्टोरेन्ट में फायर करने तथा छात्रों द्वारा रजिस्ट्रार व कुलपति से जबरन इस्तीफा लिखवाये जाने के सम्बन्ध नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७२९–७३२
१९७८–७९ के प्रथम अनुपूरक अनुदान तथा १९७२–७३ के बढ़ती व्यय के अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	७३२–७३३
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	७३४–७४०
नस्थियां	७४१–७५१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २८१

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिक खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयशंकर पांडेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्धराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री

मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पांडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर

सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २८ अगस्त, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई आरम्भ किये जाने संबंधी आदेश

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी सत्र में चीनी मिल पिराई का कार्य कब से प्रारम्भ करें, इस बारे में शासन से कोई निर्देश निर्गत किए गए हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? वर्तमान सत्र में गन्ना काश्तकारों का जो गन्ना खेतों में खड़ा रह गया उसकी पिराई के लिए सरकार क्या कोई विशेष योजना आगामी सत्र के लिए बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

प्रदेश के समस्त चीनी मिलों के अध्यासियों को माह अक्तूबर, १९७८ के अन्त में गन्ना पेराई करने में सक्षम होने के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं । सीजन १९७७-७८ में अवशेष गन्ने के सर्वेक्षण हेतु आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं तथा उसे आगामी सीजन १९७८-७९ में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति कराने की व्यवस्था कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और क्या उसके बाद काश्तकार का जितना भी गन्ना शेष रह जायेगा वह सब किस आधार पर पेरा जायेगा, पर्चियां देने का क्या आधार होगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

२६ जुलाई को आदेश दे दिये गये हैं कि इसका सर्वेक्षण किया जाये । जल्दी से जल्दी इसको पूरा कराया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अगर काश्तकार का १०० मन गन्ना शेष बचा है तो क्या वह सारा गन्ना पिरवा दिया जायेगा या कोई और आधार बनाया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जो भी गन्ना सुरक्षित क्षेत्र में रह जायेगा वह सभी पिरवाया जायेगा, सभी की व्यवस्था हम कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो क्या यह आश्वासन आपका समझ लिया जाये कि काश्तकार का जितना भी गन्ना खेतों पर खड़ा है वह सब पिरवा दिया जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मैंने निवेदन किया कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में जितना भी गन्ना शेष रह गया है, उसकी पिराई अगले सीजन में प्राथमिकता के आधार पर कराने की व्यवस्था हम कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आगामी सत्र से चीनी मिलों के सामने पिराई का काम शुरू करने में कई कठिनाइयां हैं--एक तो यह कि इन मिलों को बैंक से रुपया नहीं मिल रहा है और शासन से भी रुपया नहीं मिल रहा है, दूसरी कठिनाई यह है कि इनके मिलों में शीरा भरा पड़ा है, वह नहीं उठ रहा है और तीसरी कठिनाई यह है कि एक्साइज के संबंध में नई परचेज टैक्स की नीति तथा गन्ने के दामों की घोषणा समय से नहीं की जाती। इन कठिनाइयों के कारण चीनी मिलें समय से नहीं चल पातीं, तो क्या सरकार का ध्यान इन कठिनाइयों की ओर गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

कैश क्रेडिट के लिये आर० बी० आई० से बात कर रहे हैं। उनकी कठिनाइयों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है और हमारा प्रयास होगा कि सारी चीनी मिलें समय से चालू हो सकें। शीरे के संबंध में भी हम बात कर रहे हैं....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

उनका मुख्य प्रश्न यह है कि फाइनेन्स के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, इस संबंध में मैंने निवेदन किया कि जहां तक वित्तीय सहायता की बात है, दो ही तरीके हो सकते हैं, एक तो जो हमारा फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन है, आर० बी० आई० के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरा यह है कि जो इससे भी कमी पड़ेगी, तो सरकार विचार कर रही है कि हम अपनी तरफ से सहायता दें ताकि मिल चल सकें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

कारपोरेशन और कोआपरेटिव फैक्ट्रीज की तो सीधी जिम्मेदारी आपकी है, उसमें आप क्या कर रहे हैं ?

श्री विजय राज सिंह--

मेरे सवाल का उत्तर ही नहीं मिला मान्यवर, तिवारी जी को तो आपने इजाजत दे दी।

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जो आपका रिजर्वेशन है, उससे कैश लिमिट बढ़ाई जाय....

श्री अध्यक्ष--

आप फेडरेशन और कोआपरेटिव के बारे में बतावें ।

श्री शिव मंगल सिंह--

उनके बारे में विचार हो रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मिलों की जो क्षमता है, उस क्षमता से कम क्षमता पर गन्ने की पेराई होती रही, जिससे गन्ने की पूरी पेराई नहीं हो सकी । क्या ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करने की कृपा करेंगे जो मिलों की क्षमता है, उस क्षमता पर पेराई हो ?

श्री शिव मंगल सिंह--

हमारी चीनी मिलों की आज जो स्थिति है, उसमें उनकी क्षमता घटी है और इसीलिए उन्हें बीमार चीनी मिलों की संज्ञा दी गयी है । उसके लिए केन्द्रीय सरकार से बातचीत चल रही है ताकि इस समय जो क्षमता है, उसमें कम होने की तो कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित : मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वर्ष गन्ने की दुर्दशा को देखते हुए चीनी का अधिकतम उत्पादन न हो, इसके लिये क्या शासन ने कोई निर्णय लिया है कि कोई ऐसा उपाय ढूढ़ें ताकि एक सीमा से बाहर ज्यादा गन्ना न बोया जाय ?

श्री शिव मंगल सिंह--

इस प्रकार की कोई बात तो अभी तक नहीं की गई है । हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो पेराई हमको करनी पड़ेगी, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि अगले वर्ष जो गन्ना आये उसकी हम पेराई कर सकें ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

जिन किसानों का गन्ना इस वक्त रह गया है पेरने से, अगले वर्ष उनको पेरने के लिए प्राथमिकता दी जायेगी ? जो गन्ना खड़ा रह गया है, अगर इस वर्ष पेराई उसकी हो गयी होती और अगले वर्ष भी पेराई होती, तो उसको दुगना लाभ होता ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जो सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना है उसकी तो हम व्यवस्था कर ही रहे हैं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया था जो गन्ना इस साल पेरने से रह गया है, अगर अगले वर्ष वह ले लिया जाता तो दुगना फायदा होता, तो किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि अगले वर्ष प्राथमिकता के आधार पर गन्ना पेरा जायगा। छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। तो पिछले वर्ष जो गन्ना रह गया है, उस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता का आधार क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, जो चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना रह जायगा उसमें छोटे और बड़े का कोई सवाल नहीं है, वह पेरा जायगा।

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि कोई अवधि निश्चित करेंगे पेराई के लिये, एक महीने की या दो महीने की ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो कि प्राथमिकता के आधार पर जो सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना है, उसको पेरा जायगा।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत अहम है इस पर अलग से चर्चा का समय देने की कृपा करें।

(शोर) (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं, यह तरीका गलत है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, यह सब से बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, नियम ४९ में आधे घंटे की चर्चा के लिये समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, समय नष्ट न करें।

आलू के निर्यात किये जाने की व्यवस्था की मांग

**२—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में आलू की रिकार्ड पैदावार होने के कारण तथा आलू निर्यात बन्द होने के कारण बाजार में आलू के दाम गत वर्ष की तुलना में बहुत गिरते जा रहे हैं, जिससे आलू उत्पादकों में बेचैनी पैदा हो रही है ? यदि हां, तो क्या आलू के निर्यात खुलवाने हेतु प्रयास करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

इस वर्ष प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है एवं गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आलू का बाजार भाव कम है परन्तु भाव अभी इतने कम नहीं है कि आलू उत्पादकों को किसी प्रकार की हानि की सम्भावना हो ।

आलू निर्यात हेतु भारत सरकार से अनुरोध के फलस्वरूप कृषि सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है । निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय भारत सरकार ही लेंगी जो इस प्रदेश पर भी लागू होंगे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

बहराइच जिले के खण्ड विकास अधिकारी, मिहीपुरवा के विरुद्ध श्री विशुन दयाल, विधायक का अनशन

*१—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह ज्ञात है कि जिलाधीश, बहराइच के बंगले के सामने श्री विशुन दयाल, विधायक इकौना अपने इकावन साथियों के साथ १ जुलाई, १९७८ से बी० डी० ओ०, मिही पुरवा द्वारा ढाई लाख रुपये के गबन एवं स्थानान्तरण के स्थगन के विरुद्ध जांच व कार्यवाही आदि के मामलों को लेकर आमरण अनशन पर हैं और अनशनकारियों की हालत गम्भीर है ? यदि हां, तो अब तक की गई कार्यवाहियों का पूर्ण विवरण क्या-क्या है और जांच में कौन-कौन किन-किन मामलों में दोषी पाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी हां ।

श्री विशुन दयाल जी, विधायक कुछ साथियों के साथ १ जुलाई, १९७८ से ७ जुलाई, १९७८ तक अनशन पर रहे । अनशन ७ जुलाई, १९७८ के सायंकाल समाप्त हो गया ।

खण्ड विकास अधिकारी, मिहीपुरवा के विरुद्ध शिकायतों की जांच की गई तथा जांच के आधार पर आरोप-पत्र बनाकर उन पर तामील कराने हेतु भेज दिया गया है । उन्हें निलम्बित भी कर दिया गया है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री विशुन दयाल जी, विधायक ने कौन-कौन सी मुख्य मांगों को लेकर आमरण आनशन किया था और उन मांगों की जांच करायी गयी और कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, जो आरोप लगाये गये थे, उनमें ५ प्रमुख थे। बी० डी० ओ० मिंही पुरवा, जो भ्रष्टाचार का जीता जागता स्वरूप है। ग्राम समाज के पेड़ों की कटान, परमिट का विषय, सीमेन्ट परमिट का विषय अथवा कुयें की योजना हेतु आयी रकम का गबन का विषय।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने केवल एक मांग बतायी। मांगें अनेक हैं, तथ्यों को छिपाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि डिफेंस की पालिसी को बदलें और जो मांगें रखी गयी थीं, वह मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और कौन से तथ्य जांच से सामने आये ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं पढ़ दूं। पहली मांग है विमुक्त जन-जाति शोषण कांड मंझाव का 'हीरो' एवं सार्वजनिक तथा सरकारी संपत्ति का गबनकर्ता एवं विनाशक, कुख्यात भूतपूर्व ए०डी०ओ० हरिजन, जो अपने राजकीय उक्त पद से १९६४ में हटा, परन्तु आज तक चार्ज नहीं दिया, अफसरशाही विगत १५ वर्षों से उसकी ढोल बनी हुई है। इस व्यक्ति के विरुद्ध तब से आज तक दर्जनों विभिन्न स्तर के अधिकारी जांच कर चुके हैं और दोषी पा चुके हैं परन्तु जांच रपट व तत्सम्बन्धी कार्यवाही शासन पेट में डकार गयी है।

दूसरा प्रयागपुर बीज गोदाम का प्रभारी श्री कमलेश शाही, बार-बार गबन एवं अनियमितताओं की सूचना देने पर सुरक्षित रहा। काफी समय दे कर जांच का नाटक किया गया और गबन में पाई गयी धनराशि को चुपचाप जमा करा लिया गया। उस पर भी विडम्बना यह कि गत होली के आसपास स्थानान्तरण होने के बावजूद उक्त शाही, ब्लाक से एक कदम इधर उधर न खसका।

तीसरा बी० डी० ओ०, मिंहीपुरवा जो भ्रष्टाचार का ही जीता जागता स्वरूप है ग्राम समाज के पेड़ों की कटान, परमिट का विषय ....।

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में बतायें मुख्य-मुख्य मांगों के बारे में।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मिंहीपुरवा के बारे में जो आरोप है, उनको स्पष्ट कर दें।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने पहले संक्षेप में ही बताया था और फिर बता रहा हूं कि बी० डी० ओ०, मिंहीपुरवा के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिसमें पेड़ों के अनियमित कटान के सम्बन्ध में मुख्य शिकायतें थीं। इसके अलावा भ्रष्टाचार की भी उनके विरुद्ध शिकायतें थीं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज मिहीपुरवा में करीब ढाई लाख रुपये के पेड़ थे, सरहद नापी गयी, तो वह जमीन ग्राम समाज की निकली लेकिन बी० डी० ओ० और प्रधान ने मिलकर उसका नीलाम ५ हजार रुपये में करा दिया, जो कि ढाई लाख रुपये का था ? क्या यह भी बी० डी० ओ० के विरुद्ध आरोप हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, जांच करायी जा रही है । यह भी हो सकता है ।

(श्री कमला प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

शिकायतों के आधार पर बी० डी० ओ० को निलम्बित कर दिया गया है । जो आपने प्रश्न किया उसमें उन्होंने कहा कि यह भी जांच में हो सकता है । निश्चयात्मक सूचना उनके पास नहीं है ।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

क्या बी०डी०ओ० पर आरोप पाये गए, तो केवल उन्हें निलम्बित ही किया गया है या जेल भी भेजा गया है ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो इसका दे दिया है कि निलम्बित किया गया है ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बी०डी०ओ० के विषय में विधायक का कब शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है और आमरण अनशन पर जाने के बाद ही कार्यवाही की गई है या उसके पहले भी कोई कार्यवाही किया है ?

श्री जमुना प्रसाद--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में ए० डी० एम०, प्लानिंग से रिपोर्ट मांगी गई है ।

[दिनांक २८ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरदोई जिले के विकास खंड, माधोगंज व मल्लावां के कतिपय सम्पर्क मार्गों और पुलियों का निर्माण

*१--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जिले के माधोगंज तथा मल्लावां ब्लाकों में जिन सम्पर्क मार्गों का निर्माण होना था वह पूरे कर दिए गए तथा उनके पूरे होने की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है, कि माधोगंज कृषि उत्पादन मन्डी की ओर से सम्पर्क मार्गों पर पुलियों के निर्माण हेतु एक लाख रुपया ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, राय बरेली के अभियन्ता को दिए जा चुके हैं ? यदि हां, तो पुलियों के निर्माण की दिशा में अब

तक क्या कदम उठाए गए हैं ? तथा बरसात के दौरान पुलियों के अभाव में सम्पर्क मार्गों के कारण पानी भराव से जो तबाही पैदा होगी उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

जिला हरदोई के माधोगंज तथा मल्लावां ब्लाकों में निर्माण किये जाने वाले सम्पर्क मार्गों में से राधेपुर से गरहा तथा माधोगंज से सेलापूर के मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष दो मार्गों पर निर्माण कार्य अभी जारी है ।

जी हां, जनपद हरदोई के माधोगंज तथा मल्लावां ब्लाकों के सम्पर्क मार्गों पर १२ पुलियों का निर्माण किया जाना था, जिसमें से ४ पुलियों का निर्माण किया जा चुका है । एक पुलिया का ५० प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है । शेष ७ पुलियों के निर्माण हेतु सामग्री एकत्रित करके कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है । पुलियों के निर्माण से पानी भराव की समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

१२ पुलियों की व्यवस्था की बात कही गई और यह बतलाया गया कि ४ पुलियों का निर्माण हो चुका है, १ पुलिया ५० प्रतिशत बन चुकी है और ७ का सामान पड़ा हुआ है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी पुलिया नहीं बनी है और एक जगह थोड़ा सा सामान पड़ा है, तो क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करायेंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है यदि वह गलत है जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या मंत्री महोदय किसी उच्चाधिकारी को लखनऊ से भेज कर जांच कराने की कृपा करेंगे और यह भी आदेश देंगे कि जांच के समय वे श्री राम आसरे वर्मा को साथ ले जायें ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

यदि माननीय सदस्य को बहुत तकलीफ है तो मैं यहां से उच्चाधिकारी भेज दूंगा ।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

जो सड़कें प्रदेश में बन रही हैं वह पिछले साल टेकअप नहीं हुई, तो इस साल किस महीने तक उनको पूरा कराने का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष--

केवल हरदोई तक इसका उत्तर सीमित रखें ।

श्री धीरेन्द्र सहाय--

हरदोई की पोजीशन यह है कि लगभग दो सड़कें रह गई हैं, जो थोड़ी सी बनने को रह गई है । एक तो रुपय्या--रसूलपुर--माधोगंज सड़क है, जो २·६०

किलोमीटर बननी थी और २ किलोमीटर बन गई है। एक नया गांव गंज जलालाबाद है। यह ३ कि० मी० बननी थी और २.२५ कि० मी० बन गई है। शीघ्र ही यह पूरी हो जायेगी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सम्पर्क मार्गों पर डामर पड़ गया कि नहीं और इनकी देखरेख का काम किस विभाग द्वारा करा रहे हैं ? क्या पी० डब्लू० डी० करेगा या आपका विभाग करेगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, यह जो डामर की बात माननीय सदस्य ने कही ऐसा कुछ योजना में था नहीं। खाद्यान्न योजना के अंतर्गत मिट्टी डालना था।

श्री अध्यक्ष--

रखरखाव का माध्यम क्या है ? पी०डब्लू०डी० या आप का विभाग 'मिट्टी का कार्य किस के द्वारा होगा' ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

रूरल इंजीनियरिंग भी और पी० डब्लू० डी०।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें इस जिले में या पूरे प्रदेश में बनी हुई हैं, उनको पूरा कराने का काम भी शासन के विचाराधीन है ? जहां काम कराने का मामला है, उसमें पी०डब्लू०डी० और आर०आई० के० जे०ई० आ जाते हैं, नतीजा यह होता है····

श्री अध्यक्ष--

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या इन सड़कों को पक्का करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? दूसरा, क्या किसी एक निश्चित विभाग को निर्माण कार्य देंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, उनको पक्का कराने की योजना है। हम लोग सोच रहे हैं कि खरंजे का काम किया जाय और आशा है शीघ्र यह काम ले लेंगे।

हरदोई जिले के विकास खण्ड माधोगंज, मल्लावां तथा बिलग्राम में किये गए विकास कार्यों का विवरण

*२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के माधोगंज, मल्लावां एवं बिलग्राम ब्लाकों में १ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक किन-किन ग्राम सभाओं का विकास कार्यों की किन-किन मदों में, कितना-कितना रुपया

दिया गया तथा जिन विकास कार्यों के लिए रुपया दिया गया वे कार्य अब तक पूरे हो पाए हैं अथवा नहीं ? यदि पूरे नहीं हो पाए हों तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, आप को उत्तर पढ़ने में मैं समझता हूं कि आधा घंटा लगेगा। यह ६ पृष्ठों का उत्तर है। आप कृपया उत्तर संक्षेप में दीजिए और मैं समझता हूं कि यदि प्रश्न कर्ता को आपत्ति न हो तो इसे पढ़ा मान लिया जाय ?

श्री राम आसरे वर्मा--

पढ़ा हुआ मान लिया जाये। लेकिन मैं दो सप्लीमेन्टरी पूछना चाहूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

व्यवस्था का प्रश्न है। जो लिखा हुआ उत्तर मंत्री जी देते हैं चाहे वह कितना ही लम्बा हो पढ़ना चाहिये। आपको इजाजत हो, यह दूसरी बात है। स्वयं उन्हें सोचना चाहिए था और इसे शेड्यूल में दे देते और उत्तर में कह देते नत्थी मे दिया है। यह उनकी असफलता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसी लिए सदन की इजाजत चाही अगर सदन चाहे तो पढ़ा माना जाय। लेकिन यदि आप चाहते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। यदि मंत्री जी संक्षेप कर सकें तो अच्छा है ६ सफे का है, इसको संक्षेप में एक पेज में बता दें, तो अच्छा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

अगर संक्षेप करना होता तो पहले ही कर देते।

श्री अध्यक्ष--

मैं पढ़वाये देता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

पढ़ा माना जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

पढ़ा मान लें।

श्री अध्यक्ष--

अगर एक भी सदस्य आपत्ति करेंगा तो उत्तर पढ़ कर सुनाया जायेगा।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)-

मान्यवर, जब बड़ा प्रश्न है, तो जवाब भी बड़ा होगा। बड़े प्रश्न का जवाब बड़ा होता है। इसीलिए उनको मान्यवर, पढ़ने की इजाजत दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, ऐसा हो सकता है कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर दें और माननीय मंत्री जी से कहें कि वह किसी की सहायता लेकर दूसरे दिन संक्षिप्त उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष—

जब एक भी माननीय सदस्य ऐतराज कर देंगे तो वह पढ़कर सुनाया जायेगा। माननीय मंत्री जी कृपया उसको पढ़कर सुनायें।

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था, उसमें उन्होंने ७ तरह की बातें पूछीं हैं। इसलिए जवाब लम्बा हो गया है। मैं उसे, आप के आदेशानुसार, पढ़कर सुना रहा हूं।

१ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक हरदोई जनपद में विकास खन्ड माधोगंज में ग्राम सभा ऊंचा गांव को विकास कर की मद से १,००० रुपया खड़न्जा निर्माण हेतु मिला, जिसमें उक्त खड़न्जा निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा ग्राम सभा, सरफुद्दीनपुर, फिरोजपुर, शाहपुर बमुदेव, शेखनपुर, नोमलिकपुर, बढ़नपुर भत्ते, गढ़ी रसूलपुर, शौलापुर, बड़नवा तथा दौलतीयारपुर को क्रमश, १५,०००, २,०००, २,०००, २,०००, २,०००, ४,१६८·०७, २,०००, ३,०००, २,५०० तथा ६,४१९ रुपया खड़न्जा निर्माण हेतु स्वालम्बन अनुदान से दिये गए, जिससे शाहपुर, बमुदेव को छोड़कर सभी निर्माण पूर्ण हुए। शाहपुर बमुदेव में अपूर्ण निर्माण का कारण पंचायत राज ऐक्ट की धारा ९५ (छ) के अन्तर्गत परगनाधिकारी, बिलग्राम द्वारा दी गई नोटिस है। उक्त विकास खंड की ग्राम सभा गौरा को ४,००० रुपये विकास कर की मद से तथा २,००० रुपये स्वावलम्बन अनुदान की मद से (६,००० रुपया मात्र) पंचायत घर निर्माण हेतु दिया गया, जिससे उक्त निर्माण पूर्ण हुआ तथा ग्राम सभा बाबटमऊ, बलेहरा, कमालनगर, नेवादा तथा करवा को क्रमशः ६,०००, ४,०००, ३,५०० तथा ३,००० रुपया स्वावलम्बन अनुदान मद से दिया गया, जिससे उक्त पंचायत घरों का निर्माण पूर्ण हुआ तथा ग्राम सभा मुकलापुर भगत, देढ़िया परहस, शहाबदा, सम्धेरिया—खन्डनपूर, होरापुर तथा रुइया को पुलिया निर्माण हेतु क्रमशः ३,०००, १,५००, २,०००, ३,०००, ५००, तथा ३,००० स्वावलम्बन सहायक अनुदान मद से दिया गया, जिससे देढ़िया परहस की ग्राम सभा में पुलिया निर्माण स्थानीय विवाद ग्रस्त होने के कारण अपूर्ण है, तथा शेष ग्राम सभाओं में पुलिया निर्माण पूर्ण हो गया है, तथा ग्राम सभा राधोपुर में कूप निर्माण हेतु १,००० रुपये विकास कर मद से दिया गया, जिससे कार्य पूर्ण हुआ। ग्राम सभा मटियामऊ, बढ़नवा, स्योर्ड सजगांपुर प्रत्येक को २,५०० रुपया कूप निर्माण हेतु अन्य मद से दिया गया, जिससे उक्त कूप पूर्ण हुए तथा ग्राम सभा देढ़िया परहस, रहीमपुर लोनारी, हरपुरा, पन्योरा, बिकुनौसरैया तथा सेउदई नेवादा तथा गक्ष्मी को कूप निर्माण हेतु स्वावलम्बन सहायक मद से क्रमशः १,२००, १,०००, १,८१२.९३, २,०००, २,००० तथा १,००० रुपये दिए गए, जिससे कार्य पूर्ण हुआ, ग्राम सभा नेवलो सरैया को स्वावलम्बन सहायक मद से कूप निर्माण हेतु २,५०० रुपया दिया गया था, परन्तु निर्माण अपूर्ण रहा, जिसके लिए दोषी ग्राम सेवक को निलम्बित कर दिया गया है तथा ग्राम सभा रहीमपुर लोनारी को नाली निर्माण हेतु स्वावलम्बन सहायक मद से १,००० रुपया दिया गया, जिससे उक्त कार्य पूर्ण हुआ तथा ग्राम सभा कुतुबा महोनपुर को हैन्ड पम्प हेतु १०० रुपया स्वावलम्बन सहायक अनुदान मद से दिया गया, जिससे कार्य पूर्ण हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, इससे तो सारे प्रश्नों का समय चला जायेगा। आप इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष--

अब यह नहीं हो सकता। जब एक भी माननीय सदस्य ने आपत्ति कर दी तो वह पढ़ा जायेगा। माननीय विजयराज सिंह और माननीय तिवारी जी ने आपत्ति की है। इसलिए अब माननीय मंत्री जी उसको पढ़ेंगे।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिये। प्रश्नों के समय इस तरह नहीं।

श्री विजय राज सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्यगण व्यवधान पैदा कर रहे हैं। प्रश्न को शांतिपूर्वक पढ़ने दिया जाय ताकि हम लोग समझ सकें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, आपने कृपा करके जब ऐसे प्रश्न को स्वीकार किया है जिसमें एक जिले की प्रत्येक ब्लाक के बारे में सूचना मांगी है। जब आपने, मान्यवर, उसको स्वीकार किया है, तो प्रश्न पढ़ा जायेगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

इस समय व्यवस्था नहीं। कृपया आप बैठिये। (व्यवधान)

कृपया सदन का समय न नष्ट करें।

श्री जमुना प्रसाद--

२--विकास खंड, मल्लावां, जनपद हरदोई में १ अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८, की अवधि में ग्राम सभा गोला को खड़ंन्जा निर्माण हेतु २,००० रुपया स्वावलम्बन सहायक अनुदान मद से दिया गया, परन्तु गली व रास्ते का निर्माण न होने के कारण कार्य अपूर्ण रहा, तथा ग्राम सभा सराय सुल्तान तथा सुतरौला को क्रमशः ६,००० तथा ४,००० रु० खंड़न्जा निर्माण हेतु विकास कर मद से दिया गया, जिससे कार्य पूर्ण हुआ, ग्राम सभा रघोरामपुर, दारुकुआं, बीकापुर, मछिया जाफरपुर, विशेश्वरपुर, नेवादा परस, तनासी गढ़िया, बरौना तथा नसीरपुर, प्रत्येक को २,००० रुपया खड़न्जा निर्माण हेतु स्वावलम्बन सहायक मद से दिया गया, जिससे सभी कार्य पूर्ण हुए। ग्राम सभा कल्यानपुर, अकबरपुर, तथा गोसवा को क्रमशः ३,०००, २,७६२, तथा २,००० रु० विकास कर मद से कूप निर्माण हेतु दिए गए, जिससे उक्त कार्य पूर्ण हुए। ग्राम सभा अटवारा चकौला, पूरनमऊ, कोड़रमऊ, कोकहमऊ, हरैया भगतपुर तथा पुरवाया (मेंहन्दीखेड़ा) को कूप निर्माण हेतु प्रत्येक को २,००० रुपया स्वावलम्बन सहायक मद से दिए गए, जिससे सभी कार्य

पूर्ण हुए। ग्राम सभा तेजीपुर को २,५५० रु० स्वावलम्बन सहायक मद से कूप निर्माण हेतु दिया गया। कूप निर्माण पूर्ण हुआ। ग्राम सभा मूल भवानीपुर को २,४७३ रुपया स्वावलम्बन सहायक मद से कूप निर्माण हेतु दिया गया, जिससे निर्माण पूर्ण हुआ। ग्राम सभा मेंहदीपुर को २,०५३ रु० स्वावलम्बन सहायक मद से कूप निर्माण हेतु दिया गया, जिससे निर्माण अपूर्ण रहा।

श्री देव बहादुर सिंह--

स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप फिर से पढ़वा दें।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

शुरू से फिर से पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष--

आपको सुनने की जरूरत भी नहीं है।

श्री जमुना प्रसाद--

क्योंकि वर्षा के कारण जुड़ाई नहीं हो पाई। ग्राम सभा पुलई, बरोहा, तेन्दुआ राघो, रामपुर, ईश्वरपुर-साई, बन्थरी तथा दाऊदपुर, मजरा मानीमऊ, अकबरपुर, तथा हैरवल, को क्रमशः २१७२, ३६१५, २६८२, २६१६, ३१२७, २४७४, २१२६, ३२९८, तथा २००० कूप निर्माण हेतु अन्य मद से दिये गये, जिससे उक्त सभी कूप पूर्ण हुए ग्राम सभा कल्यानपुर, सुल्तानपुर कोट, दारापुर, मंसूरपुर, तिगावा, बेरिया नजीरपुर, गंजजलालबाद तथा बरोहा को स्वावलम्बन सहायक मद से प्रत्येक को २,००० रुपया पंचायत घर निर्माण हेतु दिये गये, जिससे सभी निर्माण सुल्तानपुर कोट को छोड़कर पूर्ण हुए। सुल्तानपुर कोट में सीमेन्ट न होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण न हुआ ग्राम सभा मानीमऊ को विकास कर मद से २८७९ रुपये पंचायतघर निर्माण हेतु दिये गये, धन का अपहरण कर लिया गया, जिसके कारण निर्माण कार्य अपूर्ण रहा। वसूली की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम सभा शाहपुर पवार, हैरवल, पुलई, तेन्दुआ, तथा सुमेर सादी को प्रत्येक को २,००० रुपया स्वावलम्बन सहायक मद से स्कूल निर्माण हेतु दिया गया, जिसमें सुमेरपुर सादी, को छोड़कर अन्य सभी कार्य पूर्ण हुए। सुमेरपुर सादी में पल्ले लगाना शेष है, जो वर्षा के कारण नहीं लग पाये। ग्राम सभा सुल्तानपुर कोट, तथा परभो को क्रमशः ६७२७ तथा २१३० रुपया पुलिया निर्माण हेतु विकास कर मद से दिये गये, जिससे कार्य पूर्ण हुआ। ग्राम सभा पुरवाया को नाली निर्माण हेतु 1,500 रुपया स्वावलम्बन सहायक मद से दिया गया। कार्य स्थानीय विवाद के कारण अपूर्ण रहा।

३--विकास खंड बिलग्राम, जनपद-हरदोई, में खड़न्जा निर्माण हेतु ग्राम सभा डामा, बसहर, कुतुलपुर, लालपुरी, बन्हरी नेकपुर, हातिमपुर, गुरौली, भैरमपुर, बेहड़ीखुर्द, नबीपुर, हरौलिया, भीखपुर, दुर्गागंज, अलीपुर, तथा अतर्छा बुजुर्ग, प्रत्येक को १,२५० रु० विकास कर मद से दिये गये, तथा सभी कार्य पूर्ण हुए। बरगांवा को २,००० रु० विकास कर मद से दिये गये तथा कार्य पूर्ण हुआ। ग्राम सभा चांदपुर खलीलपुर, अकबरपुर, परुनामऊ, तेखरिया, गैरौली-शेरपुर, अख्तियारपुर, कुतुआपुर, बलेन्दा कुन्दराली, शादीपुर, ढोड़पुर, पिन्डारी, जदपुरा, तरिया, मदारा, सहोरा, घोंघो, कोयलरा, रहूला, वधिघारी, चौगवां, गनीपुर, अमरौली, सहिजना, भटौली, अचरापुरतिगांवा, तथा हसनापुर को प्रत्येक को १,२५० रु० स्वावलम्बन सहायक

मद से खड़न्जा निर्माण हेतु दिये गये, जिसमें ग्राम सभा बलेन्द्रा, घोंघी, तथा गनीपुर को छोड़कर सभी ग्राम सभाओं में कार्य पूर्ण हुए । ग्राम सभा बलेन्द्रा तथा घोंघी में पंचायतराज ऐक्ट की धारा ९५ (छ) के अन्तर्गत परगनाधिकारी द्वारा नोटिस दिये जाने के कारण अपूर्ण रहा, तथा ग्राम सभा गनीपुर में परगनाधिकारी द्वारा प्रधान को निलम्बित करने के कारण कार्य अपूर्ण रहा, तथा ग्राम सभा हबतपुर, पसनेर, छिबरामऊ, रेणोंना, हबीबनगर, तेरवां चादपुर, बिरनी, तथा सांप खेड़ा में कूप निर्माण हेतु विकास कर मद से ग्राम सभा जफरपुर, तिगांवा, कटरी बिलुही को छोड़कर प्रत्येक को १,२५० रु० तथा ग्राम सभा जफरपुर तिगांवा व कटरी बिलुही को प्रत्येक को ५०० रु० दिया गया । ग्राम सभा पसनेर को छोड़कर उक्त सभी में कार्य पूर्ण रहा, तथा ग्राम सभा पसनेर में पंचायती राज ऐक्ट की धारा ९५ (छ) के अन्तर्गत परगनाधिकारी के द्वारा नोटिस दिये जाने के कारण कार्य अपूर्ण रहा । ग्राम सभा बिराइचमऊ, मसूदपुर, धनसरी नेवादा, बेहरा बुजुर्ग, परोंची, अलीगढ़, जलीलपुर, कोई, दिवाली पंदापुर महमूदनगर, सिराइचमऊ-काईमऊ, कुबरियापुर, समजलपुर, मितजितपुर, चौधरियापुर, कटरी परसूला, सखेड़ा, परसौला, काहपुर हइया, हथौड़ा बिरौंरी, परचलीरसूलपुर, जरौली रंपुरा, कहरी बिछुइया, जरसेनामऊ कटरी छिबरामऊ, करेहका चौगवां तथा हसनपुर, को प्रत्येक को १,२५० रु० कूप निर्माण हेतु स्वावलम्बन सहायक मद से दिये गये, जिसमें सभी कार्य पूर्ण हुए । ग्राम सभा तरौली को विकास मद से १,२५० रु० तथा ग्राम सभा मुसौली ग्वाल, परसपुर, तथा रामपुर, इब्राहीमपुर को स्वावलम्बन सहायक मद से प्रत्येक को १,२५० रु० पंचायतघर निर्माण हेतु दिये गये । कार्य पूर्ण हुआ । ग्राम सभा बिघोरी निवादा तथा गुजरई को प्रत्येक को स्वावलम्बन सहायक मद से १,२५० रु० पुलिया निर्माण हेतु दिये गये, तथा पूर्ण हुआ ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय, सुनाई कुछ नहीं दिया है, दुबारा पढ़वा दें ।

(श्री राम आसरे वर्मा के प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

क्या आप समझते हैं कि इस पर भी अनुपूरक की जरूरत है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

अनुपूरक न हो सकें, इसलिए इतना लम्बा उत्तर दिया गया है ।

जो यह विवरण सदन में पेश किया गया है और जो रकमें दिखाई गई हैं विभिन्न-विभिन्न ग्राम सभाओं के सामने जैसे सरफद्दीनपुर को १५ हजार रुपया, इसी तरह से अन्य ग्राम सभाओं के बारे में अनियमितताएं हैं, पैसा दिया कुछ गया है, लिखा कुछ गया है या दिया ही नहीं गया है, फर्जी वाउचर्स लगाए गए हैं, जिन मदों में पैसा दिया गया है, उनमें मुश्किल से २० से ४० परसेन्ट काम हुआ बाकी नहीं हुआ, इसको देखते हुए हमारे हरदोई जिले में ए० डी० एम० (डी) की शरारत से यह पूरा पैसा आपस में बंटवारा किया गया, ए० डी० एम० (डी) और ए० डी० ओ० पंचायत, माधवगंज में, एक हफ्ते के अन्दर इसकी जांच करवा कर अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

माननीय, अगर इजाजत दी जाय तो अनुपूरक पूरा पढ़ दूं इस सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं । माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि वाउचर फर्जी हैं और इसमें गबन हुआ है । क्या आप इसकी जांच एक हफ्ते के अन्दर करायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, इतने आरोप हैं । हर गांव के बारे में कहा गया है कि इतनी धनराशि दी गयी और हर एक चीज को देखना पड़ेगा, तो काफी समय लगेगा । एक हफ्ते में नहीं हो सकेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

(अगला प्रश्न पुकारे जाने पर) बहुत गम्भीर बात है । इसके बारे में स्पष्ट उत्तर होना चाहिए । एक हफ्ते में न सही । एक महीने में सही । लेकिन जांच तो हो ।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, आध घंटा आपने ले लिया ।

*३--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[माननीय सदस्यों ने वापस लिया]

जिला मत्स्य अधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध ग्राम सभा कोड़रा लखौरा की झील के ठेके सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*४--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद की तहसील हसनगंज का अन्तर्गत ग्राम सभा कोड़रा लखौरा के प्रधान ने एक प्रार्थना-पत्र, जिस पर जिले के सातों विधायकों एवं एक विधान परिषद् सदस्य ने संस्तुति की थी दिनांक १३ जुलाई, १९७७ को जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा गलत-नीलामी किए जाने सम्बन्धी दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

जी हां । प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र शासन द्वारा जिला अधिकारी, उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । जिला अधिकारी से ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत झील के ठेके से सम्बन्धित विवाद न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न जिला मत्स्य अधिकारी द्वारा गलत नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये एक प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित है । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विवाद न्यायालय के विचाराधीन है । न्यायालय में मिल्कियत सम्बन्धी मामला विचाराधीन है । मैं उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं चाहता था कि मिल्कियत किसकी है ग्राम सभा की या मत्स्य विभाग की । मैं जानना चाहता हूं कि जो प्रार्थना-पत्र सात विधायकों द्वारा दिया गया, उसमें मत्स्य अधिकारी के खिलाफ कौन-कौन शिकायतें थी, क्या सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रार्थना-पत्र की तरफ ध्यान दिलाया, अगर इजाजत दें तो मैं प्रार्थना-पत्र सदन के सामने पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष--

इस बारे में सिर्फ शिकायतें पढ़ दीजिये, पूरा प्रार्थना-पत्र नहीं ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, प्रार्थना-पत्र में कहीं भी मत्स्य अधिकारी के खिलाफ शिकायत की बात नहीं कही गयी है, बल्कि यह मांग की गयी है कि इस तालाब को मत्स्य विभाग में न रखा जाय बल्कि गांव सभा में रख दिया जाय, जिससे गांव सभा का विकास हो सके । यह इस प्रार्थना-पत्र में लिखा गया है । किसी की शिकायत के बारे में जरा सा भी नहीं लिखा गया है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उसी झील को दो साल पहले तहसीलदार ने हसनगंज के अन्दर नीलाम किया था ? यदि हां, तो कितने में नीलाम किया था और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य अधिकारी ने उसी झील को पांच साल के लिए ठेके पर कितने रुपये में नीलाम किया ?

श्री अवधेश प्रसाद--

इसकी नीलामी २७-४-७७ को पांच साल के लिए आठ सौ रुपये प्रति वर्ष के लिए शुरू हुआ है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

मेरा पहला प्रश्न यह था कि इस झील का दो साल पहले तहसीलदार द्वारा नीलाम किया गया, यदि हां, तो कितने रुपये में किया गया था, केवल कमलगट्टे का नीलाम किया गया था या मछली का या वह भी नहीं ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, इसमें नीलाम १९७६ में हुआ है । लेकिन मछली का नीलाम नहीं हुआ है बल्कि कमलगट्टा की नीलामी तहसीलदार द्वारा हुई है । केवल कमल गट्टे की नीलामी हुयी थी ।

फर्रुखाबाद जिले के सहकारी बैंक में अनियमित वेतन का कथित भुगतान एवं कथित गबन

*५--श्री कमल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सहकारी बैंक ने जनवरी, १९७८ में ८० हजार से ऊपर अवैध रूप से कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया है और उक्त सहकारी बैंक से सन् १९७५-७६ में ७० हजार के करीब का गबन भी किया गया है ? यदि हां, तो अवैध भुगतान एवं गबन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त गबन में कितने अतनिक तथा वैतनिक कर्मचारियों का हाथ रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

बैंक के सचिव की रिपोर्ट के अनुसार इस बैंक ने जनवरी ७८ में ८० हजार के ऊपर अवैध रूप से अपने कर्मचारियों को कोई वेतन भुगतान नहीं किया है और वर्ष ७५–७६ में इस बैंक से कोई गबन नहीं किया गया है ।

गन्ना विभाग के श्रेणी एक के अधिकारी की उप प्रधान प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति

*६—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—(जिला बस्ती)

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रेणी एक के अधिकारियों को प्रधान प्रबन्धक के पदों के अधीन पदों पर चीनी मिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में ज्येष्ठता एवं श्रेणी के आधार पर नियुक्ति हेतु नियम बनाये गये हैं ? यदि नहीं, तो नियुक्तियों का आधार क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

गन्ना विभाग के श्रेणी एक के केवल एक ही अधिकारी उप प्रधान प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्त हैं । उनके भी स्थानान्तरण के आदेश प्रोजेक्ट अधिकारी के पद हेतु पारित कर दिये हैं ।

चीनी मिलों में प्रधान प्रबन्धक/रिसीवर्स आदि के पद काडर पद नहीं है । उन पर नियुक्तियां विभिन्न विभाग से जैसे गन्ना विकास विभाग के अधिकारी, पी० सी० एस० अधिकारी तथा राज्य चीनी निगम, चीनी मिल संघ के तकनीकी अधिकारियों से की जाती हैं । प्रतिनियुक्ति विभिन्न चीनी मिलों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुये अधिकारी की उपयुक्तता तथा कार्यक्षमता के आधार पर की जाती है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी को उप प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया है, वह जूनियर अधिकारी है अथवा उससे सीनियर अधिकारी भी हैं जिनको इस पर नियुक्त नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने उप प्रबन्धक नियुक्त किया है, वह सीनियर को छोड़कर जूनियर को नियुक्त किया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया है कि यह कोई कैडर पद नहीं है और सीनियर जूनियर की बात पैदा नहीं होती है । यह देखा जाता है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा जो मिल को चला सके, उसी को ध्यान में रखकर नियुक्ति की गयी ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

जिस प्रबन्धक की नियुक्ति की गयी उसमें कौन सी विशेषता थी और प्रश्न होने के बाद उसका स्थानान्तरण कर दिया गया, तो कौन सी उसमें कमी आ गयी ?

श्री अध्यक्ष --

मैं पहले प्रश्न की इजाजत नहीं देता । प्रश्न आने के बाद उसका स्थानान्तरण किया गया, तो क्यों किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जो वार्षिक प्रपोजल हुआ उसी में उसका स्थानान्तरण किया गया ।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रबन्धकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने की नीति जो आपने बनायी है, वह क्या है ? उसमें बैकवर्ड, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी रखा गया। मंत्री जी की कोई नीति अवश्य होगी जिसके आधार पर उन्होंने स्थानान्तरण किया ।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे पैदा नहीं होता ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब एक बार नियुक्ति हो जाती है, तो उसके कार्य को कितने दिनों के बाद रेव्यू किया जाता है ।

श्री शिव मंगल सिंह--

यह प्रत्येक वर्ष होता है और किसी अधिकारी को ५ वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता है ।

फैजाबाद जिले का अर्धनिर्मित अकबरपुर-गौहनियां मार्ग के लिये स्वीकृत गेहूं का गबन

*७--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में ३१ मार्च, १९७८ तक काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत अकबरपुर, गौहनियां मार्ग पर मन्डी समिति, अकबरपुर द्वारा ४ कि० मी० का मिट्टी भराई का काम होना था लेकिन उक्त काम के लिये दिये गये गेहूं को चोरबाजारी में बेच दिये जाने के कारण केवल ढाई किलोमीटर का काम हो पाया है ? क्या यह भी सही है कि १५ अप्रैल, १९७८ को ग्राम्य विकास मंत्री के सामने ए० डी० ओ० (एजी०) ने इसे स्वीकार भी किया है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई और उक्त सड़क का शेष कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जी हां ।

७ कुन्टल गेहूं के अनियमित ढंग से बिकने तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से अकबरपुर–गोहनियां मार्ग का कार्य पूरा नहीं किया जा सका । इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, श्री अवध नरेश सिंह को उनके मूल पद सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । वहां के दो ग्राम सेवक, एक खण्ड संगठक प्रादेशिक विकास दल तथा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) श्री गोरख सिंह को स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

जिले के सम्बन्धित अधिकारियों ने सूचित किया है कि उक्त सड़क का शेष कार्य ३१–१२–७८ तक पूर्ण हो जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सड़क के ४ किलोमीटर पर जो मिट्टी पड़ी उस काम में कितना गेहूं खर्च होने का अनुमान था, उसमें से कितना अधिकारियों को दिया गया, कुल गेहूं में से कितना मजदूरी में दिया गया और चोरी में बेचने के बाद अब कितना शेष है और ११/२ किलोमीटर सड़क जो बननी है, उस पर कितना गेहूं लगने का अनुमान है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय––

४ किलोमीटर सड़क बनने की स्वीकृति थी । इसके अगेन्स्ट ३१–३–७८ तक २·५ किलोमीटर सड़क का निर्माण हो गया है और जैसा कि मैंने अभी उत्तर दिया था कुछ गड़बड़ी....

श्री अध्यक्ष––

उनका प्रश्न यह है कि कुल कितना गेहूं एलाट किया गया, कितना चोरी में गया, कितना मजदूरी में दिया गया और उसके बाद कितना शेष है ?

श्री धीरेन्द्र सहाय––

मान्यवर, इसकी डिटेल्ड सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

जिस ए० डी० ओ० ने मंत्री जी के सामने बयान दिया उसने १७ क्विन्टल की बात स्वीकार की थी । अब मंत्री जी ७ क्विन्टल की बात कहते हैं । इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा । मैं जानना चाहता हूं कि चोरी जाने के अलावा और कौन–कौन से प्रशासनिक कारण हैं, जिनसे इस सड़क के निर्माण में कठिनाई आयी और जिन लोगों ने चोरी में गेहूं बेचा उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० लिखाकर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री धीरेन्द्र सहाय––

एक कारण तो यह था कि जो वहां के बी० डी० ओ० थे वे वहां से चले गये थे और उनकी जगह पर ए० डी० ओ० जो थे, उन्होंने चार्ज लिया । कुछ कारण यह भी था कि वहां के जो अवर अभियन्ता थे, उनके द्वारा कोई रुचि नहीं ली गयी और नाप जोख गलत थी तो उसको हटाया गया और शुरू–शुरू में मिलने में भी दिक्कत थी ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि एफ० आई० आर० लिखा कर उनका प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र सहाय--

इस मामले की जांच, पंचायत राज अधिकारी के सुपुर्द की थी उन्होंने जो जांच की उसमें पाया कि जो ७ क्विन्टल गेहूं जिसके घर में रखा था, उसने बेच दिया था। हालांकि बाद में दबाव डाल कर गेहूं उससे ले लिया गया।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, डाक्टर धर्मपाल सिंह का त्याग-पत्र

*८--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डी० पी० सिंह को हटाने की मांग विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों द्वारा अभी हाल में की गई है ? यदि हां, तो उन्हें हटाने में क्या परेशानी है ?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

जी हां, मांग की गयी थी। डाक्टर धर्मपाल सिंह ने दिनांक २० जून, १९७८ को कुलपति के पद से त्याग-पत्र दे दिया, जो २२ जून, १९७८ को कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया।

बहराइच, जिला सहकारी बैंक लि० के विशेष सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में दिखाया गया गबन एवं दुर्विनियोग का मामला और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

*९--श्री हाकिमलाल (जिला मैनपुरी)--

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बहराइच जिला सहकारी बैंक के दिनांक ५ अप्रैल, १९७८/६ अप्रैल, १९७८ के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन (स्पेशल आडिट रिपोर्ट) में बैंक के किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध धन के गबन/दुर्विनियोग आदि की अपराध जनक आपत्तियां हैं ? तथा इस विषय में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध तत्कालीन प्रशासक ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

बहराइच जिला सहकारी बैंक लि० के दिनांक ५-४-७८/६-४-७८ को निर्गत वर्ष ७६-७७ के विशेष सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में बैंक के शाखा प्रबन्धक श्रीराम सिंह, श्री इन्द्रवीर सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी तथा सहायक लेखा लेखक श्री महिपाल सिंह के विरुद्ध धन के गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं की आपत्तियां हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दे दिये गये हैं। तत्कालीन प्रशासक द्वारा इन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिये उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उक्त विशेष सम्प्रेक्षण

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रतिवेदन में कथित अपहरण २५,७०७.२६ रु० अधिकतर ओवर ड्राफ्ट एवं मलस कन्ध से सम्बन्धित है। इस धनराशि की वसूली की जा चुकी है अथवा समायोजित कर दी गई है। गम्भीर अनियमितताओं एवं आपत्तियों से सम्बन्धित धनराशि की जांच की जा रही है।

*१०—श्री हाकिम लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बहराइच जिला सहकारी बैंक के सहकारी वर्ष १९६९-७० से १९७६-७७ तक के आडिट नोटों का अनुपालन सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया तथा कर्त्तव्य के प्रति इस उपेक्षा के लिए उस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बहराइच जिला सहकारी बैंक लि० बहराइच के सहकारी वर्ष ६९-७० से ७३-७४ तक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन प्रस्तुत किये जा चुके हैं, वर्ष ७४-७५ से ७६-७७ तक के प्रतिवेदनों का परिपालन किया जा रहा है। परिपालन में विलम्ब एवं उदासीनता करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र दिये जा चुके हैं।

तहसील पडरौना, बिशुनपुरा विकास खण्ड में सहकारी डेरी फार्म की स्थापना की मांग

*११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़रौना तहसील के बिशुनपुरा विकास खंड में उत्तम नस्ल के पशु एवं अनुकूल वातावरण पर्याप्त उर्वरा भूमि है ? यदि हां, तो श्वेत क्रान्ति की समुज्जवल संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में शीघ्र सहकारी डेरी फार्म की उक्त विकास खंड में स्थापना की जाएगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बिशुनपुर ब्लाक में सामान्यतः देशी नस्ल की गायें और भैंसें पायी जाती हैं। क्षेत्र की भूमि उर्वरा है परन्तु जल प्लावित है। क्षेत्र का वातावरण केवल भैंसों के अनुकूल कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में बिशुनपुरा ब्लाक के लिए सहकारी डेरी फार्म की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बांदा जिले के बिसण्डा—बबेरू व बबेरू कमासिन मार्ग पर राजकीय बस सेवा की मांग

*१२—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा में अतर्रा से बिसंडा १० किलोमीटर, बिसंडा से बबेरू २४ किलोमीटर व बबेरू से कमासिन २४ किलो मीटर पक्की सीमेन्टेड रोड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बन चुकी है जिनमें प्राइवेट बसें चलती हैं व लाखों रुपया की इन्हें आय है ? क्या सरकार इस मार्ग पर रोडवेज बस शीघ्र चलवाने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

अतर्रा से बिसन्डा १४ कि० मी० है जिसका १३ कि० मी० भाग कोलतार का है व १ कि० मी० गिट्टी का है। बिसन्डा से बबेरू मार्ग २१ कि० मी० का है जिसका १६ कि० मी० कोलतार का है व शेष ५ कि० मी० गिट्टी का है। बबेरू से कमासिन मार्ग २२ कि० मी० का है जो पूरा कोलतार है। इन तीनों में से कोई भी सड़क पक्की सीमेन्टेड नहीं है।

उपरोक्त अतर्रा बिसन्डा बबेरू मार्ग पर तथा बबेरू कमासिन मार्ग पर प्राइवेट गाड़ियां परमिट पर चल रही है, व इन मार्गों की अच्छी आमदनी है। इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, फैजाबाद की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दिखाया गया गबन एवं वित्तीय अनियमितता

*१३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, फैजाबाद की विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष १९६९-७० में ६,२६,८४८·१३ रु० (छः लाख छब्बीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपए तेरह पैसा) का गबन व अनियमितता की शिकायत पाई गई है ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रतिवेदन के भाग ब में पिछली आडिट रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करने की आलोचना की गई है ? यदि हां, तो सरकार दोषी लोगों को दण्डित करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

विशिष्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष १९६९-७० में सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, फैजाबाद में ६,२६,६८१·१७ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं व १६६.९६ रुपये का गबन पाया गया और गबन की धनराशि पूरी-पूरी वसूल की जा चुकी है और ४०५२५ रु० की वित्तीय अनियमिततायें भी दूर की जा चुकी है। शेष धनराशि के सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है आटिड रिपोर्ट के भाग 'ब' में २३५७ रु० की वसूली से संबधित कार्यवाही आलोचित थी। इसके सम्बन्ध में भी उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गयी है तथा इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये संबधित अधिकारियों को पूर्णतया सचेत रहने के लिये निर्देश भी दे दिये गये हैं।

झांसी मंडल के निलम्बित सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता की संख्या तथा उनको देय जीवन जीवन निर्वाह भता में अन्तर

*१४--श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी प्रखण्ड में कितने सहायक विकास अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में गबन सम्बन्धी मुकदमें इस समय चल रहे हैं ? उनमें से कितने निलम्बित हैं तथा कितने कार्यरत हैं ? इनमें से जिनको काम (ड्यूटी) पर ले लिया गया है और जिनको ड्यूटी पर नहीं लिया गया है, उनका क्या आधार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उपलब्ध सूचनानुसार तीन सहायक विकास अधिकारी (सह०) के गबन सम्बन्धी मामले विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। तीनों निलम्बित हैं।

*१५--श्री प्रेम नारायण अहेरवार--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि समान वेतनमान के कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे जीवन निर्वाह भत्ता में अन्तर क्यों है जब कि गबन के मुकदमें समान धाराओं के अन्तर्गत चल रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जीवन निर्वाह भत्ता निलम्बित कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर देय होता है न कि वेतनमान के आधार पर। उक्त कर्मचारियों के मूल वेतन में भिन्नता होने के कारण जीवन निर्वाह भत्ते में अन्तर है।

वाराणसी जिले में मन्डी समिति क्षेत्र की कुवार-कठिरांव सम्पर्क मार्ग का निर्माण

*१६--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में मन्डी समिति की ओर से प्रत्येक मन्डी समिति में तेरह-तेरह किलो मीटर लिंक सड़क बनाने के लिए स्वीकृत सन् १९७७ के आखीर में दे दी गयी है ? क्या उसमें एक सड़क कुवांर में कठिरांव, ब्लाक बड़ा गांव, वाराणसी भी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ? और कब तक बन जायगी ? क्या सरकार विशेष धन देकर उक्त सड़क को कुवार से कठिरांव ४ किलो मीटर बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जनपद वाराणसी की मंडी समितियों वाराणसी, चन्दौली तथा गोपीगंज के क्षेत्र में १२-१२ कि० मीटर सम्पर्क मार्गों के निर्माण की स्वीकृति वर्ष १९७७ के अन्त में दी गई थी।

बड़ा गांव ब्लाक में कुवांर से कठिरांव २ ०० कि० मी० लम्बा सम्पर्क मार्ग भी है। इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मन्डी समिति से नहीं प्राप्त हुआ है।

*१७--श्री राम दत्त जोशी--

[२७-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६० द्वारा उत्तरित।]

प्रदेश में सूरजमुखी की खेती

*१८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्याप्त तिलहन की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु वर्ष १९७७ में कुल कितने एकड़ क्षेत्रफल में सूर्यमुखी की खेती की गई तथा कुल उत्पादन कितना हुआ ?

श्री वीरेन्द्र सहाय--

उत्तर प्रदेश में वर्ष ७७-७८ में तिलहनों के उत्पादन बढ़ाने के लिए अप्रचलित तिलहन सूरजमुखी की खेती २१२६१ हैक्टर में कराई गयी जिसका अनुमनित उत्पादन २१२६१ मैट्रिक टन है।

नैनीताल जिले की बाजपुर सहकारी चीनी मिल के मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध श्रमिकों का प्रदर्शन

*१९--श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी अफसरों के प्रबन्ध में संचालित बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) में पिछले १५ वर्षों से निरन्तर एक ही व्यक्ति चीफ इन्जीनियर के पद पर है उसके विरुद्ध उपरोक्त फैक्टरी के श्रमिकों की ४ यूनियनों ने संयुक्त रूप से वर्तमान वर्ष के आरम्भ के महीनों में प्रदर्शन और आन्दोलन किया था और इसी क्रम में उपरोक्त श्रमिक संघों द्वारा प्रेषित कोई संयुक्त मांग-पत्र चीनी उद्योग मन्त्री जी तथा उनके सचिव जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सुगर फैक्टरी फैडरेशन के चेयरमैन भी हैं, उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त चीफ इन्जीनियर का शीघ्र ट्रान्सफर न किय जाने का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

बाजपुर सहकारी चीनी मिल के प्रश्नगत मुख्य अभियन्ता उक्त पद पर दिनांक १३-९-७४ से कार्यरत थ। उनके विरुद्ध श्रमिक संगठनों ने दिनांक २ फरवरी, १९७८ को प्रदर्शन किया था। सन्दर्भगत संयुक्त मांग पत्र शासन को मिला है। उक्त मुख्य अभियन्ता को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

उप निदेशक, कृषि रक्षा, डा० टण्डन के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*२०--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक, कृषि रक्षा, श्री टण्डन के विरुद्ध वर्ष १९७१-७२ में भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता के गम्भीर आरोप शासन के समक्ष आये थ, जिसकी जांच भी कराई गई थी ? यदि हां, तो आरोप क्या थे एवं जांच के बाद सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

प्राप्त शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई गई। जांच के आधार पर डा० टण्डन के विरुद्ध निम्न आरोप लगाये गये :--

(१) वर्ष १९७०-७१ व १९७१-७२ में डा० टण्डन ने एलड्रिन ३० प्रतिशत, ई० सी० १००० लीटर दवाई खरीदी जिसके लिये क्रय समिति की कोई अनुमति नहीं ली गई।

(२) विभिन्न जिलों की मांग तथा उनकी आपूर्ति में अन्तर पाया। वर्ष १९७०-७१ में डाइथेन एम ४५ की लखनऊ जनपद को ९ मट्रिक टन तथा वाराणसी को ६०० कि० ग्रा० की मांग के विपरीत लखनऊ को ७·५ मै० ट० (मांग से १·५ मै० ट० कम) तथा वाराणसी को ८०० कि० ग्रा० (मांग से २०० कि० ग्रा० अधिक) की पूर्ति की गई। इसी प्रकार से कैराथिन की लखनऊ को ७४ कि० ग्रा० की मांग के विरुद्ध ८४ कि० ग्रा० की पूर्ति की गई। मांग और पूर्ति के इस अन्तर का क्या कारण है।

सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति के आधार पर विभागीय जांच की गई तथा डा० टन्डन को लिखित चेतावनी दी गई।

रिसीवरशिप में चलने वाली चीनी मिलों को शुगर कारपोरेशन में लिये जाने की मांग

*२१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में रिसीवरशिप में चलने वाली चीनी मिलों को शुगर कारपोरेशन को सौंपने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या अन्तिम निर्णय गन्ना पेराई सत्र के पहले हो जायेगा?

श्री शिव मंगल सिंह--

प्रदेश में रिसीवरशिप में चलने वाली चीनी मिलों को 'शुगर कारपोरेशन' को सौंपने का कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री धर्मदेव सिंह, सहकारी निरीक्षक, जिला बांदा के वेतन का भुगतान

*२२--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में जिला सहकारी निबन्धक, सहकारिता, जिला विकास अधिकारी तथा जिला अधिकारी ने नसबन्दी न कराने के कारण एक सहकारी नि० वर्ग नं० २ (श्री धर्मदेव सिंह) के वेतन को जुलाई, १९७६ से जनवरी, १९७७ तक रोक दिया और दिनांक १५ फरवरी, १९७७ को निलम्बित कर दिया? क्या मन्त्री उपरोक्त सहकारी निरीक्षक पर लगे आरोप-पत्र तथा निरीक्षक के उत्तर को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री धर्मदेव सिंह सहकारी निरीक्षक वर्ग--२ का जुलाई, ७६ से जनवरी, ७७ तक का वेतन रोक दिया गया था जो उन्हें फरवरी में भुगतान किया गया। १५ फरवरी, १९७७ को उन्हें निलम्बित किया गया था।

उपरोक्त सहकारी निरीक्षक पर लगाये गये आरोप पत्र व उत्तर का अवलोकन माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में कर सकते हैं।

साधन सहकारी समिति, सरैया, जिला बाराबंकी के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२३--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २८ मार्च, १९७८ को साधन सहकारी समिति, सरैया, मातिबर नगर, ब्लाक फतेहपुर, जिला बाराबंकी के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उदय प्रताप मिश्र, रामचन्द्र शाह द्वारा कुछ अभियोग पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री उदय प्रताप सिंह का शिकायती पत्र प्रश्नगत समिति के निर्वाचन में धांधली तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित है । प्रयास करने पर भी शिकायत सम्बन्धी समिति के अभिलेख उपलब्ध न हो सके जिसके कारण जांच न की जा सकी । अभिलेख अधिग्रहण करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ३७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम चन्द्र, निवासी शाहपुर, विकास खंड फतेहपुर, जनपद बाराबंकी का शिकायती पत्र उनके पिता श्री तेज बल के नाम ६०० रुपयों का फर्जी उर्वरक ऋण दिखाये जाने के सम्बन्ध में है । प्रारम्भिक जांच से ज्ञात हुआ कि श्री तेज बल को ६०० रु० का उर्वरक ऋण नहीं मिला था । इस सम्बन्ध में समिति के सभापति श्री बिनय कुमार ने समिति के सचिव श्री कृष्ण कुमार आदि के विरुद्ध एक वाद चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय में प्रस्तुत किया है । इस मामले की विभागीय जांच करने के लिए प्रयास करने के बावजूद समिति के अभिलेख उपलब्ध न हो सके । अतः जांच पूर्ण न हो सकी । अभिलेख अधिग्रहण करने हेतु सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा ३७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

राजकीय कृषि फार्म, नानपारा, जिला बहराइच में उपलब्ध वृष्टि से क्षति

*२४--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या यह सही है कि राजकीय कृषि फार्म नानपारा, जनपद बहराइच में माह अप्रैल, १९७८ में उपलवृष्टि से हुई क्षति का प्रतिशत माल विभाग के कर्मचारियों से साठगांठ करके अधिक दिखाकर लाखों रुपये की फसल उपज का गोलमाल किया गया जब कि जिला कृषि अधिकारी, बहराइच एवं उप निदेशक (कृषि), फैजाबाद ने दिनांक २६ अप्रैल, १९७८ को मात्र एक प्रतिशत क्षति का ही आंकलन किया था ? यदि हां, तो फार्म अधीक्षक के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२५--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[२७-३-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ३७ द्वारा उत्तरित ।]

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, फैजाबाद में गबन

*२६—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, फैजाबाद में विगत १९७४, १९७५ एवं १९७६ में लाखों रुपए का गबन हुआ है तथा तमाम प्रकार की अनियमितताएं पाई गई है ? यदि हां, तो शासन ने अभी तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाहियां की हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद फैजाबाद के केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के वर्ष १९७४—७५ एवं १९७६ के लेखा परीक्षण के विशेष प्रकरणों द्वारा १,०२,४८९.२९ रु० के अपहरण का मामला प्रकाश में आया ।

उक्त धनराशि के अपहरण से सम्बन्धित एवं दोषी पाए व्यक्तियों से धनराशि की वसूली हेतु सालसी तथा वसूली की कार्यवाही की गई है । पांच व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करा दी गयी है तथा चार व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई ।

आगरा के किराना व्यवसाइयों के सम्मेलन में राज्य कृषि मंत्री का मंडी शुल्क से सम्बन्धित आश्वासन

*२७—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य मंत्री श्री धीरेन्द्र सहाय ने दिनांक १२ जून, १९७७ ई० को आगरा में किराना व्यवसाइयो के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की थी कि मंडी शुल्क और उसके वसूल करने के तरीके में सुधार किया जायेगा ? यदि हां, तो वह सुधार क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

आगरा में किराना व्यापारियों के सम्मेलन का दिनांक १२ जून, १९७८ को उद्घाटन करते हुए राज्य कृषि मंत्री ने यह कहा था कि मंडी शुल्क और उसके वसूलने की प्रक्रिया में सुधार करने के जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा । अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

साधन सहकारी समिति, धुसवा, जिला बहराइच के सचिव के पद पर नियुक्ति

*२८—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सहकारित मंत्री को यह जानकारी है कि साधन सहकारी समिति धुसवा, ब्लाक गिलौल, जनपद बहराइच में स्थायी सचिव की नियुक्ति दिनांक २८ दिसम्बर, १९७७ को हुई परन्तु चार्ज अभी तक न मिल पाने से पिछले एक वर्ष से धुसना समिति में चार लाख रुपए से ऊपर की बकाया वसूली नही हुई और न ऋण वितरण ही हुआ जिससे कृषकों की लाखों की क्षति हुई है ? यदि हां, तो अब तक चार्ज न देने का जिम्मेदार कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा चार्ज दिलकर कब से 'लोनिंग' व वसूली प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

साधन सहकारी समिति धुसवा, ब्लाक गिलौला, जनपद बहराइच में राज्य सम्वर्ग प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सचिव श्री राम चन्द्र मिश्र की अस्थायी नियुक्ति दिनांक २८-१२-७७ को हुई। किन्तु उक्त समिति पर कार्यरत सचिव द्वारा चार्ज न देने के कारण बकाया की वसूली नहीं हुई और न ऋण वितरण हुआ। चार्ज न देने का उत्तरदायित्व उक्त समिति में पूर्व से कार्यरत सचिव श्री अम्बिका प्रसाद यादव का है। श्री यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र दिया गया है तथा उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। चार्ज लेने में उदासीनता दिखाने के कारण श्री मिश्र के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु उन्हें आरोप पत्र दिया गया है। उक्त दोनों सचिवों का अब स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा श्री बाबू राम को धुसवा समिति में सचिव पद पर नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें चार्ज दिलाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, श्री केदार नाथ शुक्ल, जिला परिषद्, मैनपुरी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*२९—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि मैनपुरी जिले में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् (श्री केदार नाथ शुक्ल) को विजिलेन्स जांच के परिणाम-स्वरूप भ्रष्टाचार के आरोप में राजाज्ञा सं० ३२६३/क-३३-१-१ (७)-६५ का दिनांक २९ जून, १९७७ के द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति का नोटिस दिया गया था जो राजाज्ञा संख्या ६५ (विन)-क/३३-१-१ (७)-६९ का दिनांक १६ अगस्त, १९७७ द्वारा वापस ले लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां।

सतर्कता अनुभाग की संस्तुति पर श्री शुक्ला को अनिवार्य सेवा निवृत्त नोटिस दिया गया था जिसके विरुद्ध श्री शुक्ला ने अपना प्रत्यावेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए शासन ने उक्त नोटिस को फिलहाल वापस ले लिया था।

पंचायत सेवकों का आन्दोलन एवं उनके वेतन का भुगतान तथा मांगों पर की गई कार्यवाही

*३०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पंचायत सेवक अपने आन्दोलन के कारण २ मई, १९७८ से ९ मई, १९७८ के बीच शासकीय कार्य से अनुपस्थित रहे हैं इन्हे इस अवधि का वेतन दिए जाने के बारे में सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो वेतन कब तक दे दिया जायगा?

श्री जमुना प्रसाद—

वेतन भुगतान के आदेश जून, १९७८ में ही दिए जा चुके हैं।

*३१—श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न (१) में उल्लिखित आन्दोलन के समय सरकार द्वारा पंचायत सेवकों को उनकी मांगें पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं एवं उन पर क्या-क्या आश्वासन दिया गया तथा उसकी पूर्ति की प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं । फिर भी उनकी उचित मांगों पर शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

चीनी मिलों में गन्ने के बीज शोधन हेतु लगाए गए गर्म वायु संयन्त्र का गर्म नम वायु संयंत्र में परिवर्तन पर व्यय की गयी धनराशि

*३२—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गर्म वायु संयंत्र गन्ने के बीच शोधन के लिए लगाए गए हैं ? इस संयत्र की प्रयोगात्मक उपलब्धियां क्या हैं ? इन्हें लगाने के लिए किस अधिकारी/वैज्ञानिक ने संस्तुति की थी और इन संयंत्रों के लगाने में कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह बात सत्य है कि अब इनके स्थान पर गर्म नम वायु सन्यंत्र लगाने की संस्तुति उन्हीं अधिकारियों/वैज्ञानिकों द्वारा की गई है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रदेश के विभिन्न चीनी मिलों में कुल मिलाकर अब तक ४० गर्म वायु संयत्र गन्ने बीज के शोधन हेतु लगाए गए हैं ।

इन संयत्रों द्वारा शोधित बीज में अलबीनों (प्रासी सूट), रेटून स्टन्टिंग आदि बीमारियों समाप्त हो जाती है तथा शल्य कीट, मिलीबग व गन्ना वेधक की सूंड़िया भी मर जाती हैं ।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के वैज्ञानिकों/अधिकारियों द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर इन संयंत्रों की स्थापना कराई गयी ।

उपरोक्त लगाए गए ४० संयंत्रों पर कुल ३,८९,५९१.१८रुपए व्यय हुए जिसमें से दो तिहाई भाग २,५९,७२७ रुपए शासकीय अनुदान के रूप में चीनी मिलों को दिया गया तथा अवशेष १/३ व्यय भाग चीनी मिलों ने स्वयं वहन किया ।

यह सही है कि अब उक्त सन्यन्त्र के स्थान पर गर्म नम वायु संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में भी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा ही संस्तुति की गयी है ।

*३३—श्री देव राम—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गर्म नम वायु सन्यंत्र जो लगने जा रहा है उसका परीक्षण किया गया है तो उसका परिणाम क्या रहा है तथा गर्म वायु संयंत्र पर जो करोड़ों रुपया व्यय हुआ है उनका क्या होगा ? गर्म वायु संयंत्र जो गर्म नम वायु संयंत्र में परिवर्तित करने में कितनी धनराशि लगेगी तथा परिवर्तन का कार्य किस कम्पनी द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

उपरोक्त संस्तुति के आधार पर कुछ चीनी मिलों ने अपने धन से कुछ नम वायु संयत्र लगाए है। शासकीय स्तर से कोई अनुदान दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि आल इन्डिया कोआर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्षेत्र स्तर पर प्रयोग विशेषज्ञ समिति की देखरेख में अभी किए जा रहे हैं और अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर ही इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

गर्म वायु संयंत्र पर करोड़ों रुपए नहीं अपितु जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित है केवल ३,८९,५९१·१३ रुपए व्यय हुए। यदि विशेषज्ञ समिति की संस्तुति इन संयंत्रों के पक्ष में होती है तो गर्म वायु संयंत्रों के परिवर्तन करने पर लगभग १,००० से १,२०० रुपए प्रति संयंत्र व्यय होने का अनुमान है जिसे सम्बन्धित चीनी मिलें स्वयं वहन करेंगी।

*३४—श्री मुहम्मद रफी खां—

[४थे सोमवार के लिए स्थगित।]

*३५—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[४थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रामपुर गन्ना फैक्टरी के क्षेत्र के अवशेष गन्ने की आपूर्ति

*३६—श्री रियासत हुसैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि रामपुर फैक्टरी दिनांक ३ जुलाई १९७८ को बन्द हो गई जब कि मूड़ापांडे, दलपतपुर, गोट, सेहल तथा मानपुर क्रय सेन्टरों में गन्ना रह गया है? यदि हां, तो उस गन्ने को समेटने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां। अवशेष गन्ने की आपूर्ति आगामी सीजन १९७८–७९ के प्रारम्भ में प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने का प्रयास किया जायगा।

*३७–३८—श्री हरि केवल प्रसाद तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[४थे सोमवार के लिए स्थगित।]

गोंडा जिले के गन्ना क्रय केन्द्र, मंजापुर (बटौरा) द्वारा गन्ने की खरीद में धोखाधड़ी

*३९—श्री फजलुलबारी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को इस बात की सूचना है कि गोंडा जनपद की सदर तहसील, थाना कर्नलगंज के अन्तर्गत गन्ना क्रय केन्द्र मंजापुर (बटौरा) पर चालू पेराई सीजन १९७७–७८ मे धोखाधड़ी करके करीब दो लाख रुपए का गन्ना बिना मिल पर्ची तैयार कराए मोतीनगर शुगर मिल, मोतीनगर, जिला फैजाबाद, द्वारा गैर कानूनी तौर पर पेराई कराई गई है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिव मंगल सिंह—

थाना कर्नेलगंज के अन्तर्गत सहकारी गन्ना विकास समिति जरवल रोड के क्रय केन्द्र मैजापुर (बटौरा) पर के० एम० शुगर मिल्स, मोतीनगर (मसौधा) द्वारा अवैधानिक रूप से धोखा देकर गन्ना खरीदने की बात दिनांक २६-४-७८ को जिला गन्ना अधिकारी की जानकारी में आयी। मामले की जांच करने के उपरान्त मिल मालिक, मैनेजर व अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध थाना कर्नेलगंज में दिनांक १९ मई, १९७८ को एफ० आई० आर० दायर की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अन्तर्गत मिल मालिक एवं दोषी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

गोंडा, बहराइच व फैजाबाद की चीनी मिलों पर बकाया क्रय-कर

*४०—श्री फजलुलबारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा, बहराइच व जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत आने वाली चीनी मिलों के ऊपर कितना क्रय कर १ जून, १९७८ का बाकी है? और सरकार उसकी वसूलयाबी के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शिव मंगल सिंह—

निर्दिष्ट तिथि को गोंडा, बहराइच एवं फैजाबाद जनपदों की ६ चीनी मिलों (नवाबगंज, बभनान, तुलसीपुर, बलरामपुर, जरवलरोड तथा मोतीनगर) पर ६०.५७ लाख रुपया क्रय कर का अवशेष था। इसकी अधिकतर धनराशि उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं से प्रभावित है जिसकी वसूली उच्च न्यायालय में चल रही रिट याचिकाओं के निर्णय पर निर्भर है।

बहराइच जिले के विकास खंड, बलहा द्वारा निर्मित कूप

*४१—फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच के विकास खंड, बलहा में विकास खंड के माध्यम से जो कुएं निर्माण हो रहे हैं या १९७७-७८ में जो कूप निर्माण हुए हैं वह गोले के बाद एक ईंट की दीवाल से बनाए गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई गई?

श्री यमुना प्रसाद—

जी हां, जनपद बहराइच के विकास खंड, बलहा में विकास खंड के माध्यम से जो कुएं निर्मित हुए है और जो हो रहे हैं उनमें शासन के आदेशानुसार गोले की ऊपर की दीवाल एक ईंट की बनायी गयी है। जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्य शासन के आदेशानुसार ही किया गया है।

बहराइच जिले के विकास खंड, मिहीपुरवा के विकास खंड अधिकारी के विरुद्ध रिश्वत खोरी का मुकदमा

*४२—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खंड, मिहीपुरवा, जनपद बहराइच के विकास खंड अधिकारी के विरुद्ध जून, १९७८ में भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी का कोई मुकदमा थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच में दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो उसका क्या कारण है?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना संघ में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र

*४३—श्री तेज भान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ को गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार व गम्भीर अनियमितताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त आरोप-पत्र के आधार पर शासन ने कोई जांच करायी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां, प्रश्न गत विषय पर प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक १९ अप्रैल, १९७८ का प्राप्त हुआ और जांच के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :—

१—श्री जफर अली, सचिव, गन्ना समिति, मोदीनगर को निलम्बित करने के बाद की गई जांच के परिणाम स्वरूप कुछ आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये परन्तु राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा इन आरोपों को सामान्य प्रकार के होने के परिणाम स्वरूप श्री जफर अली को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उन्हें पदारूढ़ कर दिया गया ।

२—जहां तक सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की सेवा वृद्धि अनियमित ढंग से किये जाने की शिकायत का प्रश्न है यह तथ्य जांच से सही नहीं पाया गया । सेवा-निवृत्ति कर्मचारी सर्वश्री के० मैसी, गौरी शंकर श्रीवास्तव व राजेन्द्र प्रसाद गुप्त की सेवा वृद्धि उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी सेवा नियमावली, १९७५ के नियम ४७ के अन्तर्गत की गई थी । परन्तु शासन के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवा में न रखने की नीति, जो गन्ना संघ पर नहीं लागू होती थी, का सम्मान करते हुये इन कर्मचारियों को नियमानुसार नोटिस देकर सेवा मुक्त कर दिया गया ।

पर्वतीय जिलों में जनसंख्या के आधार पर विकास खंडों की स्थापना

*४४—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों में जनसंख्या को आधार मानकर कितनी जनसंख्या पर एक विकास खंड की स्थापना की नीति है ?

श्री जमुना प्रसाद--

पर्वतीय जनपदों में एक विकास खंड की स्थापना के लिये जनसंख्या का आधार निम्न प्रकार निश्चित किया गया था :--

क्रम० सं०	प्रति वर्ग मील जनसंख्या का घनत्व	प्रति विकास खंड जनसंख्या
१	१८० या कम	३५,०००
२	१८१ से ३००	५०,०००
३	३०१ से ६८०	६६,०००
४	६८१ से और अधिक	७५,०००

देवरिया जिले की कतिपय चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य

*४५--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले की कैशक्राप गन्ना है और छितौनी, खड्डा तथा लक्ष्मीगंज चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का दाम अब तक नहीं दिया है और सरकारी वसूलियां बड़ी तेजी से चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त वसूलियों को स्थगित करने अथवा गन्ने की पर्चियों को कैश के रूप में धारण करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

दिनांक ३१ जुलाई, १९७८ तक देवरिया जनपद की छितौनी, खड्डा तथा लक्ष्मीगंज चीनी मिलों ने सीजन १९७७-७८ में क्रय किये गये गन्ने के मूल्य, भुगतान एवं अवशेष की स्थिति इस प्रकार है :--

चीनी मिल का नाम	गन्ना मूल्य (लाखों में) देय	भुगतान	अवशेष
छितौनी	९६.८८	७४.६४	२२.२४
खड्डा	१४६.७६	१३६.१७	१०.५९
लक्ष्मीगंज	१७२.७६	१५९.८०	१२.९६

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अवशेष धनराशि कुल देय धनराशि का क्रमशः लगभग २३ प्रतिशत, ९ प्रतिशत व ९ प्रतिशत ही रह गई है ।

जहां तक गन्ना कृषकों का सम्बन्ध है गन्ना समितियों के ऐसे सदस्य जिन्हें गन्ना मूल्य का चीनी मिलों से भुगतान नहीं हुआ उन्हें ऋण सुविधा सुलभ कराने हेतु बकाया दर नहीं माना जायगा यदि सहकारी समिति के खाते में सदस्य के विरुद्ध बकाये की धनराशि गन्ने की पर्चियों, जिनका भुगतान नहीं हुआ है, के मूल्य के ७५ प्रतिशत से अधिक नहीं है । इसके अतिरिक्त गन्ना विभाग से सम्बन्धित देयों की वसूली हेतु भी कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

विकास क्षेत्र फिरोजाबाद, जिला आगरा के गावों की नालियों एवं गलियों को पक्का किये जाने की मांग

*४६--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद में क्या वर्ष १९७७-७८ और वर्ष १९७८-७९ में गांवों की गलियों की खरंजा लगाने और नालियों के पक्का करने के लिए क्या कोई धन स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में खरंजे लगे और नालियां पक्की बनीं और अब कितने गांवों में खड़ंजे लगने को हैं तथा नालियां बनने वाली हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फैजाबाद के विकास क्षेत्र अमानीगंज (खण्डासा) तथा मिल्कीपुर का कार्य क्षेत्र व सीमानिर्धारण

*४७--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र, अमानीगंज (खण्डासा) तथा मिल्कीपुर के कार्य क्षेत्र, सीमा निर्धारण सम्बन्धित जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख कर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? ग्राम सभा, कुदुरखां कला, किठावा, शिवदासपुर, कदई कला, बोडेपुर, इब्राहीमपुर तथा कोटडीह की दूरी विकास क्षेत्र, खण्डासा तथा विकास क्षेत्र, मिल्कीपुर के मुख्यालय की दूरी और असुविधा को देखते हुए उपरोक्त ग्राम सभाओं को नजदीक के विकास क्षेत्र, मिल्कीपुर में सम्मिलित करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

विकास क्षेत्रों की सीमा निर्धारण विकास की आवश्यकताओं तथा जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है ।

विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है ।

श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उन्नाव के विरुद्ध जांच एवं उनका स्थानान्तरण

*४८--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामउद्योग कारपोरेशन, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद के प्रतिनिधि से सांठ-गांठ करके उन्नाव जिले के विभिन्न सहकारी संघों को इस फर्म से महंगा कपड़ा क्रय करने हेतु श्री भवानी शंकर शर्मा, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उन्नाव द्वारा अनावश्यक रूप से विवश करने के सम्बन्ध में श्री शर्मा के विरुद्ध दिसम्बर, १९७७ तथा जनवरी, १९७८ में कोई जांच की गयी थी ? क्या जांच में श्री शर्मा को दोषी पाये जाने के कारण उन्नाव जनपद से स्थानान्तरण किया गया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा श्री शर्मा का स्थानान्तरण किन कारणों से निरस्त किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मामले में प्रारम्भिक जांच कराई गई । उक्त जांच में श्री भवानी शंकर शर्मा, जिला सहायक निबन्धक का आचरण संदिग्ध पाया गया । श्री शर्मा के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है जिसमें अभी अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुयी है । श्री शर्मा का स्थानान्तरण किया गया था । परन्तु मामले की पुनः जांच के लिये स्थानान्तर रोक दिया गया था । अब वह स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ।

मंडी सचिव, बबेरू, जिला बांदा के विरुद्ध मंडी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

*४९--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या कृषि मन्त्री को मंडीसचिव, बबेरू, जनपद बांदा के विरुद्ध मंडी शुल्क की वसूली में अनियमितताओं एवं हेर-फेर की बाबत शिकायती-पत्र श्री मुन्ने लाल आदि काश्तकारों के द्वारा प्रश्नकर्त्ता के पत्र सहित जुलाई, १९७८ में प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हां । शिकायती-पत्र में सचिव, मंडी समिति, बबेरू के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि समिति के कर्मचारियों द्वारा मंडी शुल्क की वसूली खरीददारों के बजाय किसानों से की जाती है तथा उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है । दूसरी शिकायत यह है कि मंडी सचिव ने छन्ने गलत तरीके से खरीदे हैं । इन शिकायतों की जांच उप निदेशक, विपणन, मंडी परिषद् द्वारा की जा रही है ।

*५०--श्री रणजीत सिंह--

[४थे सोमवार के लिए स्थगित ।]

प्रतापपुर केन यूनियन, जिला देवरिया में फर्जी बांड पर किसानों से वसूली

*५१--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६-७७ में प्रतापपुर केन यूनियन, जनपद देवरिया में खाद का फर्जी बांड किसानों के नाम से बनाकर खाद बेंच दी गयी और उस फर्जी बांड का रुपया किसानों की कीमत में काट लिया गया ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही हुयी तथा किसानों को रुपया मिल जाय, इसके लिए क्या किया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्ष १९७६-७७ में कतिपय किसानों से यह शिकायतें प्राप्त हुयी थीं कि उनके नाम फर्जी बांड बनाकर खाद बेच दी गयी है । इन शिकायतों की विभागीय जांच करायी गयी । इस जांच के आधार पर प्रारम्भिक रूप से दोषी पाये गये कर्मचारियों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही चलाई गई किन्तु अब चूंकि इस

सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी जांच की जा रही है, अतः विभागीय कार्यवाही सतर्कता जांच पूरी होने तक के लिये स्थगित कर दी गयी है। साथ ही इस जांच के दौरान विवादग्रस्त धनराशि का भुगतान भी रोक दिया गया है। जांच पूर्ण होने पर विवादग्रस्त धनराशि को भुगतान एवं दोषी कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाई सम्भव हो सकेगी।

*५२—श्री राजश कुमार सिंह—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*५३—श्री राम जनम राय—

[४थे सोमवार के लिय स्थगित।]

अयोध्या के नये घाटों के किनारे के मैदान के सुन्दरीकरण की मांग

*५४—श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या, जनपद फैजाबाद के नये घाट के किनारों के मैदानों के कृषि विभाग द्वारा सुन्दरीकरण की कोई योजना है? यदि हां, तो योजना कब तक पूरी हो जाएगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

अयोध्या, जनपद फैजाबाद के नये घाट के किनारों के मैदानों के सुन्दरीकरण की कोई योजना कृषि विभाग के विचाराधीन नहीं है। अतः पूरा होने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

मथुरा जिले में सहकारिता विभाग में गबन के मुकदमें

१—श्री हुकुम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में जून, १९७४ से जुलाई, १९७५ तक सहकारिता विभाग में गबन के अरोपों में कितने मुकदमा सहकारिता विभाग पुलिस में पंजीकृत हुये और कितने में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, तथा इस प्रकार के कितने विभागीय अधिकारी निलम्बित किए गए?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अवधि में जनपद मथुरा में गबन के आरोपों में विभाग द्वारा ६ एवं संस्थाओं के सदस्य एवं पदाधिकारियों द्वारा ३५, कुल ४१ मामले सहकारिता विभाग के पुलिस में पंजीकृत हुये।

इनमें से चार मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। कोसी कलां क्रय-विक्रय सहकारी समिति के सचिव, श्री राजपाल सिंह को निलम्बित किया गया।

देवरिया जिले की कतिपय चीनी मिलों में रिसीवर की नियुक्ति एवं घाटा

२—श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन चीनी मिलों का अधिग्रहण हुआ है और किन-किन चीनी मिलों में रिसीवर नियुक्त हुये हैं। ये मिलें चालू सीजन में कब से चली थीं और ३१ मार्च, १९७८ तक इनमें कितनी-कितनी बार ब्रेक डाउन हुआ ? उसके अलग-अलग क्या कारण थे और उससे कितनी-कितनी क्षति हुई ? इन मिलों में जब से रिसीवर नियुक्त हुए तब से ३१ मार्च, १९७८ तक कुल कितना-कितना घाटा था और उसके क्या कारण हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

देवरिया जिले की चार चीनी मिलें महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला, विष्णु प्रताप शुगर मिल्स लि०, खड्डा, कमलापत मोतीलाल भटनी शुगर मिल्स, भटनी तथा ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, लक्ष्मीगंज का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा वर्ष १९७१ में किया गया था। इनमें से महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला पर रिसीवर नियुक्त है इसके अतिरिक्त लक्ष्मी देवी शुगर मिल्स, छितौनी पर भी मई, १९७७ से रिसीवर नियुक्त है। रिसीवशिप चीनी मिलों के चालू सीजन में चलने का दिनांक, ब्रेकडाउन की संख्या, कारण तथा क्षति और रिसीवर की नियुक्ति से ३१-३-७८ तक घाटे का विवरण एवं उसके कारण संलग्नक में दिया हुआ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३९ पर)

देवरिया जिले के विकास खन्ड, पथरदेवा के प्रधान लिपिक के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

३—श्री श्रीनारायण—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को जनपद देवरिया, ब्लाक पथरदेवा के प्रधान लिपिक के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यमुना प्रसाद—

जी नहीं।

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन द्वारा सहायक इंजीनियर के पद हेतु कथित विज्ञापन

४—श्री श्रीनारायण—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा मई, १९७७ में कितने सहायक इन्जीनियरों के पदों का विज्ञापन निकाला गया था और उसके लिये कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दिए थे और कितने भर्ती किए गए ? और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के लोग सेवा में लिए गए ?

श्री शिव मंगल सिंह--

यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा मई, १९७७ में सहायक इन्जीनियरों की नियुक्ति हेतु कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया था। अतः वांछित सूचना शून्य है।

फतेहपुर जिले में कानपुर-खजुहा-देवमई मार्ग पर बस सर्विस

५--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला फतेहपुर में कानपुर से खजुहा व देवमई को रोडवेज बसों का आवागमन होता रहा है, परन्तु अब देवमई ब्लाक तक रोडवेज बसों का आवागमन बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस आमदनी वाले मार्ग पर पुनः बसें चलाने की कृपा करेगी।

श्री आबिद अली--

वर्तमान में खजुहा-कानपुर-लखनऊ सेवा हेतु एक बस चल रही है। यही सेवा १३ किलोमीटर देवमई तक बढ़ाई गयी थी। परन्तु आय कम आने के कारण दिनांक २९-१२-७७ से इस सेवा को खजुहा तक पुनः सीमित कर दिया गया। निगम ने उक्त सेवा वर्षा ऋतु के पश्चात् परीक्षण के तौर पर देवमई तक पुनः चला देने की सूचना दी है।

६-७--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[४थे सोमवार के लिए स्थगित]

मथुरा जिले की सहकारी समितियों के सदस्यों से ऋण की वसूली

८--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ऐसे कितने सदस्य हैं जिन पर ५० हजार से अधिक कर्जा है और अभी तक उनके विरुद्ध वसूली के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतावेंगे कि ५० हजार और उससे अधिक कर्ज वाले सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मथुरा जनपद की सहकारी समितियों के किसी भी सदस्य पर ५० हजार से अधिक का कर्जा नहीं है, अपितु विभिन्न सहकारी समितियों के ६ सदस्यों एवं भूतपूर्व पदाधिकारियों पर लगे कर्जे के अतिरिक्त उन पर समिति के अन्य सदस्यों के नाम फर्जी ऋण वितरण की धनराशि का भी दायित्व है जिसकी धनराशि प्रत्येक पर ५० हजार से अधिक है। इसमें से एक के विरुद्ध धारा ९५ 'क' के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया, तीन के विरुद्ध सालासी कार्यवाही की जा रही है तथा एक के विरुद्ध धारा ६८ के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही आरम्भ की गई है। फर्जी ऋण वितरण के सम्बन्ध में उक्त में से दो पदाधिकारियों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। शेष मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

मथुरा जिले के बस स्टैन्ड सादाबाद पर मेल गाड़ियों के रुकने के सम्बन्ध में आदेश

९—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के प्रमुख बस स्टैन्ड सादाबाद पर मेल गाड़ियां रोकने के आदेश अक्तूबर, १९७७ में पारित किए गए थे ? यदि हां, तो अब तक मेल गाड़ियां सादाबाद बस स्टैन्ड पर क्यों नहीं रोकी जा रही हैं ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ ?

श्री अबिद अली—

जी हां ।

साधारण सेवाओं के साथ मेल गाड़ियां भी सादाबाद में रोकने के कड़े आदेश पुनः दिये जा चुके हैं तथा इसके पालन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

१०-११—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में स्थगित]

छितौनी गन्ना मिल, देवरिया पर बकाया गन्ना मूल्य

१२—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि देवरिया जिले की छितौनी गन्ना मिल पर मई, १९७८ तक काश्तकारों को कितनी रकम बाकी है ? इस धनराशि को उन्हें दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दिनांक १-८-७८ को छितौनी गन्ना मिल पर ३१ मई, १९७८ तक सीजन १९७७-७८ का ९६.८८ लाख रुपये गन्ना मूल्य देय हुआ जिसमें से ७४.६४ लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया और २२.२४ लाख रुपये बकाया हैं इसके अतिरिक्त पूर्व का ·९० लाख रुपये बकाया हैं अर्थात् कुल २३.१४ लाख रुपये की रकम काश्तकारों की बाकी हैं । गन्ना आयुक्त को निर्देश दे दिये गये हैं कि वह इसका शीघ्र भुगतान करावें ।

१३—श्रीमती शारदा देवी—

[४थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उद्यान एवं फल उद्योग निदेशालय में की गयी नियुक्तियों का विवरण

१४—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फल उद्यान विभाग के निदेशालय में जुलाई, १९७७ से १५ फरवरी, १९७८ तक कुल कितनी नई नियुक्ति किस-किस पद पर की गई ? उनका नाम व पता क्या है तथा किस-किस जाति के कितने लोग नियुक्त किए गए हैं ? उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उद्यान एवं फल उद्योग विभाग के निदेशालय में जुलाई, १९७७ से १५ फरवरी, १९७८ तक कुल १ नई नियुक्तियां टंकक लिपिक, सहायक लेखाकार मीन चालक, ओवरसीयर, रिकार्ड कीपर एवं डिसपेचर तथा प्रयोगशाला परिचर के पदों पर की गई। नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम, जाति व पते की सूची सदन के पटल पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७४१ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार का वायुयान बीच बैरन के चार्टर की दर

१५—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का वायुयान बीच बैरन सन् १९७५ जून से सन् १९७७ जून तक किस-किस को चार्टर पर दिया गया तथा उस समय चार्टर की क्या रेट थी ? किस-किस से पूरा भुगतान हो गया और किनका अभी बकाया है ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश सरकार का वायुयान बीच बैरन सन् ७५ जून से सन् ७७ जून तक निम्नलिखित को चार्टर पर दिया गया :—

१—देहली फ्लाइंग क्लब।

२—उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, लखनऊ।

३—डा० पाल राड मिल।

४—श्री राजनारायण जी।

५—चौधरी चरण सिंह जी।

चार्टर की दर निम्नलिखित थी :—

१—८५० रुपये प्रति उड़ान घंटा

२—१२५ रुपये प्रति रात्रि ठहरने का उक्त सभी से पूरा भुगतान हो गया है।

१६—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती में गबन

१७—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला सहकारी बैंकिंग यूनियन, बस्ती में लगभग २ लाख रुपये से अधिक का गबन हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग गबन करने के जिम्मेदार हैं और ३० मई, १९७८ तक उनके विरुद्ध सरकार ने कौन सी कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और जो विशेष आडिट हुआ उसमें अब तक और क्या-क्या अनियमिततायें तथा गबन प्रकाश में आए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती के वर्ष ७४-७५ से ७-२-७८ तक के विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में २ लाख रुपये से अधिक के अपहरण का उल्लेख किया गया है ।

अन्तरिम विशेष लेखा प्रतिवेदन पर सचिव, जिला सहकारी बैंक लि०, बस्ती की जांच रिपोर्ट दिनांक ४/६-४-७८ के अनुसार ४७,०७४.०० रु० के स्पष्ट अपहरण की पुष्टि हुई जिसके लिये तीन निम्नलिखित कर्मचारी व एक खातेदार दोषी पाये गये :--

सर्वश्री--

१--खलीलुर्रहमान, लेखा लिपिक

२--भगवती प्रसाद यादव, मुख्य आंकिक

३--राम अभिलाष त्रिपाठी, सचिव

४--असगर अली, खातेदार

उपरोक्त ३ दोषी कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा उक्त चार व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली, जनपद बस्ती में अपराध संख्या ३६० धारा ४०९ भा० द० वि०, दिनांक १८-४-७८ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई ।

अन्तिम विशेष लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक २४-७-७८ को प्राप्त हुआ जिसके अनुसार गबन, दुरुपयोग तथा अनियमितता के और मामले प्रकाश में आये हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है ।

गोरखपुर तथा लखनऊ के परिवहन विभाग द्वारा लीलैन्ड डीलरों से सामान की खरीद

१८--श्री सुखपाल पान्डेय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९७६ से मई, १९७८ तक अधिकृत लीलैण्ड डीलर गोरखपुर तथा लखनऊ से किस-किस महीने में कितने का सामान गोरखपुर तथा लखनऊ परिवहन विभाग में खरीदा गया ? क्या यह सही है कि शासन के कड़े एवं स्पष्ट आदेश के विपरीत अनेक अन्य फर्मों से कर्जी कुटेशन मंगा कर सामान खरीद कर लगाये गये। और जनवरी, १९७६ से ३० मई, १९७८ तक कितने-कितने का सामान लीलैंड डीलर के अतिरिक्त अन्य डीलरों से किस-किस महीने में कितने रुपए का सामान क्रय किया गया ? यदि हां, तो क्यों और आदेश के उल्लंघन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ।

श्री आबिद अली--

जनवरी, १९७६ से मई, १९७८ तक अधिकृत लीलैन्ड डीलर गोरखपुर से किसी भी महीने में कोई भी सामान नहीं खरीदा गया क्योंकि इस अवधि में गोरखपुर में कोई अधिकृत लीलैंड डीलर नहीं था ।

लीलैन्ड के अधिकृत विक्रेता, लखनऊ से अन्य फर्मों की तरह कुटेशन द्वारा सामान खरीदा गया । खरीदे गये सामान का माहवार विवरण संलग्न है ।

जो भी सामान क्रय किया गया उसमें शासन के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७४३ पर)

राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा (जे० एस० आई०) कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी के पद हेतु आयोजित परीक्षा एवं परीक्षाफल

१९—श्री राम सजीवन तथा श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी (जे० एस० आई०) के पद के लिए १८ अक्तूबर, १९७७ को डी० ए० वी० कालेज, कानपुर में परीक्षा ली गयी थी और हजारों अभ्यर्थियों को बुलाया गया था ? यदि हां, तो उसका परीक्षा फल घोषित किया गया कि नहीं ? क्या सरकार परीक्षा में पास लोगों की एक लिस्ट सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री आबिद अली—

जी हां । परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है । चयन सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७४८ पर)

सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन

२०—श्री हाकिम लाल—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनवरी, १९७७ से मई, १९७८ तक जिला सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं में कितने व्यक्तियों को नियुक्त-पत्र जारी करने के लिए निबन्धक या अतिरिक्त निबन्धक ने सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देश जारी किए तथा इस विषय में उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा कथित चयन में हरिजनों के लिए सुरक्षित नियुक्तियां उन्हें राजकीय नीति के अनुसार दी गई हैं । यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनवरी, १९७७ से मई, १९७८ तक सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा चयनित ६७२ अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिये जिला सहकारी बैंकों को आवंटन-पत्र निर्गत किये गये । सेवा मंडल द्वारा कुल ७०४ अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था । १८ प्रतिशत के आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति के १२६ अभ्यर्थी चुने जा सकते थे परन्तु सेवा मंडल द्वारा केवल ७३ अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी ही चुने जा सके क्योंकि अन्य अभ्यर्थी निर्धारित अर्हतायें पूरी नहीं करते थे । अतः राजकीय नीति के अनुसार ही चयन किया गया ।

पडरौना तहसील में गेहूं के बीज का आवंटन

२१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पडरौना तहसील में इस वर्ष रबी फसल में कितने किसानों को गेहूं का बीज वितरित किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

वर्ष १९७७-७८ में पडरौना तहसील के ७,३५१ कृषकों को रबी फसल में गेहूं का बीज वितरित किया गया ।

२२—श्री रवीन्द्र सिंह—

[५ वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

२३—श्री राम आसरे वर्मा—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

२४—श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

[४ थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस स्टेशन पडरौना, देवरिया में पेय जल एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था

२५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रोडवेज बस स्टेशन पडरौना (देवरिया) में पेय जल, यात्री विश्राम कक्ष, बिजली, पंखा आदि के अभाव से यात्रियों को अपार कष्ट है तथा बस स्टेशन की ऊपरी मंजिल का स्वीकृत भवन भी आज तक नहीं बना है ? यदि हां, तो उपर्युक्त व्यवस्था कब तक पूर्ण हो जाएगी ?

श्री आबिद अली—

रोडवेज बस स्टेशन पडरौना (देवरिया) में पेय जल की व्यवस्था है ।

यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेन्जर हाल बना दिया गया है एवं खम्भों के बीच में बैठने की जगह है जो यात्रियों द्वारा बैठने के लिए प्रयोग की जाती है ।

निगम पंखों की व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील है ।

पडरौना बस स्टेशन के ऊपरी मंजिल के भवन निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मथुरा जिले में ट्रैक्टरों व ट्रालियों का चालान

२६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ जनवरी, १९७७ से १५ मार्च, १९७८ तक मथुरा जनपद में ए० आर० टी० ओ०, मथुरा (आगरा) में कितने ट्रैक्टरों व ट्रालियों के चालान किए ?

श्री आबिद अली--

दिनांक १-१-७७ से दिनांक १५-३-७८ तक ए० आर० टी० ओ०, मथुरा (आगरा) ने मथुरा जनपद में ९८ ट्रैक्टरों के चालान किये जिसमें ४१ ट्रालियां सम्मिलित हैं ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री श्यामाचरण बाजपेयी के निधन पर

शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री श्यामाचरण बाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे । ११ अगस्त, १९७८ को एक लम्बी बीमारी के बाद बांदा में उनका स्वर्गवास हो गया । उन्होंने बचपन से ही राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था । वे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे । उनके विचारों में वह कूट-कूट कर भरी थी । स्वतन्त्रता संग्राम में वे कई बार जेल भी गए । कई स्वायत्त सेवी संस्थाओं से भी उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । ६५ वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो गयी । सन् १९५० में वे इस विधान सभा में एक उप निर्वाचन में जीत कर आए थे । उसके बाद अपनी लोकप्रियता के कारण सन् १९५२ में पुनः वे जीत कर यहां आए और सन् १९५७ तक विधान सभा के सदस्य बने रहे । वे अपने विचारों के बड़े ही धनी थे । लोक सेवा की भावना उनमें भरी थी । आज वे हमारे बीच में नहीं रहे । बांदा जनपद के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है । मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना आप उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

बांदा जिले के एक स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी श्री श्यामाचरण बाजपेयी के सम्बन्ध में जो संवेदना के शब्द माननीय नेता सदन ने यहां पर व्यक्त किए हैं, मैं भी अपने को और अपने दल को उससे पूर्णतया सम्बद्ध करता हूं । श्री बाजपेयी बांदा जनपद के और बुन्देलखंड के एक ख्यातिनामा नेता थे। स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया । अपने जनपद में वे बड़े ही लोकप्रिय थे और राष्ट्रीय भावना से सतत ओतप्रोत थे । बांदा जनपद की काफी शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य समाज सेवा संस्थाओं से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । उनकी सेवाएं शिक्षा जगत में सदा चिरस्मरणीय रहेंगी । बांदा जनपद में और बुन्देलखंड में उनके निधन से जो रिक्तता आई है वह दीर्घकाल तक अखरेगी । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपाकर हमारी व हमारे दल की संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

स्वर्गीय श्री बाजपेयी के सम्बन्ध में जो संवेदना माननीय नेता सदन माननीय नेता कांग्रेस (आई) दल द्वारा जो व्यक्त की गयी है मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)--

माननीय नेता सदन, माननीय तिवारी जी व श्री नेगीजी ने जो भावनाएं स्वर्गीय श्री बाजपेयी जी के सम्बन्ध में व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बन्ध करता हूं। बांदा जनपद के और बुन्देलखंड के एक जनप्रिय नेता थे और बहुत सी संस्थाओं में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा संस्थाओं में उनका योगदान विशेषकर रहा है। उनके निधन से बुन्देलखंड और विशेषकर बांदा जनपद को विशेष हानि हुई है। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से और कांग्रेस दल की तरफ से संवेदनाएं शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें और यह भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और उनके सन्तप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति भगवान दे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय सदन के नेता ने और माननीय तिवारी जी ने, नेगी जी ने और यादव जी ने जो श्यामाचरण बाजपेयी के निधन पर शोक के अल्फाज कहे हैं मैं अपने को और अपने दल को भी उनसे सम्बद्ध करता हूं और आशा करता हूं कि आप उनके दुखी परिवार को हमारी भावना भेज देंगे।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मान्यवर, नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, मैं अपने और अपने दल को नेता सदन के प्रस्ताव से सम्बद्ध करता हूं। श्री श्यामाचरण बाजपेयी के निधन से जो क्षति पहुंची है उसके लिए मैं अपने तथा अपने साथियों की तरफ से आप से प्रार्थना करता हूं कि मेरी संवेदनाएं दुःखी परिवार तक पहुंचा दी जायं।

श्री अध्यक्ष--

श्री श्यामाचरण बाजपेयी के निधन पर माननीय नेता सदन तथा विरोध पक्ष के अन्य नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री श्यामा चरण बाजपेयी इस सदन में ७ साल तक सदस्य रहे। मुझे उनके सम्पर्क में रहने का अवसर मिला। बांदा के वह बड़े लोकप्रिय जनसेवक थे। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन की बड़ी क्षति हुई है उसके लिए हम सब लोगों को अत्यन्त दुख है। सदन में उनके प्रति जो भावनायें प्रकट की गयी हैं, वह मैं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब आपसे अनुरोध है कि २ मिनट उनके सम्मान में मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट मौन खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज की कार्य सूची की नत्थी 'ग' के प्रश्न संख्या २ का उत्तर

अधिक लम्बा होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, आज प्रश्नोत्तर काल में जब माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी उत्तर दे रहे थे ६ पन्ने का, तो बड़ी लाचारियां आप ने भी प्रकट की और हम लोगों के सामने भी बड़ी लाचारियां आई और ६ पन्ने उन्हें पढ़ना पड़ा। उस समय भी मैं खड़ा हुआ था, उस सम्बन्ध में मैं आप की आज्ञा चाहता हूं कि आप कृपया नियम २८ और नियम ३८ देख लें। उसमें लिखा है---प्रश्नों का रूप तथा विषय क्या होगा, किस प्रकार और कितना लम्बा होगा, किस तरह से और उसमें क्या-क्या बातें होंगी और किस तरह से अध्यक्ष उसको रेगुलेट करेंगे और अगर उसकी परिधि में नहीं आता तो किस तरह से आप को काट-छांट करने का कितना अधिकार है।

प्रश्नों के उत्तर देने का भी ढंग है। नियम ३८ में प्रश्नों का उत्तर देने का ढंग निहित है। मैं पढ़ रहा हूं। 'प्रश्नों के उत्तर प्रश्नो के विषय से सुसंगत होंगे और यदि अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में हो सकेंगे' मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि आप को अधिकार है, प्रश्न को आप मंजूर कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप को अधिकार है कि अगर उत्तर लम्बा है तो उसको सभा पटल पर रखवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे ६ पन्नों का उत्तर पढ़ा गया और १०, १२ मिनट लगे जिससे अनुपूरक प्रश्नों का समय नहीं मिला, तो ऐसी सूरत में मेरा आप से निवेदन है कि आगे के लिये, जहां तक मैं समझता हूं कि आप को पूरा अधिकार है, तो इतना लंबा उत्तर आप काट दें, जिससे संक्षिप्त रूप से उत्तर आये।

श्री अध्यक्ष---

जो प्रश्न स्वीकृत किया गया था वह नियम २८ के अनुसार था। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर जिस प्रकार से दिया गया है वह बहुत लंबा था और सदन का समय लिया गया। मैंने उसी समय कहा और जैसा माननीय तिवारी जी ने संकेत किया कि विवरण को पटल पर रख देना चाहिये था। उत्तर संक्षिप्त हो सकता था। लेकिन, चूंकि हमारे कार्यालय में, कई दफे, मैंने व्यवस्था भी दी है, उत्तर बहुत देर से आते हैं और सदस्यों को जितने समय में वितरित करना चाहिये, हम नहीं कर पाते हैं। अगर समय से पहले उत्तर आता तो जरूर कार्यालय में जांच हुयी होती। मैं संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह अपने विभागों को इस बात का आदेश दें कि उत्तर संक्षिप्त होना चाहिये और यदि उसमें विवरण अंतर्ग्रस्त हो तो उसको एनेक्शर-नत्थी की शक्ल में दिया करें। प्रश्नों के उत्तर के साथ पांच-पांच पेज की नत्थियां भी आई हैं। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री ने इतना लंबा उत्तर पढ़ा इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं यह समझता हूं कि यह विभागीय सचिवों का भी काम है कि वह उत्तर सुव्यवस्थित, सुचारु और संक्षिप्त लिखें जिससे सदन में समय अधिक न लगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इतना संक्षिप्त न हो कि जवाब ही न मिले ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो जाहिर है ।

माननीय कल्प नाथ जी, मैं आप को बाद में बुलाऊंगा । पहले मैंने जो सूचनायें स्वीकृत की हैं उनको ले लूं ।

जौनपुर में साहू कोल्ड स्टोरेज में श्री यादवेन्द्र यादव की रहस्य मय मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, जनपद जौनपुर में साहू कोल्ड स्टोरेज में दिनांक ३० जून, १९७८ को यादवेन्द्र यादव उम्र करीब २५ वर्ष निवासी ईशापुर, थाना कोतवाली को मृत पाया गया जिसकी सूचना पुलिस को दी गयी । पुलिस ने लाश को बरामद करके पोस्ट-मार्टम हेतु भेज दिया । साहू कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने घटना को पानी की टंकी में डूबने से हुई है बतलाया, जबकि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से उक्त बात साबित नहीं होती है गले पर चोट का निशान गले पर खून के काले धब्बे मृतक के शरीर पर दिखलाई पड़ रहे थे । स्थानीय पुलिस कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से मिलकर केस को दबवाना चाहती है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मृतक के परिवार वालों ने मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री को एक ज्ञापन दिया है कि उनके लड़के की मृत्यु स्वाभाविक तौर से नहीं हुई है बल्कि हत्या की गयी है और हत्या को छिपाने के लिये मालिकों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया था । इस हत्या को हुये करीब दो माह हो रहा है ।

क्षेत्र की जनता में अत्यन्त रोष व असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है । मुझे ज्ञात हुआ है कि मुख्य मंत्री जी जौनपुर दौरे पर जब गये हुए थे मौखिक रूप से उच्चस्तरीय जांच का आश्वासन दे चुके हैं ।

मेरा आप के माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय तथा सही तथ्यों को प्रकाश में लाकर सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय ।

जनपद नैनीताल में भारी वर्षा तथा भू-स्खलन से क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सम्मानित सदन को सूचित करना अपना कर्तव्य समझता हूं कि अगस्त, १९७८ के प्रथम व दूसरे सप्ताह में मेरे जनपद नैनीताल में हुई भारी वर्षा के कारण पर्वतीय अंचल के अनेक ग्रामीण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामदत्त जोशी]

क्षेत्रों में हुये भारी भू-स्खलन के कारण खेतों और आबादी के आवास गृहों को भारी क्षति पहुंची है, सरोवर नगरी नैनीताल में भी माल रोड का धरातल धंस रहा है। झील समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुये सरकार द्वारा सुरक्षात्मक उपायों के लिये लाखों रुपये की धनराशि प्रदान किये जाने के बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि क्षरण रोकने और झील में मलवा न जाने देने, बरसाती पानी के सुगम निकास की व्यवस्था का काम मुस्तैदी से नहीं किया गया। अतएव भारत की प्रसिद्ध पर्यटक नगरी नैनीताल के लिये अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो गयी है।

मेरे जनपद नैनीताल के मैदानी भाग भी, फीका, ढेला, कोसी, दाबका, गौला जैसी छोटी नदियों की बाढ़ ने भी भयंकर रूप धारण कर सैकड़ों बीघा कृषि भूमि का कटाव किया है। रामनगर तहसील की हरिजन आबादी के गांव मालधन ब्लाक के तीन गांवों में ढेला नदी द्वारा लगभग १५० एकड़ भूमि को प्रभावित किया गया है और उनका आबादी क्षेत्र भी खतरे में है। काशीपुर के जसपुर नामक इलाके में फीका नदी की बाढ़ के कारण दो गांवों की पूरी आबादी को गांव छोड़कर भागना पड़ा और लगभग २०० एकड़ भूमि पानी में डूब गयी थी, फसलें पूर्णतः नष्ट हो गयी। इसी प्रकार बाजपुर तहसील के सुल्तानपुर सरकार नामक गांवों में कोसी नदी ने अपना परम्परागत मार्ग बदल कर लगभग २०० बीघा जमीन जिसमें फसलें खड़ी थी उन्हें काटकर बहा दिया। उपरोक्त पहाड़ों से उतरने वाली नदियों के वर्षाकालीन वेग से कृषि भूमि को बचाने तथा नदियों के परम्परागत मार्गों को गहरा करने अथवा उनकी सफाई कराने का कार्य अभी तक अपेक्षित रहा है। सरकार को इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

फैजाबाद के औद्योगिक प्रतिष्ठान यू० पी० रूफिना की तालाबन्दी के फलस्वरूप कर्मचारियों द्वारा आमरण आश्वासन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद में औद्योगिक प्रतिष्ठान यू० पी० रूफिना में कर्मचारियों ने गत २२ अगस्त से आमरण अनशन कारण फैक्ट्री बन्दी की घोषणा के विरोध में कर दिया है। फैक्ट्री के प्रबन्धकों ने १८ कर्मचारियों को अवैधानिक रूप से बिना वेतन व अन्य बकायों को भुगतान किये ही सेवा समाप्त कर दिया है। आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारियों की हालत अत्यन्त गंभीर हो गयी है। इसमें से कई चिकित्सालय फैजाबाद में भर्ती किये गये हैं। जिनकी हालत काफी चिंताजनक है।

मैं माननीय सदन के इस अविलंबनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर उद्योग मंत्री से वक्तव्य की मांग करता हूं तथा यू० पी० रूफिना फैजाबाद के अकारण तालाबन्दी समाप्त करने तथा कर्मचारियों के बकाया वेतन दिये जाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर के एक कर्मचारी की पत्नी तथा बच्चों के अपहरण के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से इस माह के आरंभ में चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की एक सनसनीखेज घटना की ओर सदन का ध्यान लाते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत ३ अगस्त, १९७८ को चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का एक हरिजन कर्मचारी जिस समय फैक्ट्री में काम कर रहा था और उसकी युवा पत्नी अपने तीन मासूम बच्चों के साथ खेत में धान की रोपायी करने गयी थी उसी समय कुछ व्यक्तियों ने आकर उसे यह सूचना दी कि तुम्हारा पति फैक्ट्री में बुरी तरह घायल हो गया है और तुम्हे बार-बार याद कर रहा है ज्यों ही उसकी पत्नी रोपायी का काम छोड़कर अपने पति को देखने के लिये रोती हुई दौड़ पड़ी, उसी समय कुछ दूर आगे चलने पर कुछ अवांछनीय तत्वों ने उसका अपहरण कर लिया।

अपहरण की जानकारी होने पर बन्धू नामक अन्य हरिजन स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया परन्तु वहां के थाना इंचार्ज ने उसे डाटकर बाहर निकाल दिया। पुलिस अधीक्षक से मिलने पर उन्होंने शीघ्र कार्यवाही का आदेश दिया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

अपनी पत्नी और बच्चों के अपहरण के कारण वह हरिजन कर्मचारी बराबर रोता रहता है। संभावना है कि कहीं वह इसी तरह अपना दम न तोड़ दे। मान्यवर, मैंने स्वयं चुर्क पहुंच कर उस बन्धु नामक हरिजन से मिल कर पूरी जानकारी प्राप्त की है। रोते बिलखते उसने अपनी पूरी करुण गाथा सुनाई। मान्यवर, विगत ५ वर्षों से वहां पर इस प्रकार की ५, ६ अपहरण की घटनाएं हो चुकी हैं। पता चला है कि एक इस प्रकार का गैंग बहुत सक्रिय है। अतः आप के माध्यम से यह सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाय और इस घटना के सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन के संज्ञान में लाया जाय।

सेकसरिया शुगर मिल जिला गोंडा के कर्मचारियों को वेतन न मिलने के फलस्वरूप चल रही हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

महोदय, आपका ध्यान चीनी मिल मजदूर संघ बभनान जिला गोंडा के द्वारा सेकसरिया शुगर मिल बभनान की तरफ दिलाना चाहता हूं। उक्त चीनी मिल के कर्मचारियों को पांच माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। मजदूर संघ के महामंत्री के द्वारा वैधानिक नोटिस दिनांक २२ जुलाई, १९७८ को देकर माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय श्रममंत्री, माननीय गन्ना विकास मंत्री, श्रमायुक्त महोदय, श्रम सचिव महोदय, गन्ना आयुक्त एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दे कर दिनांक ११ अगस्त, १९७८ से अपने बकाया भुगतानों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

प्राप्ति हेतु अनिश्चित काल तक हड़ताल करने की सूचना दे दी गई थी और उक्त चीनी मिल में मजदूरों द्वारा दिनांक ११ अगस्त, १९७८ से अनिश्चित काल की हड़ताल शुरू कर रखी है । परन्तु श्रम विभाग एवं सरकार ने आज तक लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया । उक्त चीनी मिल में बाहर के तथा स्थानीय मजदूर कार्यरत हैं । जिन्हें पांच-पांच महीने से वेतन न मिलने के कारण मजदूरों की हालत चिन्ताजनक हो गयी है ।

अतः आप से अनुरोध है कि बभनान चीनी मिल के मजदूरों का वेतन बकाया होने के कारण १८ दिनों से चल रही हड़ताल से एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है और मिल के अधिकारियों द्वारा मजदूर नेताओं पर घातक हमला कराने के लिये कई बार प्रयास किया गया । मैं आपके माध्यम से स्वच्छ वातावरण बनाने के लिये मांग करता हूं कि चीनी मिल बभनान जिला गोंडा पर प्रशासक नियुक्त करने का आदेश शीघ्र कराने के लिये सरकार को बाध्य करें । जिससे फैली हुई अशांति व्यवस्था समाप्त हो, क्योंकि चीनी मिल बभनान के मालिकान अपना प्रभाव सरकार पर डाल कर प्रशासक के नियुक्ति के कार्य में विलम्ब करवा कर उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं ।

सीतापुर तथा अन्य जिलों में सरकारी वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही किये जाने तथा किसानों को बकाया गन्ना मूल्य न दिये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, सीतापुर जिला तथा प्रदेश के अन्य समस्त जिलों में उन काश्तकारों से सरकारी देयों की वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाहियां की जा रही हैं, जिनका देय के बराबर अथवा उसका अधिक धन चीनी मिलों पर बकाया है । सीतापुर जिले की सूचना है कि अनेक काश्तकारों की सम्पति नीलाम कर दी गई, पशु कांजी हाउस में बन्द कर दिये गए और गन्ने के मूल्य बकाया की परिचर्या दिखाते रहे । इन घटनाओं से प्रदेश के काश्तकारों में भीषण चिन्ता, भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त है ।

मान्यवर, किसान का बकाया सरकार न दिलाए और अपना बकाया वसूल करने के लिये उसे बेघरबार तथा रोजी विहीन कर दें, इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी ? समस्या के औचित्य को स्वीकार करते हुए भी अभी तक जिला अधिकारियों को कोई समुचित कार्यवाही करने का निर्देश नहीं दिया गया ।

अतएव आप के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह अत्याचार लाते हुए मेरा आग्रह है कि इस आशय के आदेश अविलम्ब निर्गत करने की कृपा की जाय कि जिन काश्तकारों को गन्ने की आपूर्ति का मूल्य नहीं मिला है, उनसे सरकारी देयों की वसूली में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना अथवा जोर जबरदस्ती की कार्यवाही नहीं की जायगी और जो की गई है, उसे रोक दिया जायगा ।

मुख्य मंत्री इस सदन में उपस्थित हैं । मसला यह बहुत गंभीर है । इसलिये उनसे इसपर वक्तव्य दिलवा दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' में प्रकाशित आपत्तिजनक वाक्यों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आपका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' के २० अगस्त से २६ अगस्त, १९७८ के अंक में प्रकाशित इस खबर से "श्री राम नरेश यादव मंत्रि परिषद् के एक सदस्य के विरुद्ध एक थाने में दर्ज कुछ आपत्तिजनक वाक्यों से उत्पन्न कौतूहल, उत्तेजना एवं असंतोष" की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, कलकत्ता से प्रकाशित 'रविवार' के उक्त अंक में प्रकाशित टिप्पणी पर दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को सदन में नियम ६३ के अन्तर्गत विशेषाधिकार भंग के सिलसिले में सदन की कार्यवाही में यह प्रकट भी हुआ और माननीय अध्यक्ष ने उक्त टिप्पणी "बदमाश आदमी बालिसिलाए बजारत लखनऊ में रहता है । इलाके में जानवरों की चोरी कम हो गयी है । फिर भी सख्त निगरानी रखी जाय" के अंशों को पढ़ कर भी सुनाया जिससे सदन भी अवगत हुआ । दिनांक २५ अगस्त, १९७८ को जिसके सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में समाचार भी प्रकाशित हुआ ।

सम्प्रति पूरे प्रदेश में यह चर्चा का विषय बन कर लोकमहत्व का प्रश्न बन गया है । प्रान्त के करोड़ों लोग यह जानना चाहते हैं कि वह मंत्री कौन है क्या यह समाचार सत्य है और मैं समझता हूं कि शायद यह समाचार निराधार है । मेरी और प्रान्त की करोड़ों जनता की यह इच्छा है कि वर्तमान सरकार की इज्जत और मर्यादा बढ़े और इसके प्रति उत्पन्न गलत फहमियां दूर हों ।

अतः आपके माध्यम से नियम ३०१ के अन्तर्गत यह महत्वपूर्ण सूचना प्रेषित करते हुए निवेदन है कि कृपया इस सम्बन्ध में शासन की तरफ से वक्तव्य दिलवायें ताकि प्रदेश में शासन का सम्मान बढ़े और उत्पन्न गलतफहमी दूर हो ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

एक निवेदन है. . . .

इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता । आप बैठें । गृह मन्त्री जी, इसकी कोई प्रविष्टि किसी थाने में नहीं है । समाचार में यह सूचना निराधार बदनाम करने के लिये दी गयी है और मन्त्री ने अनुरोध भी किया था कि इसका स्पष्टीकरण हो. . . .

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

किस मन्त्री ने किया था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने अभी कहा है कि किसी मन्त्री ने कहा है। आपको बतलाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

३०१ में कोई विवाद नहीं हो सकता । अब आप बैठें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

इस पर मुख्य मन्त्री जी अपने विचार प्रकट करेंगे ।

श्री देव बहादुर सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा । इस पर अब कोई विवाद नहीं हो सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

विवाद तो आप ने शुरू किया । आपने कहा कि थाने में कोई रिपोर्ट नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं नहीं बैठूंगा ।

(कई सदस्य खड़े हो गये और व्यवधान करने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायें, इस पर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

आप जैसे चाहेंगे, वैसे सदन नहीं चलेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने इसको कैसे उठवा दिया है ? आप स्पष्टीकरण....

श्री अध्यक्ष--

नियम ३०१ के प्रश्न जब समाप्त हो गये, तो इस पर कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

यह प्रश्न ३०१ का समाप्त हो गया, जब कोई व्यवस्था का प्रश्न होगा तो लूंगा ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपने कहा किसी थाने में किसी मन्त्री का ऐसा रिकार्ड नहीं है, तो यह कहीं भी उसकी नोटिस में नहीं था, आपने स्वतः ऐसी सूचना बताई, जो न शासन की ओर से बताई गई और न किसी सदस्य ने दी है । फिर मुख्य मन्त्री का आपने दो बार नाम लिया, तो हमें अधिकार है विरोधी दल को और सभी सदस्यों को कि वह जान सके कि आपको ऐसी सूचना किसने दी और क्या सूचना दी ? आपने मुख्य मन्त्री को दो बार कहा, लेकिन वह खड़े नहीं हुए, तो यह क्या मामला है ? यह नियम ३०१ का मामला नहीं है । यह शासन के एक सदस्य के बारे में जो स्पष्टीकरण मिला, आपको जो सूचना दी गई, मैं समझता हूं वह भी गलत है, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी चुप रहे । जो सूचना है वह सही नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने अभी कहा कि वह मन्त्री मुझ से मिले और कहा कि इस पर जांच हो, तो कौन से मन्त्री आपसे मिले ? उसका आप नाम बता दें, इसको आप गोपनीय नहीं रख सकते हैं ।

(व्यवधान)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यहां पर कुछ प्रश्न उपस्थित हुए और आपने स्वयं कहा है कि किसी थाने में इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो आपका सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है ? यदि मन्त्री ने बताया है तो बता दें और यह भी बताने की कृपा करें कि कौन से मन्त्री हैं जिसके कथन के आधार पर आपको यह सूचना देनी पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--

आपको अनुमति नहीं है, आप बैठ जाइये । इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को खड़े होने की आवश्यकता नहीं थी । जैसे नियम ३०१ पर निर्देश होते हैं, मैंने मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य देने के लिए कहा है । मैंने यह सूचित किया कि इस सूचना को लेकर एक मन्त्री ने....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कौन मन्त्री हैं ?....

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिए बाध्य नहीं हूं ।

श्री गुलाब सेहरा--

आपको बताना होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

किस नियम के अन्तर्गत ?

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह--

आप सदन की रक्षा करें, किसी व्यक्ति या मन्त्री की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इस प्रश्न पर....

श्री देव बहादुर सिंह--

सरकार किसी चीज को गुप्त रखे, यह चीज तो समझ में आती है, लेकिन अध्यक्ष रखें, यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग चाहते थे कि सबके सामने आवे, तो मैंने कहा माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर वक्तव्य दिला दें । इस पर वक्तव्य आयेगा, अब बात समाप्त हुई ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जब एक बात आपके संज्ञान में आ गई है, तो उसको जानने का अधिकार इस सदन को है । यह नियम की बात है। आपने दो बातें कहीं । एक, किसी थाने में इस प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं है और दूसरी बात कि मन्त्री जी खुद आपसे मिलने गए थे और कहा कि इसकी जांच कराई जाये । ये दो बातें अब आपके संज्ञान में आ गई हैं तो जो आप जानेंगे, मान्यवर, वह सदन भी जानेगा । तो वह क्या बात है जिसकी सूचना आपको मिली ?

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर इजाजत नहीं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि आपका नाम इतिहास में अमर हो जाय । जो आपकी गरिमा है, इतना अनुभव है, कि जब स्पीकरशिप का इतिहास लिखा जाय तो हमेशा आपको याद की जाय । इसी दृष्टिकोण से आपसे आग्रह कर रहा हूं । आपने मुख्य मन्त्री जी को इशारा किया । मुख्य मन्त्री जी ने आपके इशारे को समझा ही नहीं तो क्या किया जाय । चार दिन हो गये । एक मन्त्री पर विशेषाधिकार का आरोप आया । आपने कहा कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता, इसलिए इसको नहीं ले सकता । लेकिन शासन को चाहिये था, मुख्य मन्त्री जी को चाहिये था कि यदि आरोप निराधार है, जैसा कि आपने कहा कि साधिकार नहीं है, लेकिन तथ्य है । वह ठीक छपा, या गलत छपा, शासन की ओर से कुछ नहीं कहा गया । नियम ३०१ की सूचना आज आयी । आपने उस पर शासन को मौका दिया । आपने कहा कि कोई मन्त्री मिले । आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम नहीं लिया, लेकिन शायद अब आप ले लेंगे। आप स्वयं जानते हैं। जो मुख्य मन्त्री जी नहीं छिपा सकते, उसको आप क्यों छिपायेंगे ? इसलिए आग्रह है कि कृपया हम पर और सदन पर कृपा करें और उसके बारे में बतायें।

गृह मन्त्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश से सूचना मंगा ली है। १००१ थाने हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना मांगी गई है कि किसी शासन के सदस्य के बारे में किसी थाने की जनरल डायरी में कोई बात लिखी गयी है ? क्या कोई ऐसा वायरलेस गया और क्या उसकी सूचना माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास आयी ? आखिर वह कौन मन्त्री हैं ? उन्होंने क्या कहा ? जब आपके पास, मान्यवर, सूचना आ सकती है, तो मैं नहीं मानता कि मुख्य मन्त्री जी के पास न आयी होगी। उनके पास, मान्यवर, सूचना है लेकिन अभी तक उनकी बात में सच्चाई नहीं मालूम होती। इसलिये आपने दो बार इशारा किया। मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि वह बड़े सचेत हैं और पूरी जांच कर लेना चाहते हैं और तभी कुछ कहना चाहते हैं और इसलिये अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन चार दिन हो गये, आपने उनको दो बार इशारा किया। तो निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर आज उत्तर नहीं दे सकते, तो कोई तारीख लगा दें।

मान्यवर, आप कृपया बता दें ताकि उनकी सहायता हो जाय। मुख्य मन्त्री जी को शायद न मालूम हो। हमारी सहायता के लिये नहीं तो शासन की सहायता के लिये ऐसा कर दें। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि दोषारोपण कभी-कभी गलत तरीके से हो जाता है। शासन के सदस्यों पर कभी-कभी गलत दोषारोपण हो जाता है। लेकिन दोषारोपण होता है तो शासन के सदस्य का कर्तव्य हो जाता है कि सदन में उसके बारे में कुछ कहे। लेकिन मुख्य मन्त्री जी कुछ नहीं कह रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी कुछ नहीं कह रहे तो उनको तो बता दें कि वह कौन है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मान सिंह जी ने जो कहा है, मैं उसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर,....

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद नहीं।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि ऐसे सवाल पर जो बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, उस पर आपने तीन दिन सदन का समय लिया और आपने बार-बार भाषण करवाया और आज आप

नोट--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री मैनेजर सिंह---]

कहते हैं कि वह तथ्यहीन है। अगर यह तथ्यहीन था तो तीन दिन क्यों बहस करवायी? जब माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे उनके सहयोगियों ने जोर दिया तो आपने फिर भाषण करवाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की बेबुनियाद और तथ्यहीन खबरों पर सदन का बहुमूल्य समय लेना और शासन की छवि को धूमिल करना क्या उचित है? आप इस प्रकार करते हैं तो यह उचित नहीं है। आप जनता पार्टी के सदस्य हैं और दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के बेबुनियाद तथ्यों पर सदन का समय नष्ट करते हैं और जनता शासन की छवि को धूमिल करते हैं और दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी के कुछ सदस्यगण भी ऐसा ही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं श्री मैनेजर सिंह का कृतज्ञ हूं कि वह अवैतनिक परामर्शदाता अध्यक्ष का बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से बार-बार हस्तक्षेप करके वह स्वयं सदन के कार्य में व्यवधान डालते हैं। जो प्रश्न सदन के सामने आयेंगे अगर वह ग्राह्य होंगे तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। इस नियम ३०१ के प्रश्न पर कोई अनुपूरक पूछ सकता है। यह अनुचित है कि आप बार-बार...

श्री मैनेजर सिंह---

मैं यह बात सुनने का आदी नहीं हूं। मैं जा रहा हूं।

(श्री मैनेजर सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री देव बहादुर सिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो आचरण अभी आपके समक्ष हुआ है वह आचरण क्या किसी माननीय सदस्य का होना चाहिये और क्या यह आचरण माननीय सदन और माननीय सदस्यों का अपमान नहीं है? आपने न कोई चेतावनी दी, न कोई बात कही। यह सदन कैसे चलेगा?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। उस दिन गुलाब सेहरा ने केवल इतना कहा था कि आप उनका राजनीतिक कारणों से सदा पक्ष लेते हैं। इस पर आपने उनको प्रताड़ित किया। मैनेजर सिंह जिन्होंने उस दिन बड़ जोर से प्रोटेस्ट किया था वही आज आप पर लांछन लगा रहे थे कि आप सत्ता पक्ष की छवि धूमिल कर रहे हैं तो क्या आप उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष---

मैंने उनका ध्यान आकर्षित कर दिया।

एक सदस्य---

मान्यवर, लांछन का प्रश्न ही नहीं है। मैनेजर सिंह ने किसी ऐसे विवाद को नहीं उठाया।

(व्यवधान)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

हम लोग जो विरोध पक्ष में हैं, बहुत छोटा विरोध पक्ष रह गया है, अगर आप हमारे अधिकारों को संरक्षण नहीं देंगे तो कैसे संरक्षण मिलेगा ? हमारे साथी भगवती प्रसाद सिंह को उस दिन निकाल दिया गया। आप इधर के लोगों को निकालते हैं, प्रताड़ित करते हैं लेकिन उधर से बराबर इस तरह का आचरण होता है और फिर भी न किसी को प्रताड़ित किया गया और न निकाला गया। इसलिये आप कृपया निष्पक्ष होकर निर्णय दिया करें।

श्री अध्यक्ष--

श्री नेगी जी ने जो बात कही है वह सही नहीं है। इस पक्ष के लोगों को भी मैंने सदन में व्यवधान डालने पर हटाया है। उस दिन श्री नारायण दत्त तिवारी ने शब्दों को वापस नहीं लिया तो मैंने भर्त्सना की थी। मैंने मैनेजर सिंह को भी कहा कि स्पीकर को अवैतनिक परामर्श देना चाहते हैं यह उनका कार्य अनुचित है। निस्सन्देह जिस तरह का व्यवहार करते हैं, मान लीजिये वह रूलिंग प्रस्तावित करते हैं, तो यह सदन का अपमान है और मैंने कहा कि यह अनुचित है और मैं इसको निन्दनीय समझता हूं। अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। यह जो नियम ३०१ है आपने अवश्य उसमें यह जोड़ दिया कि जो अविलंबनीय महत्व की सूचना होगी और जिन पर शासन का तत्काल ध्यान जाना आवश्यक होगा वह स्वीकृत की जायंगी। माननीय मैनेजर सिंह ने जो नियम की आपत्ति उठायी थी उस सम्बन्ध में उनका मंशा आपका कोई अपमान करने का नहीं था। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियम की आपत्ति उठायी थी कि नियम ३०१ का जो प्राविधान है उसके अन्तर्गत जिस सूचना को स्वीकार किया है वह उसके अन्तर्गत आती ही नहीं। जब इस विषय पर दो दिन इस सदन के अन्तर्गत चर्चा हो चुकी तो उस समय बेशक आप मुख्य मन्त्री और नेता सदन को निर्देश दे सकते थे कि शासन पक्ष की ओर से वह स्पष्टीकरण दे दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शासन की ओर से कोई सफाई नहीं आयी। सफाई आप की ओर से आयी जिस पर उन्होंने आपत्ति उठायी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

पहले उनकी व्यवस्था का उत्तर हो जाने दें। श्री मोहन सिंह जी ने पुनः मेरे निर्णय पर आपत्ति की है और स्वयं उन्होंने इसका औचित्य भी बता दिया कि मैं मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री को कह देता कि वक्तव्य दे दें। तो मैंने यही काम किया। नियम ३०१ में माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि जो सूचना विशेषाधिकार के नाम पर शीर्षक से समाचार-पत्रों में आयी उससे भ्रान्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष---]

पैदा हुई । यह अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न हो गया । इसलिए नियम ३०१ में जैसा आपने स्वयं कहा, निर्देश दे रहा हूं कि स्थिति स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य दे दें ।

*श्री जनर्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपके माध्यम से नियम ३०१ में चर्चा का कोई प्रश्न नहीं है और न ही निर्देश देने का प्रश्न है क्योंकि जो सूचना दी तो माननीय सदन के बहुत से सदस्य हैं, मैं भी एक हूं जो उसको नहीं समझ सके । जो सूचना आपने दी और किसी माननीय सदस्य की समझ में नहीं आयी तो जानकारी आपसे प्राप्त करें या न करें ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने पूर्ण सूचना आपको दी । उसमें किसी स्पष्टीकरण की गुंजाइश नहीं । इसीलिए जो वक्तव्य आयेगा मन्त्री की तरफ से उसमें पूरा स्पष्टीकरण होगा ।

श्री विजयराज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज नियम ३०१ के अन्तर्गत मा० सदस्य ने सूचना दी तो आपने कहा कि माननीय मन्त्री ने इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दिया है और आपने यह भी कहा कि देखने में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, मन्त्री के विरुद्ध । मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने वक्तव्य दिया यह शासन की तरफ से जानकारी दी या स्वयं के स्रोतों से है ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ३०१ में प्रत्येक को निर्देश देना आवश्यक नहीं है। चूंकि मैं निर्देश दे रहा था, जो सूचना मुझ को मिली उसे बता दिया और मैंने वक्तव्य देने के लिए कहा । मेरे पास जितने माननीय सदस्य हैं सभी मेरे कक्ष में आ कर सूचना देते हैं । उसमें निर्णय करने में मदद मिलती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इसमें एक बात यह कहूं कि जो मन्त्रि मंडल के सदस्य आपसे मिले थे क्या वह वक्तव्य देंगे ? क्या माननीय मुख्य मन्त्री कोई तारीख लगायेंगे, क्या होगा ? लेकिन मालूम होना चाहिए । शासन से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

वह स्वयं अपने आप माननीय मुख्य मन्त्री जी ....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिम् यत कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम् ।

श्री अध्यक्ष--

आपको तिथि मालूम हो जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, ऐसा है कि तिवारी जी अब उधर बैठे हैं इसलिये बहुत आकुल दिखायी पड़ रहे हैं। वाकपटु भी हैं। इसलिये अपनी वाकपटुता का प्रदर्शन समय-समय पर किया करते हैं। माननीय तिवारी जी की मंशा जो है वह पूरी हो रही है। वह यह है, वह यह जरूर चाहते हैं, जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह काम वह पिछले दिनों में कर चुके हैं। इस लिए यह अपेक्षा करते हैं, किसी तरह से सदन का समय अनायास बरबाद किया जाय। मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष के निर्देश का पालन होगा। यह जरूर है तिवारी जी भी जानते हैं, रहे हैं सत्ता में, उन्होंने किस तरह से वाक्पटुता के आधार पर सत्ता में रहने का प्रयास किया है। इस लिये जहां पर कभी भी समाचार-पत्रों में भ्रामक और ऐसे असत्य तथ्य भी आते हैं, यह भी उनसे छिपा नहीं है, मैं समझता हूं कि वह उसे भी विचार कर लें। यह भी उसी श्रृंखला में एक जरूर है।

देवरिया तथा गोरखपुर जनपद में घाघरा व राप्ती के संगम पर पवहरिया ग्राम में भीषण कटाव से उत्पन्न परिस्थिति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से शासन का ध्यान गोरखपुर, देवरिया जिले में घाघरा और राप्ती के संगम पर पवहरिया ग्राम में, कूर और परसिया, गौरा, बरहज तथा तकिया धरहरा में भीषण कटाव हो रहा है। राप्ती नदी इतनी तेजी से काट रही है कि पवहरिया गांव की सैकड़ों एकड़ भूमि नदी की धारा में विलीन हो चुकी है। पवहरिया गांव के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कूर, परसिया भी कट रहा है और घाघरा नदी ने इसके सैकड़ों एकड़ भूमि को अपने पेट में समाहित कर लिया है। गौरा गांव में भी कटाव है। स्थानीय ड्रेनेज विभाग के कर्मचारियों का बार-बार इस संबंध में ध्यान दिलाया। उनका कहना है कि तात्कालिक बचाव के लिए उनके पास आवश्यक धन नहीं है। इसलिए वे किसी भी तरह का राहत कार्य नहीं कर सकते। उपरोक्त गांवों की जनता आतंकित है। गौरा गांव के बचाव की योजना कई वर्षों से बन रही है और अभी तक उस पर किसी तरह का प्रयत्न नहीं हो रहा है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के जरिये शासन से मेरी अपील है कि तत्काल इन गांवों को कटाव से बचाव का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

आगरा मण्डल की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से व्याप्त चिन्ता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा मण्डल में कानून व व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन गिर रही है। शहरों में चाकूबाजी व गोलीकांड की अनेकों घटनायें हैं लेकिन राष्ट्रीय मार्गों पर दिनदहाड़े जो लूटमार व हत्यायें हो रही हैं उसके दिन प्रतिदिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

समाचार मिल रहे हैं । अभी हाल ही में पिछले दो माहों में जो मुख्य घटनायें हुई हैं उनका निम्न ब्यौरा है :--

(१) २५ अगस्त, सादाबाद-आगरा मार्ग पर एक कार की दिन दहाड़े लूट, लगभग तीन लाख रुपये की लुट, ड्राइवर की हत्या कार नं० यू० एस० पी० २५८२ ।

(२) २५ अगस्त--अलीगढ़, ग्राम अवनगढ़ी में दो ग्रामीणों की हत्या ।

(३) २५ अगस्त--थाना आगरा रकाबगंज के अन्तर्गत श्री चन्द्रभान की चाकू प्रहार से हत्या ।

(४) २ जुलाई--आगरा थाना हरीपर्वत के अन्तर्गत सिटी रेलवे स्टेशन के पीछे दिनदहाड़े लूट ।

(५) ३ जुलाई--मथुरा बलदेव में गोलीकांड व हजारों की लूट ।

(६) १ जुलाई--आगरा थाना वहां के अन्तर्गत थाना धोवई में ७० वर्षीय श्री तेज सिंह की गोली मारकर हत्या ।

(७) ५ जुलाई--आगरा थाना छत्ता के क्षेत्र में पथवारी पर दिन दहाड़े ८,००० की लूट ।

(८) ५ जुलाई--मैनपुरी थाना जसराना के ग्राम मरेजानी सराय में ६० वर्षीय वृद्धा की हत्या ।

(९) ८ जुलाई--थाना फिरोजाबाद के अन्तर्गत ग्राम भीमनगर में डकैती ।

(१०) ९ जुलाई--थाना निवोरा (फतेहबाद ग्राम नन्दपुरा) में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या ।

उक्त दैनिक घटनाओं से राष्ट्रीय मार्गों पर असुरक्षा बढ़ गयी है । विशेष रूप से आगरा में विदेशी पर्यटक भी इन्हीं राष्ट्रीय मार्गों के द्वारा आते-जाते रहते हैं । अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा का प्रबन्ध अति आवश्यक है । साथ ही विशेष बात यह है कि मण्डल के किसी भी जिले की पुलिस राष्ट्रीय मार्गों पर डकैती करने वाले गिरोहों को अभी तक नहीं पकड़ पायी है । मण्डल के पुलिस उप महानिरीक्षक इस सन्दर्भ में अकर्मण्य साबित हो चुके हैं । उल्लेखनीय है कि आगरा मंडल से दो जी० टी० रोड निकलते हैं । आपके माध्यम से शासन से आग्रह करूंगा कि उक्त लूटमार करने वाले गिरोहों को पकड़ने के लिए उच्च स्तरीय कारगर कदम उठाकर सदन को अवगत करायें ।

आर्यनगर, लखनऊ की एक १५ वर्षीय लड़की के लापता होने से छात्राओं में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ के आर्यनगर में रहने वाले बाइज्जत आदमी की एक लड़की जो कि एक कालेज में पढ़ती है और जिसकी आयु १५ साल है, १५ अगस्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से लापता है। इसकी रिपोर्ट थाना नाका हिंडोला में १६ अगस्त को लिखायी गयी और लड़की के पिता तथा अन्य रिश्तेदारों ने उच्च अधिकारियों से भी बातचीत की है परन्तु अब तक लड़की का पता नहीं चल पाया। ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की किसी बड़े तस्करों के गैंग के हाथ पड़ गयी है जो इण्टर-स्टेट काम करता है और लखनऊ जिसका हेडक्वार्टर है। लड़की के पिता का यह कहना है कि उसकी लड़की उस गैंग से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है क्योंकि उसको खतरा है कि अगर उसने उनसे निकलकर जाने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जायगा। इस गम्भीर घटना से लखनऊ शहर में और विशेष तौर से कालेज को जाने वाली लड़कियों में असन्तोष बेचैनी और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय सदन के द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

स्वतंत्र भारत में प्रकाशित शीर्षक "हसीना की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस के बीच खींचतान" के सम्बन्ध में नियम ३०० के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं नियम ३०० के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, यह नियम दो प्रकार से आपके संज्ञान में आता है। एक तो सदन में कोई विषय लम्बित हो और उसमें नियमों का उल्लंघन होता हो उस दशा में या कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो। मान्यवर, आप देखेंगे कि समय-समय पर ऐसे विषय इस सदन में उठाये जाते रहे हैं, जिनका सम्बन्ध इस सदन से और सरकार से रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज स्वतंत्र भारत में प्रकाशित एक समाचार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसके बाद अपने बिन्दु आपकी व्यवस्था हेतु आपके सम्मुख रखूंगा। मान्यवर, उसमें प्रकाशित हुआ है कि "हसीना की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच खींचतान" यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में वार्ता करने का प्रयास कर रही है और बीच में यह भी लिखा है कि इस तरह की एक घटना लगभग १२ वर्ष पूर्व घटी थी, उस समय टीकमगढ़ पुलिस ने झांसी से २ बार विधायक रहने वाले दीवान रघुनाथ सिंह को पकड़ लिया था, क्योंकि उस क्षेत्र के डाकुओं को पकड़वाने में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद की थी। एक घटना हो चुकी है उसी का उल्लेख उसमें किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह जी, यह औचित्य का प्रश्न किस प्रकार है?

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह---]

मैं वही बता रहा हूं कि यह औचित्य का प्रश्न कैसे है। आप देखें, इसमें लिखा है कि बुन्देलखण्ड के विधायकों ने प्रदेश के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से मिलकर स्थिति से अवगत कराया। आप देखें कि प्रदेश के एक इलाके में जहां पर डाकुओं का आतंक है, वहां पर की जो स्थिति है उसको वहां के विधायकों ने शासन को अवगत कराया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ ३३२ पर निर्णय संख्या २८५ को आप देखें। उसमें है कि व्यवस्था के प्रश्न पर सदस्यों को सुनने अथवा न सुनने का अधिकार अध्यक्ष को है। ४ सितम्बर, १९६४ को गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हुए निर्वाचन में चुनाव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विषय पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित पत्रों की मांग के विषय पर श्री नेकराम शर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

चुनाव ट्रिब्यूनल के सम्बन्ध में व्यवस्था उठायी जा सकती है तो यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे इस प्रदेश के विधायकों को अपने कर्तव्य के पालन करने में कठिनाई हो रही है। जनता आतंकित है और विधायक आतंकित है और वह अगर आतंकित है तो इस सदन की कार्यवाही पर असर पड़ेगा। सदस्य होने के नाते सदन अथवा उसके बाहर उनके कर्तव्यों में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी? शासन को इस सम्बन्ध में क्या जानकारी है, उससे भी आप अवगत हो जायें तो आपको निर्णय देने में सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष---

यह जो आपने प्रश्न उठाया है वह नियम ३०० (२) के अधीन है। आपने उसको स्वयं पढ़कर सुनाया और उस नियम का स्वयं आपने उल्लंघन किया है। उसमें तो यह लिखा है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा, परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो।" आपने हवाला दिया गोण्डा के सदस्य का। उसमें तो लिखा है कि सरकार के वक्तव्य पर श्री नेकराम शर्मा ने औचित्य का प्रश्न उठाया। तो यहां पर सरकार का कोई वक्तव्य तो है नहीं। यह आपने अखबार के आधार पर उठाया है। अतः यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं यह भी सूचित करता हूं कि इस विषय का एक प्रश्न मैंने स्वीकार किया है। तब उस प्रश्न के उत्तर में सरकार की जानकारी आपके सामने आयेगी। इसलिए औचित्य के प्रश्न के रूप में, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

"आपातकाल में निरुद्ध राजनैतिक बन्दियों को सुविधाएं" नामक पुस्तिका में कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की राजाज्ञाओं को शामिल करके सदस्यों को वितरित करने की श्री अध्यक्ष के निर्देश की शासन द्वारा अवहेलना किये जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः आपको स्वयं स्मरण होगा और माननीय सदन को भी जानकारी होगी कि पिछले सत्र में एक दिन यहां पर 'आपातकाल में निरुद्ध राजनैतिक बंदियों को सुविधाएं' नामक पुस्तक वितरित की गयी थी लेकिन

राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो शासनादेश निर्गत किए गए हैं, उनकी जानकारी उसमें नहीं है । अपने मेरे औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए थे कि यह पुस्तक फिर से माननीय सदस्यों को वितरित की जाय, जिसमें आपातकाल में निरुद्ध किए गए कर्मचारियों को शासन क्या-क्या सुविधायें दे रहा है, उनको भी घोषित कर दिया जाय । मान्यवर, मैं तो यह अपेक्षा करता हो रहा कि यह पुस्तक रिवाइज होकर आयेगी, लेकिन मजबूर होकर मैंने प्रश्न की सूचना दी । उसका जो उत्तर मुझे दिया गया उसमें बताया कि चूंकि राजाज्ञायें गोपनीय हैं अतएव उनको पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है नियम ३८ (३) में सरकार को यह अधिकार है वह किसी भी मामले में, उत्तर में यह जवाब दे सकती है कि यह गोपनीय है, लेकिन जहां तक इन राजाज्ञाओं का ताल्लुक है इसमें सदन के अधिकारों को आपको संरक्षण देना है । इनका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख हो चुका है, इस सदन में चर्चा हो चुकी है और उनके आधार पर सदन में उत्तर भी दिए जा चुके हैं फिर यह राजाज्ञायें कैसे गोपनीय हो गयी हैं । पुस्तकों के प्रकाशन का उद्देश्य यह रहता है कि लोग जान जायं कि उन्हें क्या-क्या सुविधायें मिलनी हैं और उनके अनुरूप वे प्रार्थना कर सकें । राज्य कर्मचारियों का जहां तक सम्बन्ध है मेरी यह निजी जानकारी है कि बहुत से कर्मचारी जो आपातकाल में राजनीतिक कारणों से जेल गये थे, कितनों को वेतन नहीं मिला है और वेतन भी मिल गया तो उनको नौकरी नहीं मिली और अगर नौकरी भी मिली तो वरिष्ठता नहीं मिली है । ये सब मामले लेकर अगर वे फरियाद करते हैं तो वहां के अधिकारियों द्वारा उनको कोई उत्तर नहीं दिया जाता है । उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको इनकी जानकारी नहीं होती । अतः आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नियम ३८ (३) का बन्धन स्वीकार न करते हुए जनहित में बड़ा भारी काम होगा यदि राजाज्ञायें, जो पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं, गोपनीयता का नाम न लेकर उनको पुनः छपवाया जाय । इस सम्बन्ध में, मैं आपकी सहायता चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आपने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया । इसमें जो निहित प्रश्न है वह गोपनीयता का है । इस पर शासन विचार कर लेगा और मैं भी इन तथ्यों पर जानकारी प्राप्त कर लूंगा कि क्या वास्तव में इसमें गोपनीयता अन्तर्ग्रस्त है या नहीं ?

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७८†

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं सहकारिता अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ११९४/१२-सी-१-१९७८, दिनांक २४ फरवरी, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (अष्टम संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष नियमावली, १९७७†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं राजस्व अनुभाग-५ की अधिसूचना संख्या १८-१-(५)/७७-१-५, दिनांक २९ सितम्बर, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष नियमावली, १९७७ को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८†

कृषि राज्य मन्त्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं कृषि अनुभाग-८ की अधिसूचना संख्या ३२४५/१२-८-४५-७४ यू० पी० ए० २५/६४-रूल-६५-ए० एम० (१)-७८, दिनांक १० फरवरी, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, १९७८†

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं शिक्षा अनुभाग-६ की अधिसूचना संख्या ८९८८/पन्द्रह-६-२८ (११)-७२, दिनांक १३ फरवरी, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ की धारा १९ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

फैजाबाद सर्किट हाउस में एक व्यक्ति की बिजली से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)---

मान्यवर, ७ सितम्बर, १९७७ को विधान सभा के शून्य प्रहर में फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी विधायक द्वारा सदन की जानकारी में लाये जाने पर माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारा निर्माण मन्त्री जी को मामले की जांच कराकर सदन को यथाशीघ्र सूचित किये जाने के निदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को दिनांक १४ सितम्बर, १९७७ के एक अन्तरिम उत्तर भेज दिया गया था कि इस दुर्घटना की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय अधिकारियों की जांच समिति का गठन किया जा रहा है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त पर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति यह है कि दिनांक १५ सितम्बर, १९७७ को प्रश्नगत जांच समिति श्री एम० एल० गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित हुयी, जिसके सदस्य श्री शेर सिंह,

†छापी नहीं गयी।

चीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर तथा श्री भगवान दास राठी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग थे। उपर्युक्त समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय थे :—

(१) दुर्घटना के कारण।

(२) दुर्घटना के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

(३) क्या उपरोक्त दुर्घटना के पूर्व अधिशासी अभियन्ता अथवा अधीक्षण अभियन्ता जिनके अधीन यह सरकिट हाउस था, द्वारा स्वयं इस सरकिट हाउस की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया अथवा नहीं ?

(४) अन्य कोई तथ्य जो समिति निष्पक्ष जांच हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त जांच समिति के संयोजक मुख्य परिवाद अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग थे तथा उन्होंने समिति की जांच आख्या सीधे ही शासन को जनवरी, १९७८ में प्रस्तुत की थी। अतः जांच समिति की प्रश्नगत आख्या के विषय में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से १ फरवरी, १९७८ को उनकी आख्या मांगी गयी थी, उनकी आख्या तथा संस्तुतियां शासन को अप्रैल, १९७८ के मध्य में प्राप्त हुयी थी।

उक्त जांच में कथित दुर्घटना के निम्नलिखित कारण पाये गये :—

(१) १९ अगस्त, १९७७ को फैजाबाद सरकिट हाउस में खाद्य मन्त्री के निजी सेवक श्री नरसिंह द्वारा कूलर के इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप किये जाने के कारण दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। अतः श्री सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार किसी अधिकारी/कर्मचारी को नहीं पाया गया।

(२) इस दुर्घटना का कारण यह भी पाया गया कि कूलर का कलेक्टिंग तार तीन कोर का न होकर दो कोर का था जिसके कारण कूलर को अर्थिंग नहीं मिली। इसकी वजह यह पायी गयी कि उक्त सरकिट हाउस की देख-रेख मुस्तैदी से नहीं की गयी और समय-समय पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा व्यवस्था का निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रश्नगत जांच आख्या पर मुख्य अभियन्ता की संस्तुति प्राप्त होने पर उक्त दुर्घटना के सम्बन्ध दोषी पाये गये अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित दण्ड दिया गया है :—

(१) जांच समिति ने उक्त दुर्घटना के लिये मुख्यतः श्री एजाज हुसैन इलेक्ट्रीशियन (सिविल खण्ड) को दोषी पाया क्योंकि इन्होंने सरकिट हाउस में अपने उत्तरदायित्व का भली प्रकार निर्वाह नहीं किया। अतः श्री एजाज हुसैन, इलेक्ट्रीशियन की सेवा समाप्त करने हेतु दिनांक ७-६-१९७८ को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निदेश दे दिये गये हैं।

(२) श्री ब्रह्मचारी पान्डे, अवर अभियन्ता (वि०/यां०) जिन्हें इसी मामले में निलम्बित किया गया था, का निलम्बन समाप्त कर उनके पद पर बहाल करने तथा उन्हें निलम्बन काल का अवशेष वेतन न देने एवं उनकी एक वेतन वृद्धि (अस्थायी) रूप से रोकने के विषय में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिनांक ७-६-१९७८ को दे दिये गये हैं।

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

(३) श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता (वि०/यां०) जिन्हें इसी मामले में निलम्बित किया गया था, को दिनांक ७-६-१९७८ को उनके पद पर बहाल किया गया तथा उन्हें दिनांक १४-७-७७ के आदेश से जांच समिति के समक्ष गलत बयानी के लिये निन्दित किया गया है तथा इन्हें निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन न देने हेतु कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

(४) श्री आर० के० सिंह, सहायक अभियन्ता (सिविल) ने लगभग ढाई माह पूर्व ही सरकिट हाउस का चार्ज लिया था, किन्तु इन्होंने वि०/यां० अभियन्ता को नियतकालिक निरीक्षण व टेस्ट करने को नहीं कहा । अतः श्री सिंह को चेतावनी तथा उसकी प्रति उनकी चरित्र पंजी में रखने हेतु दिनांक ७-६-७८ को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निदेश दे दिये गये हैं ।

(५) श्री ओ० पी० खरे, अधिशासी अभियन्ता (वि०/यो०) को सरकिट हाउस फैजाबाद के विद्युत् अधिष्ठान का वार्षिक निरीक्षण न करने के लिये चेतावनी दी गयी जिसकी प्रतिलिपि उनकी चरित्र पंजिका में रख दी गयी है । यह आदेश शासन द्वारा दिनांक २०-६-७८ को प्रसारित किये गये हैं ।

इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दिनांक १३-९-७७ को मुख्य अभियन्ता ने समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं को को निम्नलिखित निर्देश दे दिये हैं :—

(१) सरकिट हाउस का वर्ष में दो बार तथा निरीक्षण भवनों आदि का वर्ष में एक बार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, वि०/यो० द्वारा विस्तृत निरीक्षण तथा टेस्टिंग किया जाय ।

(२) अधिशासी अभियन्ता (वि०/यो०) वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सरकिट हाउस का स्वयं निरीक्षण करेंगे ।

इसके अतिरिक्त दिनांक ३-५-७८ को मुख्य अभियन्ता ने समस्त अधिशासी अभियन्ताओं (सिविल) को यह निर्देश दिये हैं कि अधिशासी अभियन्ता (सिविल) अपने क्षेत्र में पड़ने वाले सरकिट हाउस का वर्ष में एक बार विस्तृत निरीक्षण करके लिखित निरीक्षण टिप्पणी अवश्य जारी करें तथा उसकी प्रति सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को अवश्य भेजें ।

श्री राज बहादुर यादव, विधायक, जौनपुर की मिर्जापुर के जिला अस्पताल में इंजेक्शन लगने के कारण हुई मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, श्री राज बहादुर यादव, विधायक, निवासी जौनपुर को डाक्टर उदय सिंह लगभग सात वर्ष से जानते थे । श्री राज बहादुर जौनपुर के रहने वाले थे तथा डाक्टर सिंह वहीं सर्जन थे । डाक्टर सिंह ने श्री राज बहादुर का इलाज लगभग दो-तीन वर्ष पहले किया था, जब वे बम्बई से हर्निया का आपरेशन कराकर आये थे और उनका जख्म पक गया था तब से कभी-कभी श्री राज बहादुर उनसे अपनी बीमारियों का इलाज कराते रहते थे ।

२--इस वर्ष डाक्टर सिंह का स्थानान्तरण जौनपुर से मिर्जापुर सीनियर सर्जन के पद पर हुआ। श्री राज बहादुर यादव को २० अगस्त, १९७८ को पेट के दर्द की जांच इलाज के लिये डाक्टर सिंह के पास मिर्जापुर आये जहां डाक्टर सिंह ने उनको अपरान्ह ३.४५ पर दिनांक २० अगस्त, १९७८ को चिकित्सालय में भर्ती किया।

३--चिकित्सालय में दिनांक २० अगस्त, १९७८ को श्री यादव को सिस्टोन (Cystone) बेरालगान (Baralgan) तथा लोसेक्स (Lasix) की गोली दी गयी। सेन्सटीविटी टेस्ट करने के बाद दस लाख यूनिट क्रिसटलाईन पेन्सलीन का इन्जेक्शन लगा।

४--दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को लगभग ८ बजे श्री यादव का एक्सरे हुआ तथा उसमें कोई खराबी नहीं पाई गयी। उनका दर्द भी ठीक हो गया था। इसलिये २१ अगस्त, १९७८ को उन्हें इन्डोर से छुट्टी दे दी गयी तथा एक डिस्चार्ज स्लिप जिसमें दवा लिखी थी वह भी दी गयी।

५--डाक्टर उदय सिंह ने दवा लिखने के बाद फार्मेसिस्ट श्री नन्द जी शर्मा जो कि स्टोर के इन्चार्ज थे को बुलाकर विधायक श्री राज बहादुर को दवा देने के आदेश दिये, तथा एक इन्जेक्शन स्ट्रोपटोपेन्सलीन का लगाने को कहा।

६--श्री नन्द जी शर्मा, फार्मेसिस्ट को निर्देश देकर डाक्टर सिंह वार्डों के राउन्ड लेने चले गये वहीं पर वार्ड ब्वाय बचाऊ उनके पास आया और उनसे बताया कि श्री यादव को दवा का रिएक्शन हो गया है।

७--श्री शर्मा फार्मेसिस्ट का कहना है कि इन्जेक्शन लगाने के तुरन्त बाद श्री यादव को उल्टी आयी तथा घबराहट होने लगी थी।

८--डाक्टर सिंह रिएक्शन की सूचना सुनते ही श्री यादव के पास आये और वार्ड से अपने साथ नर्स को भी एबिल तथा डेकाड्रान इन्जेक्शन समेत लाये।

९--जब डाक्टर सिंह मरीज के पास आये तब वे बोल रहे थे और उन्होंने डाक्टर सिंह से कहा कि मैं अब बच नहीं सकता। उनका चेहरा फूला हुआ था तथा नीला हो रहा था, आंख लाल थी तथा नाखून नीले थे। ऐसा लगता था कि उन्हें ब्रांकोस्पाज्म हुआ था।

१०--आपरेशन थियेटर से नर्स लैरिंगोस्कोप लाई तथा अन्य दवाओं के अलावा श्री यादव को एन्डोट्रैक्यिल ट्यूब डाल कर सक्शन किया तथा आक्सीजन दिया गया।

११--श्री यादव की निरन्तर चिकित्सा की गयी तथा उन्हें निम्नलिखित दवायें दी गयी :--

वेटनोसोल इन्ट्रावीनस--१० एम० (Ampoules)/I/M

इन्जेक्शन डेकाड्रान I/V/IM

आई० वी० ग्लूकोज ड्रिप

कोरामीन आई० वी०

[श्री कल्याण सिंह---]

मिफेनटीन इन्जेक्शन I/V

डैरी फाइलीन इन्जेक्शन I/V

नार एड्रेनिलीन ड्रिप I/V

एड्रेनिलीन इन्जेक्शन S. C.

इन्ट्रा कार्डियल कोरामीन

१२--डाक्टर सिंह के अलावा इलाज के समय उनकी मदद के लिये वार्ड का नर्स, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अर्थोपीडिक सर्जन, फार्मेसिस्ट एक्सरे टैक्नीशियन तथा वार्ड ब्वाय भी उपस्थित थे ।

१३--सब प्रयत्नों के बावजूद श्री यादव का दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को ९ बजे देहान्त हो गया ।

१४--मृतक के शव को पुलिस को सौंप दिया गया तथा उनके आदेशानुसार मृतक का पोस्टमार्टम उसी दिन करा दिया गया और शव पोस्टमार्टम के बाद उनके लड़के को जो वहां मौजूद थे, सौंप दिया गया ।

१५--शव को मेडिकल विभाग के ही वाहन में उनके निवास जौनपुर पहुंचा दिया गया ।

१६--जिस बायल से इन्जेक्शन लगाया गया था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया ।

१७--उस बायल के बैच की अन्य स्ट्रेपटोपेन्सीलिन सील कर दी गयी है ।

१८--बेड हेड टिकट तथा अन्य कागजातों को संयुक्त निदेशक, वाराणसी मण्डल ने अपने कब्जे में ले लिया है ।

१९--स्वर्गीय श्री यादव को २१ अगस्त, १९७८ को इन्जेक्शन लगाने के पूर्व सेन्सटीविटी टेस्ट किया गया था या नहीं इस बारे में विस्तृत जांच कराई जा रही है । अभी तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार इस बारे में अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचना सम्भव नहीं है । पुलिस की विवेचना भी जारी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मैं नियम ३१३ के सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

इसी से सम्बन्धित मान्यवर, मेरा प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नियम ३१३ के अनुसार आपको कुछ अवशिष्ठ शक्तियां प्रदान की गयी है । जिनका प्रयोग करके आप सदस्यों की मदद कर सकते हैं । इसी विषय पर एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आपने मेरा स्वीकृत किया था । प्रश्न

की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये किया होगा इसका तात्पर्य यह है कि आज यह वक्तव्य आ जाने के बाद जैसा नियमों में है हमको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। इस वक्तव्य के बाद मेरा प्रश्न तो आयेगा नहीं। क्योंकि चर्चा हो गयी है। मान्यवर, उनकी निर्मम मृत्यु हो गयी है, अनेक प्रश्न हैं। इंजेक्शन कहां से आया ? किस कम्पनी ने सप्लाई किया ? किन परिस्थितियों में रखा गया ? पूर्व परीक्षा की गयी या नहीं। अनेक प्रकार के संदेह पूरे प्रदेश और भारत में व्याप्त हैं। इस घटना का परिणाम यह भी हुआ है कि जब एक महत्वपूर्ण सदस्य के साथ यह व्यवहार हुआ है तो जन साधारण के साथ क्या व्यवहार होता होगा ? आज राजकीय सेवाओं के प्रति एक प्रश्न पैदा हो गया है। उत्तर में कहा गया है कि पुलिस की विवेचना करायी जा रही है। इंजेक्शन सील कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे मामले की जांच किसी मैजिस्ट्रेट से करायेंगे और तथ्यों की जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आपने पहले मेरा ध्यान नियम ३१३ की तरफ दिलाया। आपने ठीक कहा कि ३०१ के प्रश्नों पर जो वक्तव्य होते हैं उन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। लेकिन ३१३ में जो अधिकार प्रदत्त हैं, क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं, उस पर जो वक्तव्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, उससे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन पर मैं अनुमति दे रहा हूं। लेकिन ३०१ के प्रश्न पर इसको प्रिसीडेंस नहीं बनाया जा सकता।

उस पर मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे रहा हूं लेकिन आगे प्रिसीडेन्स नहीं होगा कि नियम ३०१ में मैं अनुमति दूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है उसमें एक तो २० तारीख को इंजेक्शन दिया गया तो उसमें सेन्सटीविटी टेस्ट किया गया लेकिन २१ तारीख को सेन्सटीविटी टेस्ट किया गया कि नहीं, यह संदिग्ध है तो इसकी जांच करायें ? दूसरे २१ तारीख को जब इंजेक्शन लगाया गया था तो उस समय एन्टी डोज की यहां कोई व्यवस्था थी कि नहीं ? तीसरे पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट क्या है ? चौथे इसकी जांच कौन कर रहा है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार जिस समय इंजेक्शन लगाया गया था तो उस समय एन्टी डोजेज मौजूद थी। दूसरी बात इसकी २१ तारीख को सूचना जिलाधिकारी, मिर्जापुर के माध्यम से क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, वाराणसी को मिली थी। वह तुरन्त वहां पहुंच गये थे। वहां जाकर बयान लिया है। वैसे हमने अतिरिक्त निदेशक को इसकी जांच को सौंपा है।

श्री अध्यक्ष--

२१ तारीख को सेन्सटीविटी टेस्ट हुआ कि नहीं और जिस समय २१ तारीख को इंजेक्शन दिया गया उस समय एन्टी डोजेज वहां उपलब्ध थीं कि नहीं ? यदि थीं तो रिएक्शन हुआ तो तुरन्त दिया गया कि नहीं ? यह देव बहादुर जी का प्रश्न है।

श्री कल्याण सिंह—

मैंने निवेदन किया कि एन्टी डोजेज उपलब्ध थी, वह दी गयीं। पहले दिन सेन्सटीविटी टेस्ट हुआ था। दूसरे दिन २१ तारीख को जब इंजेक्शन लगा तो सेन्सटीविटी टेस्ट कराया गया था कि नहीं यह अभी निश्चित नहीं हो पाया है। यह मैं इसलिये बताना चाहता हूं कि वहां जो दो आदमी फार्मेसिस्ट और एक्सरे टेक्निशियन उपस्थित बताये जाते हैं उनका कहना है कि टेस्ट किया गया है, लेकिन हम निश्चित कर लेना चाहते हैं कि टेस्ट किया गया है कि नहीं, इसलिये अतिरिक्त निदेशक को जांच सौंपी है। अतः मैं निश्चित नहीं हूं कि कह सकूं कि सेन्सटीविटी टेस्ट किया गया है कि नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया कि कज आफ डेथ असरटेन नहीं कर पाये हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर) आपने तीन प्रश्न एक साथ पहले ही पूछ लिये हैं। अब मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, जब मैंने अपना विषय प्रस्तुत किया तो मैंने कुछ संदेह उत्पन्न किये थे और माननीय देव बहादुर जी ने भी संदेह उत्पन्न किये। माननीय मंत्री जी भी स्वयं निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं। मामला गम्भीर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी क्योंकि डिपार्टमेंटल जांच से मतलब सिद्ध नहीं होता और पुलिस जांच भी ठीक नहीं होगी तो क्या इस पूरे मामले की जांच मैजिस्ट्रेट से करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, अतिरिक्त निदेशक को यह काम सौंपा है और हम ऐसे कोई कारण नहीं देख रहे हैं कि उसमें अविश्वास किया जाय। इस नाते से एक रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक के माध्यम से आ जाय और उसकी संस्तुति हो जाय कि उसके पीछे क्या है ? सेंसिटिविटी टेस्ट की थी या नहीं और जो फार्मेसिस्ट, एक्सरे टेक्निशियन वार्ड ब्वाय कह रहे हैं उनके बयान में कितनी सच्चाई है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी ने पैरा ६ में कहा है कि "वार्ड ब्वाय उनके पास आया और उनसे बताया कि श्री यादव को दवा का रिएक्शन हो गया है" तो क्या उनको इंजेक्शन के अलावा दवा भी दी गई। तो जो दवा दी गई वह क्या थी ? उसका रिएक्शन क्या हुआ ?

दूसरा जो सेंसिटिविटी टेस्ट हुई वह पहले दिन जो क्रिस्टलाईज पेनिसिलीन दिया गया उसकी हुई और दूसरे दिन स्टेप्टोपेनसिलीन दिया गया। तो क्या दोनों ही टेस्ट हुए कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह—

मैंने निवेदन किया, पहले दिन जो इंजेक्शन दिया उसकी सेंसिटिविटि टेस्ट हुई और दूसरे दिन के इंजेक्शन की भी सेंसिटिविटि टेस्ट होनी चाहिये। फार्मेसिस्ट और एक्सरे टेक्नीशियन का कहना है कि जांच की थी। लेकिन मैं स्वयं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्वस्त नहीं हूं कि सैंसिटिविटी टेस्ट हुआ कि नहीं । इसलिए इसमें आगे जांच की आवश्यकता है । जहां तक दूसरे सवाल का प्रश्न है कि दवा का तो रिएक्शन नहीं हुआ । तो उसमें वार्ड ब्वाय ने जिस रूप में डाक्टर से कहा उसमें दवा का तात्पर्य इंजेक्शन से है ।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायें कि सैंसिटिविटी टस्ट के निशानात का जिक्र पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में है कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल जो निडिल प्रिक्स थे उनका जिक्र किया गया है । उसमें स्पष्ट नहीं लिखा है कि सैंसिटिविटी टेस्ट करने के प्रिक्स हैं या दूसरे इंजेक्शन के ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो इंजेक्शन दिया गया उसकी तारीख क्या थी ? यह टाइम बार्ड तो नहीं था । आपने पेज दो में पैरा ८ में कहा है कि डाक्टर सिंह रिएक्शन की सूचना सुनते ही श्री यादव के पास आये और वार्ड से अपने साथ नर्स को भी एबिल तथा डैकाड्रान इंजेक्शन समेत लाये । मंत्री जी ने अपने मौखिक उत्तर में कहा कि वह दवा वहां थी जहां यह इंजेक्शन दिया जा रहा था । तो इन दोनों में कौन सही है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इंजेक्शन की मैन्यूफैक्चरिंग डेट दिसम्बर, १९७७ और एक्सपायरी डेट ३० नवम्बर, १९७९ है । मैंने सदन के समक्ष रखा कि वहां पर पहले से ही डैक्वाडन, एबिल इंजेक्शन मौजूद थे ।

चूंकि फार्मेसिस्ट ने अपने बयान में कहा है कि उनको जैसे ही रिएक्शन हुआ, तो एन्टी डोजेज इन्जेक्शन लगाये गये बाकी जो डाक्टर थे, वे उनको साथ लेकर आये । ये सभी परिस्थितियां हैं जिनको सुनिश्चित करके तथ्यों पर पहुंचना है ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि उक्त माननीय सदस्य अपने इलाज के लिये जौनपुर छोड़कर मिर्जापुर क्यों गये ? दूसरी बात, यह जानना चाहता हूं कि जब उनकी मृत्यु हो गयी तो क्यों पोस्टमार्टम के लिये इनके सहयोगियों ने मांग की कि उसको इस हास्पिटल के बजाय दूसरी जगह कराया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न की तो मैं अनुमति नहीं देता क्योंकि वह स्वेच्छा से गये थे । दूसरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें कि क्या उनके सम्बन्धियों ने मिर्जापुर में पोस्टमार्टम की आपत्ति की थी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, इसकी कोई सूचना नहीं है कि उनके घरवालों ने कोई ऐसी सूचना दी थी कि उनका पोस्टमार्टम मिर्जापुर में न कराया जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्ट्रेप्टो-पेन्सलीन किस कम्पनी का बना था और क्या इस बैच के इंजेक्शन से कोई और रिएक्शन हुआ है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह इन्जेक्शन हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक लि० का बना था और बैच नं० ७०२३-१६ था । एक बात और सदन के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि ऐसा आदेश दे दिया है कि इस बैच के जितने स्टेप्टोपेन्सलीन इन्जेक्शन थे, इनका प्रयोग न किया जाय इस बात की जानकारी करनी है कि इन्जेक्शन में तो कोई खराबी नहीं थी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या इस बैच का कोई और इन्जेक्शन लगा जिससे कि रिएक्शन हुआ हो ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप प्रश्न को दोहरा रहे हैं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सदन में जनता को बताना चाहते हैं तो क्या वह इस बात को माननीय सदस्यों को बताना चाहते हैं, या किसी डाक्टर को बताना चाहते हैं या किसको बताना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, सदन को सम्बोधित करने का कोई तरीका होता है । मैं जानना चाहता हूं कि वह यह कहें कि माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, या जनता को सदन में सूचित करना चाहता हूं--क्या उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

उनका तात्पर्य है कि सदन के माध्यम से .... (व्यवधान)

इस बात की माननीय मंत्री जी सूचना दे दें कि क्या इस फेक्ट्री के इन्जेक्शन के रिएक्शन की पहले भी कोई सूचना मिली है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनको २१ तारीख को इत्तला मिली कि स्वर्गीय राज बहादुर यादव का इंतकाल हो गया है तो क्या वह २१, २२ या २३ तारीख में खुद मिर्जापुर तशरीफ ले गये ताकि मौके पर जांच करते ? अगर गये तो उन्होंने किन कर्मचारियों के ऊपर कौन सी कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जांच का कार्य अधिकारियों को सौंपा गया था। मैं खुद नहीं गया था।

श्री गौरी शंकर 'एडवोकेट' (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये स्ट्रेप्टोपेनसलीन कितने और कहां से खरीदे गये थे ? क्या इस लाट से अन्य चिकित्सालयों को भी स्ट्रेप्टोपेनसलीन इंजेक्शन भेजे गये ? यदि हां, तो क्या उन्हें भी सील किया गया ? दूसरा प्रश्न है--क्या माननीय मंत्री जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिससे सदन को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके ?

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि भारत ऐन्टीबायटिक से खरीदा। पोस्टमार्टम के बारे में भी बता दिया इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मंत्री जी ने यह बताया कि २१ अगस्त, १९७८ को इनको इनडोर से छुट्टी दे दी गयी और डिस्चार्ज स्लिप जिसमें दवाएं लिखी थीं वह भी दे दी गयी। जो इसमें लिखा है उसमें स्ट्रेप्टोपेंसलीन का जिक्र नहीं है तो किन परिस्थितियों में यह उनको दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपको कैसे मालूम हुआ कि प्रेस्क्रिप्शन में वह नहीं था।

श्री राम आसरे वर्मा--

यह इसके दूसरे पेज पर लिखा हुआ है।

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, इसका प्रेस्क्रिप्शन था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब मरीज अच्छा हो गया और डिस्चार्ज हो गया तब स्ट्रेप्टोपेंसलीन क्यों दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, डाक्टर ने जो उपयुक्त समझा वह किया। मैं इसका क्या उत्तर दे पाऊंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप इसकी जांच कर लें।

श्री अध्यक्ष--

और भी सम्बन्धित प्रश्न हैं।

प्रति रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम के पुत्र श्री सुरेश कुमार के अपहरण तथा मोदीनगर के एक गांव में निरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज दो कार्य-स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक है श्री आरिफ मोहम्मद, खां श्री गुलाब सेहरा, श्री राम आसरे वर्मा आदि की। वह दिनांक २० अगस्त, ७८ की रात्रि को प्रतिरक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम के पुत्र श्री सुरेश कुमार का अपहरण किये जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मोदी नगर कस्बे में एक मकान में गैर कानूनी ढंग से निरुद्ध रखे जाने तथा पुलिस प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न किये जाने के विषय पर है। तो यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है...(व्यवधान)...हर चीज पर विवाद आवश्यक नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, फिर आपकी समझ में आवे तो सुनिएगा, वरना नहीं। अभी से आप अगर व्यवस्था दे दें, तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं मुख्य मन्त्री जी से मालूम करना चाहूंगा कि आया इस सम्बन्ध में कोई जांच के आदेश दिए गये हैं? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

श्रीमन्, मैं आपकी और जांच की मदद के लिए ही कहना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में तथ्य हैं, उनको देने की आवश्यकता है। मेरी निजी जानकारी में कुछ तथ्य हैं, इसीलिए मैंने यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी निजी जानकारी की बात सही है, लेकिन कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह है कि सदन का सारा कार्य-स्थगित करने के बाद उसको विवाद के के लिए रखा जाए और उसका नियम भी यह है कि अगर उसकी ग्राह्यता को मैं स्वीकार करूं, तो फिर उसको सारा कार्य समाप्त हो जाने के बाद लिया जा सकता है। केवल एक सूचना के आधार पर इन प्रश्नों को लेना, जब तक उसकी प्रामाणिकता सिद्ध न हो जाए, ठीक नहीं होगा। और यह कहना कि निजी जानकारी है, इसलिए मैं इसको..(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर प्रत्येक माननीय सदस्य का अपना अलग दृष्टिकोण हो सकता है। उन्होंने एक बात कही, दूसरे माननीय सदस्य का

या मेरा दूसरा पहलू हो सकता है । मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव का दूसरा हो सकता है । इसमें मेरी आपत्ति यह है...

श्री अध्यक्ष--

न मैंने आपको अनुमति दी है, न इनको दी है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं तो इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह जो कुछ हुआ है यह एक षड़यन्त्र है और पूर्व नियोजित है । मैं उन लोगों के नाम भी बताना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी योजना के साथ यह काण्ड कराया है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका प्रश्न मेरे सामने नहीं है, प्रश्न तो मेरे सामने यह है कि आया मैं इस प्रश्न को कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकृति दूं या न दूं ।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां--

ग्राह्यता के बारे में आप सुन लें । इंडियन पेनेल कोड के तहत दो प्रकार के अपराध हैं, एक हस्तक्षेपणीय है और एक नान-हस्तक्षेपणीय है । यह जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत मोदीनगर में कान्ड हुआ, इसलिए यह भी आवश्यक नहीं था कि फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट थाने में लिखाई गई होती । तो यह लोकमहत्व का प्रश्न इसलिए है कि जनता पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता किसान सम्मेलन के अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न लगा हुआ है, यह मैं नहीं कह रहा हूं । तो इन घटकों की आपसी लड़ाई में देश की सुरक्षा को खतरा होने लगे तो क्या यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं हो जाता है ? इसमें खास बात यह है कि १३ अगस्त को जब किसान सम्मेलन के अध्यक्ष लखनऊ आए तो उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिज्ञों और पुलिस प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बीच बैठकर एक साजिश रची गई कि सुरेश कुमार का इस प्रकार अपहरण किया जाएगा और अश्लील फोटो इस प्रकार लिए जायेंगे । आज दूसरी क्रान्ति के तथाकथित पोषक और गांधीवादी विचारों के तथाकथित पुजारी यह कतई बरदाश्त नहीं कर सके कि एक हरिजन लड़के की दोस्ती नान-हरिजन लड़की से हो जाए ।

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की सीमा में हुआ है । जो लोग इसमें शरीक हैं वह लखनऊ आये । जो गिरफ्तार किये गये हैं मामूली आदमी हैं दोनों । एक युवा जनता का सेक्रेटरी और एक किसान सम्मेलन का सेक्रेटरी, उनसे काम कराया गया है । कौन हैं इस सारे काण्ड के पीछे ? जो अपराध बनते हैं अनटचैबिलटी ऐक्ट के मातहत और काग्नीजेबिल आफेंस भी हैं, इस बात में कि अपहरण किया गया, अश्लील चित्र लिए गये, धमकी दी गयी, मारा पीटा गया । दो आदमी केवल गिरफ्तार हुए हैं । १२ आदमी थे । पुलिस का ट्रक था, पहरे पर पुलिस के नौजवान थे । इसलिए आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां—]

माननीय मुख्य मंत्री जी से बातचीत की जाती है, उनके कमरे में। अपने गुट के मंत्रियों को बुलाया जाता है, १३ तारीख को यह साजिश की गयी। क्या साजिश थी, क्यों प्रशासन चुप बैठा रहा ? यह घटना जो है...

श्री अध्यक्ष—

आप इसके तथ्यों पर आ गये।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसकी ग्राह्यता के बारे में एक सदस्य को मौका देंगे और दूसरे को नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अब मैं समाप्त करता हूं।

माननीय मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में अपना कोई बयान देना चाहेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

(माननीय गृह मंत्री के खड़े होने पर) यह तो गृह मन्त्री को जानकारी नहीं होगी कि पुलिस के द्वारा अपहरण किया गया। लोनी गांव के जिस कमरे में यह घटना हुई, उसके आगे पीछे पी० ए० सी० लगायी गयी। यह गृह मंत्री को पता नहीं होगा।

*(गृह मंत्री) श्री राम सिंह—

मान्यवर, जिस घटना के सम्बन्ध में विषय उठाया गया है उसका मुख्य केन्द्र बिन्दु इस प्रदेश के बाहर की सरकार है और जैसी समाचार-पत्रों से जानकारी मिली है। दिल्ली में हुई उस घटना से सम्बन्धित दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस सारा इनवेस्टिगेशन कर रही है। चूंकि घटना का मुख्य केन्द्र बिन्दु दिल्ली में है, हम अलग से कोई कार्यवाही करें, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन में उनके बाधा पड़े। लेकिन यदि दिल्ली की पुलिस किसी प्रकार की जानकारी, सूचना या मदद लेना चाहेगी तो हम देंगे। लेकिन सारी घटना वहां की है, वहीं जांच और कार्यवाही हो रही है। इसलिए मेरे विचार से यहां पर कोई चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

घटना दिल्ली में कहां हुई ? घटना लोनी गांव में हुई जहां पर कमरे में बन्द किये गये, फोटो लिए गये। यह पी०ए०सी० की संरक्षता में हुआ। उत्तर प्रदेश में घटना हुई। मंत्री जी कह रहे हैं दिल्ली में हुई।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मुझ को आप कह देते हैं बैठ जाइये। दूसरों से नहीं कहते हैं: माननीय मंत्री जी ने....

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको कोई अनुमति नहीं दी है।

श्री राम आसरे वर्मा—

प्लेस आफ आकरेंस उत्तर प्रदेश है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

लड़के को अपहरण करके उत्तर प्रदेश में लाया गया। मेरी जानकारी है। लड़के का अपहरण करके यहां लाया गया। यहां लाकर गंदे चित्र खींचे गये। गिरफ्तारियां दिल्ली में हुईं। यू० पी० के अधिकारियों ने क्या किया? इस बारे में माननीय गृह मन्त्री को स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए।

(मुख्य मन्त्री) श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जैसा कि गृह मंत्री जी ने बताया, घटनास्थल और केन्द्र बिन्दु दिल्ली है, जहां पर प्रथम सूचना पत्र अंकित कराया गया है। उस के आधार पर तफतीश जारी है।

मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस बिन्दु की ओर सम्मानित सदस्यों ने यह कहा कि लखनऊ में यह योजना बनी थी, मुझे ऐसा लगता है कि वह स्वयं कहीं पर शरीक रहे होंगे। इस तरह की जानकारी उनको हो सकती है। अगर वह शरीक न होते तो सम्भवतः इस तरह की जानकारी वह इस सदन को न देते। जिस तरह से आरोप लगाने की चेष्टा की गयी है कि यहां पर मुख्य मंत्री के कक्ष में बैठकर साजिश की गयी, तो इस तरह से निराधार और भ्रामक बातों से सत्ता को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो सत्ता बदनाम होने वाली नहीं है। आज विपक्ष में बैठने के बाद उनकी दृष्टि बदल गयी है, चश्में दूसरे हो गये हैं इसीलिए उन्हें ऐसा दिखाई पड़ता है। यह सब बातें निराधार और भ्रामक हैं और बदनाम करने के लिए उठाया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

चूंकि घटना का केन्द्र बिन्दु दिल्ली है इसलिए यहां की पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। ३६३ का आफेन्स कान्टीन्यूड आफेन्स नहीं होता है। किडनैपिंग हुई दिल्ली में और वह वहीं पर खत्म हो गयी है। ३६८ में कनफाइन्ड किया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को काग्नीजेन्स लेना चाहिए, लेकिन नहीं लिया। जहां पर उसे कनफाइन्ड किया गया उसका एक्सक्लुसिव जुरिस्डिक्शन उत्तर प्रदेश की पुलिस को है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस आफेन्स की काग्नीजेन्स लेने का आदेश देंगे?

श्री राम नरेश यादव—

अगर नेगी जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे प्रदेश में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी है, तो उसकी सूचना दे देंगे तो कार्यवाही होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

समाचार-पत्र में छपा है कि सी० आई० डी० के अधिकारी मेरठ को रवाना हो गये हैं । तो इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करने का क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न हो गया ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

जब माननीय मुख्य मंत्री जी सी० आई० डी० की इन्क्वायरी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ? जब कि सेन्ट्रल इन्क्वायरी कर रहा है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल ने कोई सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है ? राजनीति में जो लोग इस तरह के कान्ड में हैं उनकी निन्दा करनी चाहिए । (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे । श्री रियासत हुसेन का प्रश्न है कि जब दिल्ली की पुलिस जांच कर रही है तो जैसा कि अखबारों में छपा है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा कोई सी० आई० डी० की जांच करायी जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे यहां की सी० आई० डी० जांच कर रही है इस तरह की हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री मान सिंह आजाद—

राजनैतिक घटनायें करा रहे हैं, माननीय राम नरेश जी ।

श्री अध्यक्ष—

कोई जांच का आदेश दिया है, यह रियासत साहेब का प्रश्न है । अखबारों में छपा है कि सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है । तो यह आपकी जानकारी में है या नहीं ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले ही निवेदन किया था कि चूंकि इस घटना की जांच दिल्ली की पुलिस कर रही है । घटना दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई । वहां की क्राइम ब्रान्च इसकी जांच कर रही है । अगर दिल्ली की पुलिस की जांच में हमारी पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी पुलिस उसको सहायता देगी उसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । चूंकि दिल्ली की क्राइम

ब्रान्च पुलिस इसकी जांच कर रही है इसलिए दोहरी जांच कराने से कम्प्लीकेशन्स हो सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह विषय समाप्त हुआ । मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष---

अब इस पर कोई चर्चा नहीं ।

श्री रणजीत सिंह 'सूदेव' (जिला झांसी)---

मान्यवर, आप सुन तो लें । मैं....

श्री अध्यक्ष---

इस विषय पर कृपया आप कुछ न कहें ।

श्री गुलाब सेहरा---

मन्त्री जी को जानकारी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि...

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, आप....

श्री अध्यक्ष---

मैंने अपना निर्णय दिया कि इस विषय पर जब तक शासक पक्ष की तरफ से पूरे तथ्य, जिन पर प्रकाश डालना है, स्पष्ट नहीं होते तब तक उस पर बहस का कोई अर्थ नहीं होता । माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि यह अपराध दिल्ली में हुआ और दिल्ली पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया । इसकी विवेचना भी दिल्ली पुलिस ही कर रही है । इसके बाद आगरे का जो अपराध हुआ उसकी भी दिल्ली पुलिस जांच कर रही है । लेकिन एक प्रश्न जो श्री सेहरा ने किया वह निश्चयात्मक है । मोदी नगर थाने में माननीय मन्त्री जी को क्या सूचना है कि इस प्रश्न की कोई एफ० आई० आर० दर्ज की गयी है या नहीं ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर,....

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

पहले उत्तर आ जाने दीजिए । उसके बाद ही कोई प्रश्न उठाया जा सकता है ।

श्री विजय राज सिंह---

मान्यवर, इसी प्रश्न से सम्बन्धित है । यहां पर ग्राह्यता और अग्राह्यता की बात चल रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इससे अलग सदस्यों को कोई जानकारी दिलायी जा सकती है या नहीं ?

श्री राम सिंह---

मान्यवर, इसकी विधिवत् कोई जानकारी नहीं है । लेकिन प्रदेश सरकार इन सारे तथ्यों से अवगत रहेगी और अपनी आंख नहीं मूंद सकती है । दिल्ली की पुलिस हमारी जो भी सहायता चाहेगी, हम उसे देंगे ।

श्री अध्यक्ष---

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*श्री मुलायम सिंह यादव (सहकारिता मन्त्री)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(इस समय २ बजे उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, इसके तहत छोटे-छोटे किसानों को भूमि विकास बैंक से जो सुविधायें नहीं मिल पा रही थीं, वे मिलने लगें, इस उद्देश्य से इसे सदन के समक्ष लाया गया है । पहले भूमि विकास बैंक से जो भी ऋण प्राप्त किया जाता था उसके लिए किसानों को अपनी भूमि बन्धक रखनी पड़ती थी लेकिन इस संशोधन से किसानों को यह सुविधा मिलेगी कि वे अपनी भूमि को बन्धक न करके उस पर प्रभार पर या बिना शर्त प्रत्याभूति रख दिए जायेंगे और उस पर उनको ऋण प्राप्त हो जायगा ।

दूसरी सुविधा इस विधेयक के संशोधन में यह है कि अभी तक किसानों को राज्य सरकार से भूमि के जो पट्टे दिये गये थे उन पर ऋण नहीं मिल पाता था, इसका नतीजा यह होता था कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, उनको भूमि विकास बैंक से जो लाभ होना चाहिए था वह नहीं हो पाता था । अतः संशोधन के द्वारा यह हो गया है कि सरकार द्वारा जो पट्टे पर जमीन दी जायगी उस पर भूमि विकास बैंक द्वारा खेती के विकास के लिए ऋण दिया जा सकेगा । तीसरी सुविधा यह है कि प्रदेश में बहुत से भूमि विकास के कार्यक्रम चल रहे

† दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं लेकिन सरकार के साधन इतने सीमित हैं कि अपने साधनों से वह सहायता नहीं कर पा रही है। इस संशोधन के द्वारा उन संस्थाओं को अपना सदस्य बनाकर भूमि विकास बैंक ऋण देगा। इसके तहत में नलकूपों को बिजली देने के लिए राज्य विद्युत् परिषद् को भी ५ करोड़ रुपये का ऋण भूमि विकास बैंक से दिया गया है और भी इसी प्रकार से सुविधायें दी गयी हैं।

अभी तक किसान जब कभी जमीन को बंधक कर देता था उसके बाद भी अगर किसान दूसरे प्रकार का कर्जा लेना चाहता है तो नहीं ले पाता था। इसमें यह संशोधन कर दिया गया है कि किसान ने जो अपनी बंधक जमीन पर कर्ज लिया है और उसका कुछ हिस्सा अदायगी कर देता है तो उस हद तक भूमि मुक्त हो जायगी। उसके बीच में अगर किसान और ऋण लेना चाहता है तो नहीं ले सकता। हां, जितना कर्जा वह अदा कर देता उतनी उसकी भूमि बन्धक मुक्त हो जायगी। इस प्रकार के संशोधन जो सदन में प्रस्तुत हैं, मुझे आशा है, सदन उनको स्वीकार करेगा जो किसानों को राहत देने के लिए किए गये हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो इस विधेयक के उद्देश्य बतलाये हैं कि किन कारणों से ये संशोधन ला रहे हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुछ किसानों के हित में कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा संदेह होता है कि ये संशोधन किसानों के हित में हो रहे हैं। मेरा विचार है कि केवल २० प्रतिशत तो किसानों के हित में होंगे लेकिन ८० प्रतिशत जो हमारे बड़े-बड़े कार्पोरेशन्स हैं, उनके हित में होंगे।

दूसरा खतरा यह अब उत्पन्न हो गया है कि अब जब दूसरों को भी इन भूमि विकास बैंकों से कर्जा मिलने लगेगा तो इसका नतीजा यह होगा कि जो लोग ५०-५० हजार का कर्जा लेंगे, उनको तो बैंक पहले देगा, जो गरीब किसान हजार, पांच सौ रुपये का कर्ज लेंगे उनको कर्ज देने में उनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी क्योंकि ५० हजार के लेन-देन करने में भी वही कार्यवाही करनी होगी बैंक को, जो १ हजार के लेन देन करने में करनी होगी। इसलिये बैंक वाले हजार रुपये के कर्ज देने में कागज की कार्यवाही करने से बचेंगे, इसके बनिस्बत जो लम्बा-लम्बा कर्ज लेने वाले होंगे उन्हें पहले देंगे। यह खतरा छोटे किसानों के लिये बना रहेगा और उनको कर्ज मिलने में दिक्कत हुआ करेगी। आपके इस लैंड डेवलपमेंट बैंक का उतना अटेन्शन इन किसानों की तरफ नहीं रहेगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रवर समिति में जाने दें।

जो पट्टे आदि पर कर्ज देने की सुविधा आपने प्रदान की है वह अच्छी है, और भी बातें इसमें अच्छी हैं, पर प्रवर समिति में यदि यह विधेयक चला जायेगा तो यह विधेयक और अच्छा बन सकेगा, एक हफ्ते में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। न ही कोई दिक्कत सामने आने वाली है। आपका कोई काम भी नहीं रुकेगा। इसलिये आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के पूर्व एक अध्यादेश जारी किया था और उसी को अधिनियमित करने के लिये यह विधेयक आज आया है। कुछ निगमों आदि को भी कर्ज भूमि विकास बैंक द्वारा दिये जाने की इसमें व्यवस्था की गयी है। किसानों को अपनी भूमि आदि बन्धक रख कर उनको भी कर्ज मिले यह व्यवस्था की गयी है इसमें। मंत्री जी जानते हैं कि यह भूमि विकास बैंक प्रदेश में भूमि विनाश का काम कर रहा है। जितने भी समाचार-पत्र हैं उनको अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि यह भूमि विकास बैंक बराबर जमीन की नीलामी करते चले आ रहे हैं। आखिर इसे रोकने का भी तो कोई उपाय खोजना होगा।

इसके अलावा जब पंजीकरण की बात होती है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। जब भी किसान कर्ज लेता है उसका २२/२३ प्रतिशत खर्च इसी में हो जाता है। फिर भूमि नीलाम करने से पहले उसकी फसल को नीलाम करना चाहिये। उससे पैसा वे वसूल कर सकते हैं। उससे भी न हो तब जमीन नीलाम की जाये। मगर ऐसा नहीं होता है। आपने यह छूट किसान को दी है कि थोड़ा सा भी कर्ज अगर किसान अदा कर दे तो वह और कर्जा ले सकता है। अब इससे यह होगा कि उसकी सारी की सारी जमीन एक दिन नीलाम हो जायेगी।

उद्देश्य आपका अच्छा है, लेकिन जिस तरह की कार्य-पद्धति बैंकों की है, एक तो ईमानदारी की बहुत कमी है। इस बैंक से किसान पम्पिंग सेट्स के लिए कर्जा लेने जाता है, आपने बहुत बदला है किसान चाहता है नकद, लेकिन चैक बैंक ईशू करेगा, नगद आज भी आप नहीं दे रहे हैं। इससे हर पम्प पर १ हजार रुपये किसान को अधिक देना पड़ता है, अगर नकद देते तो १ हजार रुपये की बचत हो सकती है। जब भूमि बंधक कर दिया, तो उसको आप नकद क्यों नहीं देते हैं? मैं तो चाहता था कि जल्द से जल्द इसको कर देते, जिससे किसानों का उद्धार हो सके, जिससे किसान अपनी भूमि की नीलामी से बच सके।

यह संशोधन ले आकर माननीय मंत्री जी ने किसानों की रक्षा तो कम की निगमों की सहायता की भावना अधिक है। निगम ने ही कहा होगा कि हमको इससे कर्ज नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा करिये। असली तो आपको निगमों को कर्जा दिलवाना है किसान का नाम आपने जोड़ दिया, ताकि पास हो जाय, इसलिए एक-दो आइटम इसमें थोड़ा-थोड़ा जोड़ दिया है, ताकि निगमों को ऋण मिल सके। जिस तरह से आप व्यवस्था करना चाहते हैं आप तो किसान के प्रतिनिधि हैं, निगम के प्रतिनिधि नहीं हैं। आपने कहा था कि जो निगम हैं, वे सफेद हाथी हैं और जब ये सरकार बनेगी तो सारे के सारे निगम तोड़ दिये जायंगे। जब यह सरकार बनी तो खुद मंत्री लोग निगमों के चेयरमैन बन बैठे। इसलिए मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो भी संशोधन आप ले आवें किसानों के हित के लिए आप कोई संशोधन रखें। इन शर्तों के साथ माननीय रियासत हुसैन जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हमारे साथी जो देव बहादुर सिंह जी ने कहा है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह पहली बार इतना क्रांतिकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कदम उठा है। जो किसान पूरी भूमि बंधक कर देता था, आज उसको यह सुविधा हो गयी कि उसमें से पूरे ऋण का अंशमात्र भी जमा कर देता है, तो उसको उतनी भूमि का ऋण-मुक्ति प्रमाण-पत्र मिल जायगा और उसकी पूर्ण भूमि नीलाम नहीं होगी, जो पहले कांग्रेसी शासन में १०० रुपये के ऋण पर १० बीघे की नीलामी होती थी। यह सुविधायें अब भी हो गयी हैं और ऋण की सुविधायें उसको अन्य बैंकों से मिलती रहेगी। अब महीने-महीने दफ्तर के चक्कर किसानों को नहीं काटने पड़ेंगे। इससे प्रदेश के करोड़ों किसानों का जीवन बनेगा और किसानों को सुविधा मिलेगी, रोजाना जो कृषकों को ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसीलिए माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन को ला कर एक क्रांतिकारी काम खेती के जगत में किया है, जिसके लिए माननीय मंत्री जी की प्रशंसा करनी चाहिए। इस संशोधन के द्वारा माननीय मंत्री जी ने एक सुन्दर व्यवस्था की है कि छोटे-छोटे काश्तकारों को जिनको ग्राम समाज की जमीन के पट्टे मिल गये हैं, इनके लिये अब तक ऋण की व्यवस्था नहीं थी लेकिन मंत्री जी ने पहली बार जनता पार्टी की हुकूमत में यह व्यवस्था की है कि जिनको एक एकड़ के पट्टे दिये गये हैं उनको भी ऋण भूमि विकास बैंक और अन्य जगहों से मिल सकता है और वह भी ऋण लेकर अपनी खेती को सुधार कर आत्म निर्भर बन सकते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसको पारित करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है इसी के संदर्भ में जो माननीय सदस्य मुरादाबाद, श्री रियासत हुसैन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह भूमि विकास बैंक प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन का एक मुख्य आधार है। जैसा हम सभी जानते हैं कि दीर्घकालीन ऋण किसानों को उत्पादक कार्यक्रमों के लिये देने का लगभग एकमात्र माध्यम यह भूमि विकास बैंक है। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक एक विशेष स्थान बना चुका है और इसकी एक अपनी धाक सारे देश में है। पहले आंध्र और गुजरात के भूमि विकास बैंक का नाम लेते थे अब उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक अपने कार्यकलापों से काफी आगे आ गया है। इस दृष्टिकोण से, रिजर्व बैंक की संस्तुतियों को मानते हुये सहकारिता मंत्री जो विधेयक लाये हैं, यह ठीक है।

बहुत से हमारे माननीय सदस्यों को हर जगह दल दिखाई देता है। मैं आग्रह करूंगा कि यह सहकारिता आंदोलन का मामला है इसलिये थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर सोचना चाहिये। अभी हमारे माननीय सदस्य फिरोजाबाद ने कहा इसमें भी उनको आलोचना दिखाई देने लगी। वह शायद भूल गये हैं कि भूमि विकास बैंक किसने कायम किया? तो वह देखेंगे कि कांग्रेसी शासन काल में यह हुआ, उनको इतनी शिकायत नहीं होनी चाहिये। अब प्रश्न यह है कि क्या रिजर्व बैंक की सभी संस्तुतियों को कार्यान्वित किया है, क्या ऐसी संस्तुतियां जिन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिये क्या उन सभी संस्तुतियों पर विचार हुआ है?

श्रीमन्, इस बात का पूरा मौका नहीं मिला कि रिजर्व बैंक की भूमि विकास बैंक के सम्बन्ध में जो संस्तुतियां हैं उठाकर अध्ययन कर सकूं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी भूमि विकास बैंक के कानून में ऐसी गुंजाइश है, यह देखने की बात है कि क्या केवल अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है या जो भूमि विकास बैंक जो अपना चार्टर है, विधान है उस विधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न पर भी कि भूमि विकास बैंक के विधान की क्या स्थिति है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

क्या कार्यवाही हो रही है ? इस पर प्रवर समिति में विचार करने का मौका मिल सकता है । सहकारिता की स्थायी समिति है लेकिन मैं नहीं जानता कि सहकारिता स्थायी समिति की कितनी बैठकें हुयीं ? यह हो सकता है कि सहकारिता स्थायी समिति में रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट को रखा गया हो ।

यह एक प्रवृत्ति हो गयी है कि स्थायी समितियों की बैठकें कम होती हैं और उन बैठकों में जो सदन के माननीय सदस्य जाते हैं उनको विभाग के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताने का पूरा मौका नहीं मिलता है । लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि मंत्री जी प्रवर समिति को बनायें और सहकारिता आंदोलन में विश्वास रखने वाले दोनों पक्षों के माननीय सदस्य उसमें बैठें और देखें कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट क्या है ?

जहां तक इस अधिकार का प्रश्न है कि राज्य सरकार गारन्टी जो देती है, यदि बिना शर्त देती है तो भूमि विकास बैंक उसके आधार पर ऋण दे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को या दूसरे निगमों को । कानूनी आधार तो आज दिया जा रहा है लेकिन मुझे सही सूचना है कि बिना कानूनी इस आधार के भी ऋण दिया जाता रहा है । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो धन दिया जा रहा है वह इसको इसलिये किया है कि यह किसान की ओर से दिया जा रहा है ताकि वह क्लस्टर लगा सके, क्योंकि किसान से एडवान्स में रुपया मांगा जाता था कि तुम इतना रुपया बिजली की लाइन के लिये जमा करो । लेकिन किसान नहीं दे पाता था तो जो पिछड़े क्षेत्र थे वहां पम्पिंग सेट या नलकूप के क्लस्टर नहीं बन पाते थे । इसलिये रास्ता निकाला कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रुपया भूमि विकास बैंक से दे दिया जाय और बोर्ड क्लस्टर का इंतजाम कर दे । इसलिये वह बोर्ड को कर्ज नहीं है बल्कि किसान को कर्ज है, जो व्यक्तिगत नलकूप लगाते हैं उनको दिया जाने वाला कर्जा है । इसकी व्यवस्था पहले करते थे । अब कानूनी व्यवस्था को मंत्री जी पूरा कर रहे हैं । इसलिये जब भूमि विकास बैंक इतना आगे बढ़ चुका है, इतने नलकूप और पम्पिंग सेट लग चुके हैं तो अब समय आ गया है कि दृष्टि थोड़ी बढ़ानी चाहिये ।

क्या वह समय नहीं आया है कि कानूनी भूमि विकास बैंक को अधिकार हो कि जो किसान कर्ज लेता है उसको समाप्त करने के लिये वह कर्ज ले सके ? बैंक से जो धन प्राप्त हो वह जैसे खेती सम्बन्धी कार्यों के अलावा जो ऋण को मुक्त होने के लिये कार्य हैं जिसमें लम्बा सूद किसानों को देना पड़ता है, भूमि विकास बैंक का शुरू में उत्पादन कार्यों के लिये प्राथमिकता ऋण देने में थी, लेकिन अब नई प्राथमिकताओं पर विचार करने का समय है ।

दूसरा कार्य था भूमि विकास बैंक ऋण लेवलिंग के लिये दिया करते थे जिसका दुरुपयोग होता था । ख्याल हुआ कि वह ऋण कम कर दिया जाय । अब प्राइमरी बैंक की शाखायें खुल चुकी हैं । हमारे पास सूचनायें हैं कि उससे कानूनी कठिनाईयां बढ़ी हैं । इसलिये इसे प्रवर समिति को दे दिया जाय जिससे उन पर विचार किया जा सके । मुझे विश्वास है कि सहकारिता आंदोलन के बुनियादी कदम कुछ उठाये गये हैं जिनकी आवश्यकता थी । इसलिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिये कांग्रेस शासन काल में जो कदम उठाये गये थे उनका उन्होंने विचार रखा ।

कोआपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर सोसाइटीज बनाने के सम्बन्ध में जो प्राइमरी कोआपरेटिव क्रेडिट है उसको बढ़ाने के लिये जो कदम हम लोगों ने उठाये

थे वह होने जा रहा है । मुझे विश्वास है कि मंत्री जी दबाव में नहीं आयेंगे और जो रिजर्व बैंक क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट ने माना है, जिनको सभी शासनों ने माना है, उनको जरूर जारी रखेंगे क्योंकि अगर सहकारी आन्दोलन मजबूत नहीं होगा तो खेती का विकास नहीं हो सकेगा, उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा । सहकारी आंदोलन को आपको दृढ़ करना होगा ताकि अन्य प्रदेशों के मुकाबले दृढ़ता के साथ यह आगे बढ़ सके और इसके लिये इसका प्रवर समिति में भेजना आवश्यक है ताकि जो बातें अधूरी रह गयी हैं उनको वहां पूरा किया जा सके ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

सहकारी उत्पादन से खाद्य उत्पादन बढ़ा नहीं है, बल्कि हजारों किसानों की जमीनें जब्त हो गयी हैं ।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, जो विधेयक सहकारिता मंत्री जी ने रखा है उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । हमारी जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लिया था और घोषणा-पत्र में भी ऐलान किया था कि वह गांव को विकसित करेगी और खेती को प्राथमिकता देगी और रिजर्व बैंक की संस्तुतियों के आधार पर सहकारिता मंत्री ने जो यह संशोधन विधेयक रखा है वह एक सराहनीय कदम है । इससे गांवों के लोगों को ऋण मिलने में सुविधा मिलेगी । वैज्ञानिक खेती करने में जो सामान लगता है और तरह-तरह के जो सिंचाई के औजार हैं उनको लेने के लिये ऋण मिलने में किसानों को आसानियां होंगी और निश्चित रूप से यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है यह एक क्रान्तिकारी कदम है । इससे हमारे प्रदेश के किसानों को निश्चित रूप से नई दिशा मिलेगी ।

जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो जो शिकायतें हमको किसानों से मिलती हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भूमि विकास बैंकों से जो ऋण तथा पम्पिंग सेट्स खरीदने के सिलसिले में ऋण किसानों को दिया जाता है वह मार्केट में जो इन सेट्स का दाम होता है उससे कहीं ज्यादा होता है और इस तरह से किसानों से बढ़ा-चढ़ा कर मशीनों तथा औजारों के दाम लिये जाते हैं इससे बड़े पैमाने पर चोर बाजारी का रास्ता निकलता है और किसानों का शोषण हो रहा है । माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भूमि विकास के जो कार्यकलाप हैं वे सराहनीय हैं और जो काम करने की पहले क्षमता थी उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । इस बात से यह सिद्ध होता है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि सहकारिता मन्त्री जी ने जो कदम उठाया है और जनता सरकार के कार्य काल में भूमि विकास बैंक की जो गतिशीलता है उससे उन्होंने संतोष व्यक्त किया है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह माननीय सदन इस संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेगा ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आभारी हूं दोनों पक्षों के उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे इस प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन—]

श्रीमन्, मुझे दो बातों का बहुत संदेह है उस पर जरा कह कर मैं अपना प्रस्ताव पेश करूंगा। एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो थोड़ा सा अदा कर देगा उसे और लाभ लोन लेने का मौका मिल जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में सबसे बड़ी बीमारी ट्रांसफर इन्ट्रीज की है। इससे और ट्रांसफर इन्ट्रीज का दरवाजा खुल जायेगा। सौ जमा करेगा और दो सौ रुपया उसके ऊपर और लग जायेंगे, जैसा कि समितियों में हुआ है।

दूसरी बात कहा कि पट्टों पर मिलेगा। जो पट्टे मिलते हैं गांव समाज से वह नान-ट्रांसफरेबल हैं जो बिक नहीं सकते हैं तो भूमि विकास बैंक भूमि की नीलामी कैसे करेगा। इसलिये फिर झगड़ा पड़ेगा। इसलिये मेरे इस प्रस्ताव को मान लिया जाय और प्रवर समिति के अन्दर बिल को लाया जाय।

*श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इस विधेयक पर दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिये हैं उन सुझावों पर विचार करने का प्रयास करेंगे। मैं इन सुझावों के लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय रियासत हुसैन ने शंका उठाई कि इस विधेयक से किसानों को नुकसान पहुंचाया जायेगा। मान्यवर, इस तरह की कोई हमारी मंशा नहीं है। हमारा प्रयास है कि इस विधेयक से किसानों को सुविधायें दी जांय और किसी प्रकार की उनको कठिनाई न होने पाये।

दूसरा उन्होंने शंका व्यक्त की कि जो अन्य सदस्यों को सदस्य बनाकर दिया जायेगा उससे निगमों को मजबूत किया जायेगा। ऐसी बात नहीं है जो खेती के विकास कार्यक्रमों की संस्थायें चलायेंगे उनको यह दिया जायेगा और किसानों को सुविधा देने के लिए विद्युत् परिषद् को रुपया इसलिए दिया गया कि उनको नलकूपों के लिए कनैक्शान नहीं मिल पा रहा है। सरकार के सीमित साधन हैं जिसकी वजह से किसानों को बड़े पैमाने पर कनैक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भूमि की सिंचाई हो इस दृष्टि से यह रु० दिया जायेगा। निगमों के हित के लिए और किसानों के हित के लिए यह रुपया दिया जायेगा।

दूसरा मान्यवर, रियासत हुसैन साहब ने सवाल उठाया और जब बजट आया था तभी मैंने आश्वासन दिया था और उस वक्त भी कहा था कि हमारी तरफ से कई पत्र रिजर्वबैंक को लिखे जा चुके हैं। यह सही है कि जब तक किसानों को पम्पिंग सेट के लिए सीधा रुपया नहीं दिया जायेगा तब तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। यह मैंने पहले भी स्वीकार किया था और मेरे पत्राचार इस सम्बन्ध में जारी हैं। हमारा प्रयास है कि सीधा किसानों को रुपया मिल जाय, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक अनुमति दे।

मान्यवर, देव बहादुर सिंह जी ने कहा कि भूमि विकास बैंक भूमि विकास बैंक न होकर भूमि विनाश बैंक है। उनको पता होना चाहिये कि १९७३ से लेकर ७-४-१९७८ तक ८ लाख सदस्यों में से केवल १२१ किसानों की भूमि की नीलामी हुई। इससे हमें संतोष नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि एक भी किसान की भूमि की नीलामी हो। लेकिन जिस पैमाने पर कहा जा रहा है कि तमाम किसानों का नुकसान किया गया है और उनकी जमीन नीलाम की गई है तो ८ लाख सदस्यों में

---

*वक्तानेभ ाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से १२१ किसानों की जमीन की नीलामी हुई । उससे हमें संतोष नहीं है । हम चाहते हैं कि एक भी किसान की भूमि नीलाम न हो, यह हमारी कोशिश थी और यह हमारा उद्देश्य है और अगले समय में हम यह कोशिश करेंगे कि किसानों की एक भी जमीन नीलाम न हो ।

जहां तक माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि रिजर्व बैंक पर अमल किया जाय । तो यह रिजर्व बैंक पर अमल ही है और यह जो विधेयक है, वह रिजर्व बैंक का जो अध्ययन किया गया था, उसी के अनुसार किया जा रहा है । जहां तक आपने कहा कि भूमि विकास विधेयक में संशोधन की जरूरत है, उस पर भी विचार करेंगे ।

अन्त में मैं माननीय रियासत हुसैन जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत जी, आप वापस लेते हैं ?

श्री रियासत हुसैन--

नहीं, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से ६, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन)

विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४

का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) यह १७ जून, १९७८ को प्रवर्तन में आया समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १६ सन् १९६४ की धारा २ का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, १९६४ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में--

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द "अचल सम्पत्ति के बन्धक पर" के स्थान पर शब्द "अचल सम्पत्ति के बन्धक या उस पर प्रभार पर या राज्य सरकार की बिना शर्त प्रत्याभूति पर" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे; और

(दो) खण्ड (ञ) में, शब्द "उसकी सदस्यता में सम्मिलित अन्य भूमि विकास बैंकों के, यदि कोई हो, कार्य" के स्थान पर शब्द "उसके सदस्यों के कार्य" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा ४ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, शब्द "परिष्कृत" के पश्चात शब्द "या प्रतिस्थापित" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा ६ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ६ में,--

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(१) राज्य सरकार और न्यासधारी की पूर्व स्वीकृति से, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, मण्डल, समय-समय पर, मूलधन का पूरा प्रतिदान करने और उसके ब्याज का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई बिना शर्त प्रत्याभूत पर अंशतः धृत और अंशतः अर्जित किये जाने वाले बन्धक, प्रभार या गिरवी की और ऐसी सम्पत्तियों और अन्य परिसम्पत्तियों की, जो धारा १२ के उपबन्धों के अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को संक्रमित की गई हो या संक्रमित की गई समझी गयी हो, और राज्य भूमि विकास बैंक की अन्य सम्पत्तियों की, प्रतिभूति पर एक या अधिक अभिधानों के ऋण-पत्र ऐसी अवधि या अवधियों के लिये, जिसे वह इष्टकर समझे, जारी कर सकता है ।";

(दो) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :--

"(३) उपधारा (१) के अधीन मण्डल द्वारा पहले से जारी किये गये ऋण-पत्रों पर देय कुल धनराशि और जारी किये जाने के लिये प्रस्तावित किन्हीं ऋण-पत्रों की धनराशि कुल मिलाकर निम्नलिखित धनराशि के योग से अधिक न होगी :--

(क) बन्धक या प्रभार या गिरवी पर देय धनराशियां और ऐसी अन्य परिसम्पत्तियों का मूल्य, जो धारा १२ के

अधीन भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक को संक्रमित की गई हों या संक्रमित की गयी समझी गई हों और जो तत्समय वर्तमान हों ;

(ख) ऋण-पत्र मोचन-निधि में संचयन ;

(ग) हस्तस्थ रोकड़ और बैंकों में अतिशेष और सामान्य निधियों के अधीन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो; और

(घ) खण्ड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित धन-राशि का ऐसा प्रतिशत जो नियत किया जाय ।"

धारा ७ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

न्यासधारी में सम्पत्ति का निहित किया जाना और परिसम्पत्तियों पर ऋण-पत्रधारियों का प्रभार

"७—धारा ६ के अधीन ऋण-पत्र जारी होने पर, राज्य सरकार की प्रत्याभूति के अधीन फायदा और उक्त धारा की उपधारा (३) में निर्दिष्ट और मण्डल द्वारा धृत बन्धकग्रस्त सम्पत्तियां और अन्य परिसम्पत्तियां न्यासधारी में निहित होंगी और ऋण-पत्रधारी राज्य सरकार की प्रत्याभूति के फायदे के हकदार होंगे और उनका ऐसे समस्त बन्धकों और परिसम्पत्तियों और ऐसी प्रत्यभूति या बन्धकों के अधीन भुगतान की गई और राज्य भूमि विकास बैंक या न्यासधारी के पास शेष धनराशियों पर चल प्रभार होगा ।"

निरसन और अपवाद

६- (१) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ९ सन् १९७८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ६ तक, खण्ड—१, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता यों पड़ी कि पिछले कई सालों से सहकारी समितियों के चुनाव नहीं हो पा रहे थे । मान्यवर, मैंने और शासन ने प्रयास करके सहकारी समितियों के चुनाव कराये । इस बीच में लगभग सभी प्राथमिक संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं । पूरे चुनाव कराने की मन्शा थी कि वह जल्दी ही समाप्त हो जाय । लेकिन उसी बीच में ३० साल का सत्यापन कराया गया और ३० जून तक रिकवरी का समय आ गया । इसलिए वहां पर केन्द्रीय और शीर्षस्थ संस्थाओं के चुनाव नहीं हो सके । उन चुनावों को कराने के लिए और जो प्रशासक नियुक्त थे, उनका समय २० नवम्बर तक था । इसलिये यह विधेयक लाया गया कि २० नवम्बर तक प्रशासकों का समय बढ़ा दिया जाय । मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि २० नवम्बर के पहले सारे प्रदेश की शीर्षस्थ संस्थाओं और केन्द्रीय संस्थाओं के चुनाव करा दिये जायेंगे । मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, सहकारी आंदोलन के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि बड़ी भागदौड़ करके और जिसको जनता पार्टी कहती है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने कोआपरेटिव के चुनाव करा दिये । इसको उपलब्धि बतायी जाती है । इसका कहीं कोई शुमार नहीं है । श्रीमन्, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इस तरह की आपत्ति लेकर जाते थे कि फलाना मेम्बर नहीं है, फलाना बकायादार है तो एक ही पालिसी का डायरेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया था कि इन्क्वायरी करने के लिए तो आश्वासन दे दो लेकिन चुनाव में स्टे बिल्कुल नहीं दिया जायगा । चुनाव होगा । बाद में मुकदमा लड़ते रहें । आर्बीट्रेटर के पास जाते रहो । चुनाव अवश्य होगा चाहे उनमें कितनी ही धांधली हुई हो और उसी आधार पर चुनाव हो भी गये ।

जो सहकारिता से सम्बन्धित मामला है यह हर छठे महीने रूप बदलता है और मालूम नहीं आगे भी कितने रूप इसके बदलेंगे । शुरू-शुरू में प्राइमरी

---

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सोसाइटी थीं । उसके बाद पांच छः सोसाइटीज मिलाकर साधन समिति बनायी गयी । अब हर पंचायत लेवल पर एक सोसाइटी का गठन कर दिया गया है । मालूम नहीं आगे ब्लाक के ऊपर होगा या क्या होगा । अब इस तरह से है कि हर पंचायत स्तर पर हैं । इसके होने से हर गांव कटा छंटा । पहले जो गांव किसी एक में था वह अब दूसरे में चला गया । नतीजा यह है कि डबल रिकार्ड हो गया । एक कहता है कि मैं कर्जा वसूल करूंगा और दूसरा कहता है कि अब मेरे क्षेत्र में आ गये तो मैं कर्जा वसूल करूंगा । यहां तक हो रहा है कि दो सचिव एक ही रुपये को वसूल कर रहे हैं । हमारे यहां मछरिया, दलपतपुर में यही हो रहा है । पहले एक था, अब बंटवारा हुआ तो दो जगह हो गये ।

कोआपरेटिव में फर्जी एन्ट्री और ट्रान्सफर एन्ट्री वाली बात मंत्री जी के प्रयास करने के बावजूद भी समाप्त हुई नहीं । माननीय मंत्री जी की जो सब से बड़ी उपलब्धि थी कि हमने सत्यापन करा लिया पूरे प्रदेश में तो सत्यापन पूरा हो गया और कुछ समय बढ़ाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी सत्यापन पूरी तौर से नहीं हो पाया । आज भी किसान मारा-मारा फिरता है कि कौन सत्यापन कर रहा है । यह पता नहीं किसानों को कौन सत्यापन कर रहा है । जहां सत्यापन हुआ भी तो वहां कितना-कितना फर्जी लेन देन था, कितना राइट आफ हुआ । कहीं पचास हजार हुआ, कहीं ५५ हजार हुआ । इनका एक ही नुस्खा है कि हम नहीं जानते । अगर तुमने दस्तखत किया है और अंगूठा लगाया है तो चाहे किसी के कहने से किया हो तुम्हारा दस्तखत है या अंगूठा निशानी है प्रोनोट पर तो यह रुपया देना ही पड़ेगा । इतना ही सत्यापन इनका हुआ है । इससे कोई मतलब नहीं कि उसने रुपया लिया या नहीं । रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा । हां, वह जगह जो सैलाब में आ गयीं, जहां जमीन ही नहीं रह गयी और वसूल नहीं हो सकता था उसको नान रिकवरेबुल कह कर राइट आफ कर दिया । श्रीमन्, इसके अन्तर्गत जो समय बढ़ाया चुनाव के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए थे, चुनाव नहीं हो पाया तो उसका समय २० नवम्बर तक फिर मान लिया । अब पता नहीं फिर कोई उलझन पड़ जाए तो फिर बढ़ाना पड़ेगा और मैं समझता हूं इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ।

कोआपरेटिव के मठाधीश कोशिश कर रहे हैं कहां से किसे डेलीगेट बनाया जाए सब पद आपस में ही बांट लिए जायं । हो यह रहा है-हम फेड्रेशन में जायेंगे, तुम कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बनना आदि तो सब आपस में एडजस्ट कर रहे हैं । वे मठाधीश लोग पद हथियाने की लागडाट में लगे हुए हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कोआपरेटिव के मूल का आधार है, जो हमारा भी है और लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण का मूल आधार भी यही रहा है और आपका तो समाजवाद से कोई मतलब नहीं है, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, आप पूरे कोआपरेटिव के प्रत्येक पहलू को ठीक से देखने के लिए इसे प्रवर समिति में भेज दीजिए समुचित विचार के लिए, जहां इसपर गम्भीरता से विचार हो और इसमें जो खामियां हैं, वे दूर की जायें और तब यह सदन में आये तो इसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और लोगों को तसल्ली व शान्ति मिलेगी ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । सहकारी समितियों के कार्य संचालन में बीसों वर्षों से जो बाधायें थीं, धन के गबन के जो आरोप थे, जिससे समितियां जर्जर हो गई थीं, उनको ठीक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रघुबर दयाल वर्मा--]

करने के लिए इसके द्वारा मंत्री जी ने कुछ उपाय पेश किए हैं, जिससे रियासत साहब अच्छी तरह सहमत हैं और उनका वह समर्थन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्यापन की कार्यवाही में जहां-तहां छोड़ दिया है, किन्तु यह जो रुपया छूटा है, उन सदस्यों का छूटा है, जिनके अंगूठे या हस्ताक्षर उस पर मौजूद थे और उन्होंने पैसा नहीं लिया था। किन्तु हमारी पूर्वकालीन सरकार उनसे भी वसूल कर रही थी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने यह व्यवस्था की कि उनके सत्यापन का कार्य हो--जिन गरीबों ने पैसा नहीं लिया है, उनसे पैसा वसूल न हो। और जो वर्षों से बिना चुनाव हुए सरपंच बने हुए थे, ऐसे लोगों के पैसा वसूल करने की कार्यवाही पहली बार जनता पार्टी के शासन ने की है।

मैं रियासत साहब से निवेदन करूंगा कि एक सोसाइटी है नगड़ाबरी की, जिसमें एक आदमी ने डेढ़ लाख रुपया ले रखा था, उसने पच्चीसों आदमी के नाम लिखे थे, जो वहां के रहने वाले भी नहीं थे। उसके सत्यापन की कार्यवाही चल रही है। कांग्रेसी शासन होता और यह सत्यापन की कार्यवाही न होती तो उनसे वसूल होता रहता, जिन्होंने नहीं लिया है। जलालपुर की भी ऐसी ही सोसाइटी है और इसके अलावा बीसों ऐसी हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग सरपंच वगैरह बने हुए थे, जो गरीब किसानों से पैसा वसूल कर रहे थे। अनन्दीपुर ककरौली की भी ऐसी ही एक सोसाइटी है, जहां पुरानी बुकों पर पुराना रुपया वसूल कर रहे हैं और जिसकी जानकारी जिला अधिकारी को करवा चुका हूं। उस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

इसलिए माननीय रियासत साहब ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको वापस कर लेंगे। माननीय मंत्री जी सहकारी समितियों के संचालन के लिए जो संशोधन लाये हैं वह वास्तव में सराहनीय है। उससे किसानों को एक दिग्दर्शन मिलेगा और समितियों के कार्य संचालन में नयी रूपरेखा का प्रादुर्भाव होगा। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में कुछ बातें कही हैं जो स्वागत योग्य हैं और कुछ सुझाव हमारे साथी भाई रियासत साहब ने माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किये हैं। माननीय वर्मा जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। सहकारिता आन्दोलन जिन उद्देश्यों और सिद्धातों को लेकर बना था उनकी पूर्ति न होने का मूल कारण यह है कि जिन लोगों के बीच में यह आन्दोलन जाना चाहिए वह उनसे विलग रखा गया है। प्रभावशाली लोग चाहे कांग्रेस के राज्य में रहे हों, प्रभावशाली लोगों ने आधिपत्य जमा रखा था। वर्मा जी जानते हुए भी हमारे मित्र अनजान बन जाते हैं। समस्त समितियों में चाहे साधन सहकारी समिति के नाम से हों या किसी अन्य नाम से सब पर प्रभावशाली लोगों का आधिपत्य है, जिन्होंने गरीब लोगों के नाम से लोन ले रखा है, लोगों को पता तक नहीं। मेरे बाराबंकी जनपद में जो जिला सहकारी बैंक है उसके, भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री और वर्तमान संसद सदस्या श्रीमती मोहसिना के खानदान के लोग आज भी कांग्रेसी हैं जिन पर लाखों रुपये का घोटाला और भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप है। मैं मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह--

जो सदन में नहीं है उसका नाम नहीं लेना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो व्यक्ति सदन में नहीं उनका नाम नहीं लेना चाहिये ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों को कभी माफ करने को तैयार नहीं हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में राज्य सभा पर विराजमान होकर लाखों रुपये का घोटाला किया हो, चाहे वह दिल्ली में संसद के सदस्य हों या लखनऊ में विधान सभा के सदस्य हों या बाराबंकी में रहते हों । उनके विरुद्ध खुली जांच की मांग करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नाम लेकर नहीं कहना चाहिये आपको ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

जनता पार्टी यदि जयप्रकाश जी के सिद्धातों को मानती है, जयप्रकाश जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसमें चाहे वह बड़ा से बड़ा अफसर हो या बड़े से बड़ा राजनीतिक हो उसको माफ नहीं किया जायगा ।

सहकारी आन्दोलन में आज भी देखा जा रहा है, यह सही है कि आपने चुनाव कराने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया, ठीक है । आपने सत्यापन की बात कही । मेरे जिले में सत्यापन हो गया । आपको सूचना, टेलीग्राम या रेडियोग्राम से या सरकारी सूचना से प्राप्त हुई । मैं इस सम्बन्ध में आपसे कहना चाहता हूं कि आपने जो भी काम किया है, चुनाव करवाने में कोई भी जनप्रिय सरकार को किसी समिति के चुनाव को रोकने का कोई अधिकार नहीं है और आप चुनाव करायें । लेकिन जो अनियमितायें हैं, उनको समाप्त करें । चुनाव में डेलीगेट बनने में होड़ लगी है । फर्जी रूप से रुपये का भुगतान कराया जा रहा है, जिससे कि वह कैन्डीडेट बन सकें । चुनाव आपका होने जा रहा है जिस तरह से लोग कर रहे हैं उस तरह से चुनाव आपके निष्पक्ष नहीं होंगे । मुझे भी डेलीगेट लड़ाना है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं डेलीगेट जिता कर लाऊंगा । मैं बहुत ही बदकिस्मत आदमी हूं मैंने इन कठिनाइयों को बरदाश्त करना सीखा है । आप चुनाव करें लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घपला होने जा रहा है कि समितियों में जो लोगों ने कर्जा ले रखा है वह लोग अधिकारियों से मिलकर पलटवा रहे हैं । तो मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह की गतिविधियों को रोकें । आप सहकारिता को सफल बनाने में कार्य करें । आपको यह कोशिश करनी चाहिये कि किसान परिवार के लोग डेलीगेट में पहुंचे और वह सहकारिता आन्दोलन में पहुंचे तभी आपका सहकारिता आन्दोलन सही रूप में होगा । पैसे वाले आज भी जीत जायेंगे । आप कहते हैं कि हम गांव की ओर जा रहे हैं । माननीय रियासत साहब ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इसे पाधर समिति के पास भेज दिया जाये ।

श्री रियाउत हुसैन--

पाधर समिति नहीं प्रवर समिति ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

आपकी जो स्वागत योग्य बातें हैं मैं उनका स्वागत करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीक्षित जी अब आप समाप्त करें ।

*श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज ३० साल में जो स्थिति पैदा हो गई है, उससे केवल सहकारिता विधेयक में संशोधन करना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है । अभी तक सहकारिता में गरीब का शोषण होता रहा और इस शोषण से बचाने के लिए सहकारिता विधेयक में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा । ऐसी परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं कि मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है, वह केवल गरीबों को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे कानून में परिवर्तन करना होगा ।

मैं बहुत पहले एक गांव में गया था जहां पर ५३ घर थे और वहां के लोगों पर ६० हजार कर्जा था । जब सहकारी समितियां बनीं और जब मैंने उस गांव का सर्वे किया तो मालूम हुआ कि ५३ घरों के स्थान पर १०३ घर हो गए हैं और वे एक लाख ५३ हजार रुपये के कर्जदार हैं । बेचारे किसान कर्ज के मारे दबे जा रहे हैं ।

मान्यवर, जो व्यक्ति मानव के साथ सहयोग न करे वह मानव नहीं । इस सम्बन्ध में एक श्लोक है कि "सगद्यम सम्वदधम् सम्यमनासि जानतम, सहनाभवत सहनोधुनको····" इसका अर्थ है कि हम एक साथ खायेंगे, एक साथ चलेंगे, एक साथ हमारी तरक्की हो, हमारा जो भी पराक्रम हो वह एक साथ हो, आदि आदि । इसलिए यह जो संशोधन विधयक आया है निश्चय ही सहकारिता के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा लाभ होगा ।

मान्यवर, एक कठिनाई की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । होरा वाला डोगरी सहकारी समिति के ८ साल पहले जो सचिव थे श्री माम चन्द, उन्होंने श्री नत्थू सिंह के जिसने कि १४ हजार रुपये उस सोसाइटी में जमा किये थे, निकाल लिए । उस बेचारे गरीब ने इसलिए जमा किए थे कि सुरक्षित रहेंगे मगर ३-४ महीने पहले जब चुनाव हुआ और श्री दयानन्द तिवारी को नया सचिव चुना गया तो श्री नत्थू सिंह अपना रुपया लेने गए । तब उन्हें पता चला कि श्री मामचन्द जिनका कि स्थानान्तरण हो गया है सब रुपया निकाल ले गए हैं । उनके पास केवल ६ या ७ रुपये रह गए हैं । मैंने जिलाधिकारी देहरादून तथा माननीय सहकारिता मंत्री जी को भी इस सम्बन्ध में लिखा परन्तु कुछ नहीं हुआ । सभी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि तत्कालीन सचिव श्री माम चन्द के खिलाफ चाहे वे जहां भी हों, कार्यवाही की जानी चाहिये । इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह जो संशोधन आया है यह बहुत ही आवश्यक था ।

दूसरी बात मान्यवर, भाऊवाला के एक श्री हैदर अली ने २०० रु० लिया था । अब उन २०० रु० के उसके पास २,७०० रु० हो गये हैं । जब वह इस कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया तो उसे हवालात में डाल दिया गया । उसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

१४ दिन हवालात में रहना पड़ा । इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए चुनाव कराये जाने चाहिये । मैं इस संशोधन का स्वागत करते हुए माननीय रियासत हुसैन ने जो कहा है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और दूसरे जो सुझाव दिए हैं उनसे सहमत हूं । सहकारिता विभाग में फैले भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उसमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

मान्यवर, जनता पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हुआ है । इन सिद्धान्तों को लेकर हुआ था कि हम सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे । हमारा पूरा दांवा, पूरी जनता का मनोबल और पूरा समर्थन हमें उसी आधार पर मिला । हम उसी बुनियाद पर खड़े हैं । जिसके बल पर हम यहां पर डटे हुए हैं वह भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है । मुझे यह कहने पर तनिक भी संकोच नहीं कि हम जिन बुनियादों पर खड़े हुए हैं, जिन आकांक्षाओं पर हमने वोट लिया उनको हम पूरा नहीं कर पाये । मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि जिन पुरानी परम्पराओं को हमारे कांग्रेस में पोसते आये हैं, उनको हम न पोसे । हम अभी कोई पाप नहीं कर पाये हैं लेकिन उन पापों को जो इधर के बैठने वालों ने किए हैं (कांग्रेस वालों की ओर इशारा करते हुए) उनको धो नहीं पाये हैं, जिनको इन्होंने ३० वर्षों के शासन काल में किए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं ?

श्री हुक्म सिंह परिहार--

मान्यवर, विधेयक का विरोध करने में यह होगा कि हम चुनाव नहीं कराना चाहते हैं । बार-बार यहां पर यह सुझाव आया है कि चुनाव होने चाहिये । मैं इस विधेयक के जो मूल उद्देश्य हैं उनका समर्थन करता हूं । हम यह आशा करते थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जो कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं, कन्धे से कन्धा मिलाकर जिन्होंने भ्रष्टाचार की खिलाफत की है और इन सब चीजों के लिए जेलें भी काटी हैं उन पर गम्भीर चोट करेंगे । अतः मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने शिकन्जे को कड़ा और मजबूत बनायें ताकि जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हुए हैं वे हट सकें । मैं मशीनरी का उल्लेख नहीं करूंगा यह तो चलती चली जायगी, उसके लिए अपना शिकंजा मजबूत कीजिए । एक सोशलिस्ट की तरह से जनता की तकलीफों को और किसानों की मुसीबतों को दूर कीजिए । तब जो पुराना कन्सेप्ट है वह लागू होगा । जो जो पुराने साथी बैठे हुए हैं, उनको खत्म कीजिए । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं जो चुनाव की परिपाटी को पूरा करेगी लेकिन पुनः कहना चाहता हूं कि जो पुराने पापी हैं, पुराने भ्रष्टाचारी हैं, उनको समाप्त कीजिए ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरे पूर्व-वक्ताओं ने जिन्होंने अपने-अपने विचार सदन में रखे हैं, सभी ने माननीय सहकारिता मंत्री जी की तारीफ की है । जितने भी प्रदेश में सहकारिता मंत्री हुए हैं, उन सब में इनका स्थान सर्वोपरि है क्योंकि इन्होंने जो भी कदम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह---]

उठाए हैं उससे प्रदेश की जनता को राहत तो जरूर होती है लेकिन जनता को एक पैसा भी नहीं मिला है, हालांकि मंत्री जी के आदेश और निर्देशों में कमी नहीं हुई ।

मान्यवर, मैंने १४०० रुपये कोआपरेटिव से लिया था लेकिन ३,००० की एन्ट्री है । मैंने माननीय मंत्री जी को माफ करने के लिए लिखा लेकिन फिर भी ८ महीने से कोआपरेटिव विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है । तब मैंने दिघे जी को लिखा कि कम से कम जांच तो होनी ही चाहिए।

जांच नहीं हुई। बिना जांच के ही सारा काम समाप्त हो गया । इसलिये इसको दलगत राजनीति का प्रश्न न बनाते हुये, इसे प्रवर समिति में जाने दें या फिर माननीय मंत्री जी सत्यापन की कोई नयी उचित व्यवस्था करायें । नकाढ़ा संघ के स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा ने ५० हजार रुपया लिया और वह छोटे-छोटे किसानों से वसूल किया जा रहा है, उनकी कुर्की वगैरह निकल रही है । इसलिये आप इसे प्रवर समिति में जाने दें ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और इसके द्वारा जो संशोधन करने वे जा रहे हैं उसके द्वारा प्रशासकों की नियुक्ति का कार्यकाल वे दो वर्ष बढ़ाने जा रहे हैं । इसमें इसको "पश्चात्वर्ती" तिथि से क्यों कर रहे हैं, क्या पूर्ववर्ती तिथि से नहीं कर सकते ? मेरा सुझाव है कि आप कोई एक निश्चित तारीख इसकी जगह रख दें । इससे एक रूपता आ जायेगी । आपने तो कार्यभार ग्रहण करने के समय कहा था कि नामांकन करने की प्रथा को हम कम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से या न मालूम किस वजह से या ऊपर के दबाव से, आप भी नामिनेट करने जा रहे हैं । इसलिए आप इसे प्रवर समिति में जाने दें ताकि इस पर अच्छी तरह से विचार हो सके । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने मेरे संशोधन पर चर्चा में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किये मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । सभी ने प्रायः यह मत व्यक्त किया है कि जो उद्देश्य इस बिल का है, वह इससे पूरा नहीं होता है । इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जहां पर अच्छी तरह से विचार हो सके । इसे वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं । माननीय रियासत साहब उठ कर चले गये । लेकिन उनको संतुष्ट करने के लिये हमारे पास कोई तरीका नहीं है । अगर चुनाव हम करायें तब भी वे सन्तुष्ट नहीं हैं, अगर न करायें तब भी वे सन्तुष्ट नहीं हैं ।

एक सदस्य---

न कराना अच्छा है । (हंसी)

*श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें उठाई । जैसे माननीय देव बहादुर सिंह जी ने केवल २० नवम्बर तक के लिए प्रशासकों के समय के लिए कहा, वह तो जानते ही हैं, वह तो बहुत बड़े कारपोरेटर भी हैं । जिन समितियों का चुनाव शेष रह गया है २१ तारीख तक हो जायगा । ३० सितम्बर और पहली अक्तूबर तक जिला बैंकों का चुनाव होगा । केवल कुछ संस्थायें रह जाती हैं, १५ से २० तक उनका भी चुनाव होगा जाएगा ।

जहां तक हमारे साथी माननीय परिहार साहब ने बताया है, वास्तव में उनका सुझाव सही है, क्योंकि कोआपरेटिव विभाग भ्रष्टाचार की वजह से बदनाम है, जबकि यह स्वीकार करते हैं कि सहकारिता के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है, जिससे गांव वालों की दशा ठीक हो सके, इसलिए भ्रष्टाचार दूर हो । मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि बहुत मजबूती के साथ कदम उठायें । हमने तो ५० हजार के ऊपर वालों के ऊपर ही कार्यवाही पहले कराई है । पहले लोगों पर जब कार्यवाही नहीं की गयी, २३६ मामले जब हमारे सामने आये, १ लाख दो लाख, ५ लाख तक के, उनमें से १३६ में चार्जशीट लग चुकी है । पिछले शासन में शायद १५-२० केसेज में ही चार्जशीट लगी थी । सत्यापन के बारे में कुछ हमारे साथियों न कहा है । जहां पर सत्यापन नहीं हुआ है, वह मुझे लिख कर दें पुनः सत्यापन करा दूंगा ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, जो उस क्षेत्र के हों, वहां के विधायकों का सहयोग लेना आवश्यक है ।

*श्री मुलायम सिंह यादव--

पहले भी जब सत्यापन हुआ था, तब भी मैंने विधायकों को लिखकर दिया था । अब भी अगर आप लिख कर दे देंगे, समितियों को फिर आदेश देकर मैं पुनः सत्यापन करा दूंगा और माननीय रघुवर दयाल वर्मा ने जो संशोधन पेश किया है, उसको मैं स्वीकार करता हूं और वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप वापस लेते हैं, इसको रियासत हुसैन जी ?

(श्री रियासत हुसैन के न रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २, ३, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) यह १५ जुलाई, १९७८ को प्रवर्तन में आया समझा जायगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ११ सन् १९६६ की धारा २९ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २९ में, उपधारा (६) में, शब्द "अट्ठारह माह" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" और शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे और तदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उ० प्र० अध्यादेश संख्या १३ सन १९७८

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा २९ की उपधारा (४) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा, उक्त अधिनियम, या उ के अधीन बनाये गये नियमों या उप-विधियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि प्रशासक उक्त धारा की उपधारा (६) में, जैसी कि वह इस अधिनियम

द्वारा संशोधन के पूर्व थी, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रबन्ध कमेटी के पुनर्गठन करने की व्यवस्था करने में विफल रहा ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं ।

खंड २ में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जाये :--

"और शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष"

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें :--
और शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर 'दो वर्ष' ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २, खंड ३, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८*

(शिक्षा मंत्री) श्री काली चरण--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, दिसम्बर, १९७७ और जनवरी, १९७८ में अशासकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेजों में कार्य करने वाले अध्यापकों ने हड़ताल कर दी थी ।

*दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री काली चरण]

और बराबर अनुरोध करने के बावजूद यह अध्यापक काम पर नहीं आ रहे थे। परीक्षायें निकट थीं और लड़कों की बहुत क्षति हो रही थी इसलिये सरकार ने निश्चय किया कि एक तिथि निश्चित कर दी कि अगर अमुक तिथि तक अध्यापक काम पर वापस नहीं आ जाते तो परीक्षाओं की तैयारी के लिये और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिये हम वैकल्पिक अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट वेतन भुगतान नियमावली, १९७१ की धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन एक अध्यादेश लागू करके ९ जनवरी, १९७८ और १९ जनवरी, १९७८ के बीच में कुछ अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं। यह नियुक्तियां या तो प्रबन्धाधिकरण द्वारा की गयीं अथवा निरीक्षक द्वारा नियुक्तियां की गयीं। सरकार ने यह निश्चय किया कि इन तिथियों के बीच में जिन अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं और जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया बाद में चूंकि यह नियुक्तियां अस्थायी थी, उनको कार्य से मुक्त भी कर दिया गया। इनको नियमित नियुक्त किया जाय इस हेतु यह विधेयक यहां लाया गया है। जिले के निरीक्षक इन अध्यापकों का एक रजिस्टर रखेंगे। उनके यहां जो रिक्तियां सीधे भर्ती से भरी जाने वाली होंगी उन पर पहले इन अध्यापकों को नियुक्त करेंगे। चूंकि उस समय ऐसा हुआ था कि किसी-किसी जिले में बहुत अधिक अध्यापकों की नियुक्तियां हुई थीं और कहीं-कहीं कम। इस समय जहां अधिक नियुक्तियां हुई थी, सम्भव है वहां रिक्तियां कम हों, इसलिये शिक्षा निदेशक को अधिकार दिया गया है कि यदि ऐसी स्थिति आये, तो उस जिले से जहां अधिक अध्यापक रजिस्टर में अंकित हो और स्थान रिक्त नहीं हैं वहां से अध्यापकों का नाम उस जिले में जहां पर रिक्तियां हैं, हम भेज सकें। इसी हेतु यह विधेयक यहां उपस्थित किया गया है। मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इस पर अपनी सहमति देगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, दिसम्बर, १९७७ और जनवरी, १९७८ के बीच हमारे प्रदेश में शिक्षकों का व्यापक आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के क्या कारण थे, इस पर न उस समय शासन ने सोचा था और न आज शासन सोच रहा है। आन्दोलन पहले भी होते थे लेकिन उनका तो एक फर्ज बन गया था कि कोई आन्दोलन चले उसको दबाया जाय।

नया शासन आया था तो उससे उम्मीद थी कि जनता के बीच, शिक्षकों की बीच जो समस्यायें हैं उनका निराकरण किया जायेगा किन्तु शासन ने बिल्कुल घिसापिटा रास्ता अपनाया और लोकतन्त्र का पर्दा डाल कर सारे अलोकतन्त्रीय तरीके अपनाये। जब ८० हजार शिक्षक आन्दोलन और हड़ताल कर रहे थे तो जेलों के फाटक खोले गये और उनको यातनायें दी गयीं। सबसे बढ़िया इनाम दिया गया कि उनकी सेवायें ही समाप्त कर दी जायेंगी। इस प्रकार धमकी से

लेकर जुल्म के डन्डे चलाये गये और वैकल्पिक व्यवस्था की गयी। शान्तिपूर्ण आन्दोलन उनका चल रहा था इसलिये किसी तरह से मामला हल हुआ। आज जो वैकल्पिक शिक्षकों के बारे में शासन सोच रहा है इसके बारे में अलग-अलग मत तो हो सकते हैं लेकिन मेरा पहला सुझाव यह था कि शिक्षकों का जो आन्दोलन हुआ था, हड़ताल हुई थी, शासन यदि उनके कारणों के ऊपर जागरूक होता और जानकारी की गयी होती तो ज्यादा अच्छा होता। कल आपने आन्दोलन को दबा दिया लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी वह आन्दोलन उभर सकता है तब आप जुल्म के और ज्यादा गम्भीर तरीके अपनायेंगे अगर आप लोकतन्त्र का दम भरते हैं, अगर आप जन समस्याओं को ईमानदारी से हल करना चाहते हैं तो पहले समस्या का कारण जानना जरूरी होगा लेकिन आपने कारणों को फिक्र नहीं की।

दूसरे, वैकल्पिक शिक्षकों के बारे में जो यह संशोधन विधेयक आया है, अखबार में पढ़ने को मिला था कि अदालत से स्टे ले लिया गया आगे एक अदालती समस्या भी पैदा हो जायगी, फिर एक नया संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा और फिर चाहे जितने संशोधन विधेयक आप लाते रहें इस तरह की गुत्थियों को आप सुलझा नहीं सकेंगे। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि आन्दोलनों के कारणों के बारे में विषद व्याख्या हो सके और उसकी परिधि भी बढ़ाई जा सके।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)--

दूलहा बने तो हद्दे मसरत से बढ़ गया, घोड़े के लात मार कर सूली पर चढ़ गये।

हमें सरकार मिली है और सरकार का काम जिद्द तथा किसी से इंतकाम लेना नहीं है। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शिक्षक वर्ग जो है अगर हम समाज में उसको इज्जत न दे सके, उनकी बातों को हमने संजीदगी से नहीं सुना और उनके मसले को हल करने की कोशिश नहीं की तो इस सारे समाज का ढांचा बिगड़ जायगा। समाज में अध्यापक का वह दर्जा है जिससे समाज को साइंटिस्ट, तथा सियासतदां मिलते हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी दूसरे बड़े लोगों को वह पैदा करते हैं। जयप्रकाश नारायण को पैदा करते हैं। अगर अध्यापक का दर्जा गिरा दिया गया, उनके साथ जिद्द तथा हठ बरती तो समाज में हमारी हैसियत खत्म हो जायेगी और हम अपने को समाज के सामने एक अच्छा शासक के रूप में पेश नहीं कर सकेंगे। बहुत से अध्यापक जो हड़ताल के दौरान अपनी ड्यूटी पर वापस हो गये थे उनको भी शायद उस जमाने का वेतन नहीं मिला है। हमको इन तमाम चीजों को देखना चाहिए संजीदगी से अध्यापकों के मसले को हल करना चाहिए।

हमारे शिक्षा मंत्री खुद अध्यापक रह चुके हैं। अध्यापक की क्या दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, एक महदूद रकम के अन्दर किस तरह से उनको अपना घर चलाना पड़ता है, समाज में अपनी इज्जत रखनी पड़ती है इस तरफ भी शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह एक अहम मसला है इसलिए संजीदगी से हल करना चाहिए न कि जिद तथा हठ से।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल प्रस्तुत है उसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय इसका मैं समर्थन करती हूं। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र से आये हैं। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से सेवारत हूं। मुझे इसी लिए बड़ा दुख हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो इतने वर्षों तक सेवा किए हो वह इस प्रकार का बिल पेश करे। जिस व्यक्ति को शिक्षा से प्रेम है, जो अपने प्रदेश की उन्नति चाहता है और चाहता है कि हमारे बच्चों का विकास हो तथा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो हमारे नवयुवक अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में नाम पैदा करें, विज्ञान की उन्नति हो वह व्यक्ति ऐसा विधेयक पेश नहीं कर सकता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह विधेयक नहीं है बल्कि यह अध्यापकों के प्रति मजदूरों के प्रति सरकार ने जो नीति अपनाई है उसका एक नाम स्वरूप है। मैं इसकी सख्त विरोधी हूं।

आपको याद होगा जब अध्यापकों की हड़ताल हुई और उन्होंने सत्याग्रह किया, अपनी मांगे पेश की तो हम उम्मीद करते थे कि हमारे शिक्षा मंत्री बड़े धैर्य के साथ उन मांगों के अंतराल तक जायेंगे और उनकी कठिनाइयों का समाधान करना चाहेंगे। लेकिन इसके विपरीत हमें निराशा हुई। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जो मार्च और जून में चुनाव हुए अध्यापकों ने बड़ी बड़ी आशायें और अपने स्वप्नों को साकार होने का नहीं देखा था, और जनता पार्टी को अपना अमूल्य मत नहीं दिया था, वे समझते थे कि उनकी जो मांगे है, उनकी पूर्ति होगी ? उनका स्वप्न भंग हुआ उनकी सारी आशायें कुचल दी गई, उनका दमन हुआ।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी जो मांगे उन्होंने पेश की थी क्या वे उचित नहीं थी ? क्या शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए था ? उनकी मांगे समझने और उन्हें पूरा करने के बजाय अध्यापकों को जेल में भेज दिया गया, उनके उपर लाठियां चलाई गईं। सिर्फ एक आईटम बाकी रह गया कि गोलियां नहीं चली। वह भी कार्यक्रम पूरा हो जायेगा जोकि बाकी रह गया है। श्रमिकों को गोलियों का शिकार होना पड़ा है, हरिजन गोली के शिकार हो रहे हैं। अध्यापक बाकी रह गये हैं। अध्यापकों की मांगे उचित हैं वह शिक्षा का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हमारे जो अध्यापकगण आगे बढ़ना चाहेंगे उनका इससे दमन किया जायेगा। मान्यवर, यह जो विधेयक आपके सामने पेश किया गया है यह दमन नीति का आईटम है। पहले उनको जेल भेजा गया और गोरखपुर में लाठियां मारी गई और अब यह विधेयक पेश किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह शिक्षा की बेहतरी के लिए नहीं है यह अध्यापकों के लिए एक चेतावनी है कि जो कि शिक्षा की उन्नति करना चाहते हैं। यह दमन करने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि जिन अध्यापकों ने हड़ताल में हिस्सा लिया था। उनका इशारा है कि अगर आपने हड़ताल की तो आपकी सर्विसेज खत्म कर दी जायेगी। नम्बर (२) यह है कि जो अध्यापक रखे गये थे, क्या वे योग्यता के अनुसार रखे गये थे ? उन अध्यापकों को परमानेन्ट करने का जो विधेयक रखा गया है, उसका मैं घोर विरोध करती हूं। अगर इन अध्यापकों को आपने अप्वाइटमेन्ट दिया तो शिक्षा का स्तर कितना गिर जायेगा ? मान्यवर, हमारे जो विद्यालय हैं वे ज्ञान के केन्द्र हैं। उनमें अच्छे अध्यापक होने चाहिए। लेकिन इस विधेयक के अनुसार हमारी जो योग्यता का आधार है, चयन के सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में, वह बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग योग्यता रखते हैं, उनका भविष्य क्या होगा ? जब तक इनकी खपत होगी, तब तक दूसरी हड़ताल हो जायेगी और फिर नये अयोग्य टीचर रख लिए जायेंगे। फिर तीसरी हड़ताल हो जायेगी और इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। तो योग्य टीचर्स का भविष्य क्या होगा और जिन बच्चों को ये अयोग्य टीचर्स पढ़ायेंगे, उनका भविष्य क्या होगा ? इन शब्दों के साथ में इस बिल का घोर विरोध करती हूं और इसी समय शिक्षा मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि इस बिल को वापस ले और अपनी दूरदर्शिता तथा हृदय की उदारता का परिचय दें और जिन अध्यापकों ने हड़ताल की है, और उनको जो असंतोष था, उसको समझने की कोशिश करें और उसको दमन न करें।

श्री रजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका जो संशोधन है उसको रखते समय आप बोल सकते हैं।

*श्री लखनी सिंह (जिला मथुरा)--

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस विधेयक के बारे में बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। शिक्षा मंत्री जी हमारे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और वह जो विधेयक लाये हैं वास्तव में वह अक्षरशः सत्य है। कटौती वाले माननीय सदस्यों की बात को भी सुन रहा हूं और तिवारी जी को भी सुना और अभी जो देवी जी बोल रही थीं, उनको भी सुना। मान्यवर, आप भी जानते हैं, कि एक वह भी देवी जी थीं जिन्होंने अध्यापकों से तबादलों के केस मांगे थे।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया विषय पर आएं।

श्री लखनी सिंह--

मान्यवर, मैं विषय पर ही आ रहा हूं। जिन अध्यापकों ने हड़ताल करी इस बात को तो मैं मान लेता हूं कि जनता पार्टी का उन्होंने बड़ा असहयोग किया और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो अध्यापक हड़ताल में निर्दोष थे, उनको वेतन जरूर दिया जाय। यह तो मैं मंत्री जी से कहूंगा।

अभी बरसाने गया था। शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में एक बात आयी। एक अध्यापिका कितना रो रही थी आपके सामने बरसाने में। पहली सरकार ने यह कर दिया था कि छोटे अध्यापकों का तबादला भी यहां से मंत्री जी करेंगे। हम वर्तमान मंत्रीजी से कहते हैं कि तबादला कर दिया जाय क्योंकि ५० किलोमीटर दूर है।

फिर एक और देवी जी हैं मालती शर्मा। उनसे जब कहते हैं तो वह कहती हैं कि अभी यह अधिकार शिक्षा मंत्री जी ने मुझे दिया ही नहीं। मैं कैसे करूं हमारे यहां एक अध्यापक बैठे कन्हैयालाल जी जो मथुरा से चुनकर आये हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखी सिंह]

जो सत्याग्रह करने वाले थे, वह कहते हैं कि हम तो जन्मजात सत्याग्रही हैं, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह करने वाले हैं। यह सत्याग्रही थे नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। यह हड़ताल आपने करवायी और अध्यापकों को बरगलाया जो अध्यापक हैं उनको मैं गुरु कहता हूं। अध्यापक वह हैं जो वृक्षों के नीचे, जमुना के और गंगा के किनारे शिक्षा दिया करते थे। यह अध्यापक हैं, नहीं हैं।

(लाल बत्ती जलने पर)

उपाध्यक्ष जी--

आपने लाल बत्ती जलादी अभी तो मैंने भूमिका ही बांधी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी मंत्री रहे और भगवान आपको सदा मंत्री बनावे। मैं तो चाहता हूं कि मेरे सामने ही आप केन्द्र में मंत्री हो जावें। लेकिन मंत्री महोदय, जरा ऐसी कृपा करो कि हम भी जनता में कुछ कहने लायक रह जांय। हम भी जो दो लाख पर चुन कर आते हैं। जब वह हमारे सामने रोते हैं तो हम क्या कहें। यह जो तिवारी सरकार ने कानून बनाया कि तबादले यहां से होंगे तो इसको एकदम बदल दो जिससे कि यह तबादले जिला परिषद् के अधिकार में चले जांय। इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री जदार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो संशोधन विधेयक रखा है मैं उसका प्रबल समर्थन करता हूं। मान्यवर जिन परिस्थितियों में इस प्रदेश में हड़ताल हुई यह बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है कि उसकी मंशा पूरे अध्यापकों के हित की थी। यह सर्वथा राजनैतिक हड़ताल थी, अध्यापक होने के नाते हमने काफी प्रयास किया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से सारे मसले पर बातचीत हुई। मामला करीब-करीब तय भी हो गया था, लेकिन जो लोग राजनीति को अस्त्र बनाना चाहते थे उन्होंने सारे प्रदेश में जनता सरकार को बदनाम करने के लिए यह हड़ताल कराने की कोशिश की। बख्शी जी ने सत्याग्रह और आन्दोलन का सवाल उठाया है, हम तो सत्याग्रह और आन्दोलन के सदैव से पूर्णरूपेण हिमायती रहे हैं। हम तो संघर्ष और आन्दोलन में विश्वास करते हैं और यही करके यहां आये हुए हैं। किन्तु इनकी सरकार ने यह किया कि इतनी इतनी नस बन्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। जनता पार्टी की सरकार ऐसा काला कानून बनाने वाली नहीं है। जो परिस्थिति थी, उसमें जिन लोगों ने जनता पार्टी की सरकार के साथ वफादारी की उनके साथ हमने उचित सलूक किया है और यह हर आदमी और हर सरकार करती है जिन लोगों ने हड़ताल के गाढ़े समय में हमारा साथ देकर जनता पार्टी के गौरव को बढ़ाया था और जिनकी मदद से सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि यहां कोई सरकार है, उनके साथ हमें कुछ अवश्य ही करना चाहिए था और हमने उनके बारे में एक उचित निर्णय लिया है, उनको प्रोत्साहन दिया है। उस हड़ताल के पीछे मेजारिटी नहीं थी, चन्द पेशेवर नेता थे जो जब-जब यहां विरोधी दल की सरकार बनी और कांग्रेसी सरकारें जब जब आई, हड़ताल का बिगुल बजाते रहे। वास्तविक बात तो यह है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जो लोग पिछली विधान सभा में राष्ट्रीयकरण का पुरजोर विरोध किया करते थे, हमारी सरकार बनते ही वह राष्ट्रीयकरण वाले बन गए और उन्होंने उसका समर्थन किया। यह राजनैतिक कदम था और उसका मजबूती से जवाब दिया गया और देना चाहिए था और हर मजबूत सरकार यही करती मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुमत अध्यापक हड़ताल के पीछे नहीं थे, इसलिए अब सरकार को उदारतापूर्वक अध्यापकों के रुके वेतन को देने की घोषणा कर देनी चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे गोरखपुर में और सभी जिलों में वैकल्पिक टीचर्स की नियुक्तियों में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबन्धकगण ५-५ हजार रुपया लेकर उनको नियुक्ति कर रहे हैं। पहले कह दिया जाता है कि स्थान रिक्त नहीं है, किन्तु रुपया दे देने पर पीछे दरवाजे से उनको रख लिया जाता है। इसलिए मैं इस अपील के साथ इसका समर्थन करता हूं कि आप एक महीने की तनख्वाह उनको दिलाने की घोषणा करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय शिक्षा मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं। यह वैकल्पिक व्यवस्था जो पिछली हड़ताल के समय दिसम्बर-जनवरी में की गई थी उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने यह संशोधन बिल रखा है। उस समय जो हड़ताल हुई थी टीचर्स की समस्याओं को लेकर, माननीय मंत्री जी स्वयं एक अध्यापक होने के नाते उनसे भलीभांति परिचित हैं कि जितनी मांगे उस समय रखी गई थीं, उनमें से बहुत सी सिद्धान्त रूप से सही थीं, जिसे सरकार ने भी माना और मंत्री जी चाहते थे कि उनको मान लिया जाए, लेकिन कुछ कारणों से मानने में वह विवश थे। उस समय जो नियुक्तियां हुई और जिन अध्यापकों ने अपना कार्य आरम्भ किया, उनकी सेवाओं का नियमित करने के लिए आपने यह किया है। यह ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो लोग रखे गए हैं, वे रखे जाएं, लेकिन जो सेवा से निकाल दिए गए हैं या जिनको वेतन नहीं मिला है, उनके बारे में क्या शिक्षा मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं कि उनको उस अवधि का वेतन दे दिया जाए और उनको पुनः सेवा में रख लिया जाए। वह यह बात रख देते तो यह पूर्ण रूप से अध्यापकों के लिए अच्छा होता। राज्य में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने यह एलान किया कि उन्होंने जनतन्त्र की पुनर्स्थापना की है। जनतन्त्र की स्थापना का अर्थ आपने माना है कि प्रदर्शन करना, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता सब उसमें निहित है। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? गोरखपुर में उन अध्यापकों को लाठी से पिटवाया। यह अध्यापक की गरिमा हमारे समाज में क्या है यह सरकार न समझती हो, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री चूंकि उस समुदाय के हैं जरूर समझते हैं। गोरखपुर में उनका जो यह कारनामा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश पर कलंक का धब्बा अगर किसी सरकार ने लगाया है तो इस सरकार ने लगाया है। जब से यह सरकार आयी लाठी गोली चलने लगी। यह गृह मंत्री को देखना चाहिए। अब माननीय राम सिंह आये हैं। माननीय शिक्षा मंत्री कम से कम यह करें कि जिन अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं जिनको एक महीने का वेतन नहीं मिला है, यह बहुत सी छोटी बातें हैं, इनकी सेवा को नियमित करने की बात और एक महीने का वेतन दिलाने की बात कर दें तो अच्छा हो। इन शब्दों के साथ जो प्रवर समिति को भेजने के लिए संशोधन रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं अवश्य ही छोटा सा विधेयक है परन्तु उसकी पृष्ठभूमि और प्रतिपादित विषय अपने आप में बहुत गम्भीर हैं। मैं बहुत सी बातें माननीय सदस्यों द्वारा जो मुझसे पूर्व कही गयी हैं उनकी ओर किसी विवेचना में अपने को सम्मिलित न करके इतना ही अनुरोध करूंगा कि अध्यापकों की जो विगत हड़ताल हुई वह अपने आप में बहुत दुखद प्रकरण था। उस प्रकरण में इस पक्ष या उस पक्ष के माननीय सदस्यों से, चाहे जिस पक्ष के हों, यह अनुरोध करूंगा कि शिक्षा का विषय ऐसा विषय है जिसको राजनीति से जितना दूर रखें अपने देश और प्रदेश का उतना ही हित होगा। इस क्षेत्र के हर विषय को तटस्थ दृष्टिकोण से विचार करने की चेष्टा करनी चाहिए।

महोदय, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ था कि इस अध्यापक आन्दोलन की पृष्ठभूमि को नजदीक से दे सकूं और माननीय शिक्षा मंत्री ने उस परिपेक्ष में जो प्रयत्न किए उनको भी नजदीक से देख सकूं। सरकार और अध्यापक दोनों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उन दोनों के साथ बैठ कर इस विषय को सुलझाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं उन्हें कर सकूं। इस सारे अध्याय को बहुत नजदीक से देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस पृष्ठभूमि में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी संजीदगी के साथ यह राय है कि गलती दोनों तरफ से हुई है। सरकार ने जो कदम बाद में उठाया, देर से उठाया अध्यापकों ने जो कुछ किया पूर्णतया शैक्षिक नहीं था बल्कि और भी कारण सम्मिलित थे वह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम चेष्टा करें कि शिक्षा का वातावरण सुन्दर से सुन्दर हो। शिक्षा ही इस देश के निर्माण की भित्ति है। इस बात का ख्याल में रख कर, राजनीति को दूर रख कर चेष्टा करें कि किस प्रकार शिक्षा संस्थाओं का वातावरण सुन्दरतम हो सकता है और इधर उधर के प्रभावों से मुक्त हो सकता है।

इस पृष्ठभूमि में मैं दो एक बातों का अनुरोध करना चाहता हूं। पहला अनुरोध यह है कि चाहे अध्यापकों ने गलती भी की हो मंत्री जी एक तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करें। अध्यापकों का बहुत बड़ा समुदाय राजनीति से प्रेरित नहीं था।

वह दोषी नहीं थे। इसीलिए जो वेतन नहीं दिया गया वह उन्हें तत्काल दिया जाए। आगामी ५ सितम्बर को आप अध्यापक दिवस मनाने जा रहे हैं उस दिन तक आप घोषणा करें कि जो वह रुका हुआ वेतन है वह पूर्णरूप से उन्हें दे दिया जाएगा। सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि सरकार की दृष्टि में मूल्य देने के लिए मेरा समर्थन करने की कृपा करें।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अध्यापकों से विचार-विमर्श करते समय जो वादे सरकार ने किए थे उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं। सरकार का दृष्टिकोण उदारतापूर्ण होना चाहिए और जो कुछ वादे किए गए थे और चूंकि वे औचित्यपूर्ण थे इसलिए उनको अविलम्ब पूरा किया जाए। मुझे बड़ा दुख है कि इतना समय समाप्त हो गया लेकिन उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। मेरा अनुरोध है

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि माननीय मंत्री जी जब अपना उत्तर दें तो मेरी इन बातों का उत्तर अवश्य दें ।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

२ मिनट मुझे भी दे दिए जायें ।

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मैं चाहता हूं कि मुझे भी दो मिनट दे दिए जायें । माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यापकों की जो हड़ताल हुई उसमें कुछ मांगें सही थी और कुछ गलत थीं । निगमीकरण की बात बिलकुल अव्यवहारिक थी । शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इसका मैं पक्षपाती हूं लेकिन लम्बी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो वैकल्पिक नियुक्तियां हैं उनके कारण नयी नियुक्तियां कई सालों तक नहीं होंगी । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । अगर सरकार उनको सुविधा देना चाहती है तो यह कर दे कि इन्टर ब्यू में उनके लिए १० नम्बर अलग से रख दे, तो ठीक है । जो आप कर रहे हैं इससे शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश हो जायगा । उसमें अच्छे लोग नहीं आ पावेंगे । मैं जनता पार्टी का सदस्य हूं और मैं सोचता हूं कि शिक्षा का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और उसमें इस तरह का प्राविधान करना उचित नहीं है । इसलिए मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिल को वापस ले लें और इस पर पुनर्विचार करें । वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप स्थान रिजर्व कर दें लेकिन नई नियुक्तियों को न रोंके ।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद समाप्त हुआ ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं प्रारम्भ से ही खड़ा हो रहा हूं । हमारी ओर से कोई बोला ही नहीं है । आपने जनता पार्टी के ५-६ लोगों को बोलने का अवसर दिया ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि यह विषय आप देखें कि बहुत ही विवादग्रस्त होता जा रहा है । सदन में जो विचार हो रहा है यह कोई दल की बात नहीं है माननीय सदस्य अपनी राय दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि यदि आप इसमें चन्द मिनट और बढ़ा देंगे तो २-४ लोग और बोल लेंगे और उनके विचार हम लोगों के सामने आयेंगे । माननीय मंत्री जी भी उन विचारों से अवगत होंगे । इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पर १० मिनट बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं समय दे सकता हूं यदि आप जो दूसरा बिल माननीय न्याय मंत्री जी का आ रहा है उस पर विवाद न करें ।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, आप उसे आज न लें। कल ले लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सदन का प्रस्ताव है। सदन ने तीनों बिल आज रखे हैं इसलिए सदन के प्रस्ताव को मैं रद्द नहीं कर सकता। अगर आप चाहते ही हैं कि इस पर बहस हो तो १५ मिनट तक बोलें। दूसरा जो बिल आयेगा उसे मैं साढ़े ४ बजे ले लूंगा। ५ बजे सप्लीमेन्टरी बजट भी पेश होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इसमें हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। सदन की सर्वसम्मति से आवाज आ रही है कि बिल को वापस ले लिया जाय। यह जो विकल्प है शायद मंत्री जी इसे देखकर इसे स्टे कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी यह तो सदन को निश्चय करना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बिल वापस लेना चाहें तो वह खड़े होकर कह दें। अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से हम लोग आ रहे हैं। जो सरकारी कार्यक्रम है वह चले या न चले अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बिल को वापस लेना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री काली चरण—

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ बड़ी सुन्दर-सुन्दर बातें माननीय सदन के सामने आयीं जिसमें एक खास बात आई कि उदारता का परिचय दिया जाय। श्रीमन् उसी उदारता के परिचय के लिए यह बिल लाया गया है। यह विधेयक उन बातों का सबूत है। उस उदारता का कि वह अध्यापक, जिनकी लड़कों के प्रति निष्ठा, उनके जीवन के प्रति निष्ठा थी जिन्होंने काम किया था उनको जगह देने की बात है। तो इससे बड़ी उदारता कोई हो नहीं सकती।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, इसमें उदारता का क्या प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवती सिंह जी क्या यह विवाद आपस में इसी तरह से होगा?

श्री चेतराम गंगवार—

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बोल चुके हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

*श्री चेत राम गंगवार—

मान्यवर, आपने यह कैसे कह दिया कि अनुमति नहीं दूंगा? क्या मैं चुनकर नहीं आया हूं? क्या मैं इस माननीय सदन का सदस्य नहीं हूं? मुझसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपका कौन सा मनमुटाव है ? आपने समय बढ़ा दिया है इसलिए मैं खड़ा हुआ । आप कहते है कि समय नहीं दूंगा ।। मैं तो कभी आपके कक्ष में भी नहीं गया । आपसे मैंने कभी कोई बात नहीं की । पता नहीं क्या आप मुझसे प्रीजूडिस्ड हैं ? आप अनावश्यक ही मुझसे मनमुटाव रखते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपको मालूम है कि ५ बजे अनुपूरक अनुदानों को लेना है । इस बिल को ४ १/२ बजे समाप्त करना है और १५ मिनट में दूसरे बिल को लूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आधे घंटे का समय बढ़ाया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

५ बजे सप्लीमेन्ट्री बजट आना है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, एक सदस्य के नाते मुझे अधिकार है और सदन में अपना प्रस्ताव रख सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

किस बात का आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं, क्या आप इस बिल पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, आप समय को इस प्रकार विभाजित कर दें कि इस पर कुछ समय और मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा है कि ४ १/२ बजे तक इस बिल को लूंगा । अगर आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो....

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मजबूर होकर मुझे प्रस्ताव रखना पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो यों ही समय ले रहे हैं । इस समय २० मिनट का समय है ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के करोड़ों लोग इस राय के हैं कि इस बिल से दलगत राजनीति और जातिवाद की बू आ रही है । मान्यवर, सारा प्रदेश इस बात को जानता होगा कि पिछले वर्ष हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर दी । बजाय इसके कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया

[श्री चेतराम गंगवार]

जाता । माननीय मंत्री जी ने, जो उसी शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, इससे पहले अध्यापक भी रहे हैं, लेकिन इस सब बातों के बावजूद जनतांत्रिक तरीका अपनाने के स्थान पर आपने बरबरता बरती, कहीं उन पर लाठी चलवायी, कहीं उनकी पिटायी करवायी और कहीं पर उन लोगों को जेलों में भेज दिया गया ।

मान्यवर, सारे प्रदेश में लगभग १ लाख लोग हड़ताल पर गए और जैसे की आपकी नीति है, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे किसी संस्था की बात हो आपने लाठी ही नहीं बल्कि गोली का भी प्रदर्शन किया । चाहे वह सम्भल हो, चाहे पंतनगर हो, कानपुर हो या बनारस रहा हो इस प्रकार की नीति को आपने हर जगह लागू किया है । इस विधेयक से शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है और न शिक्षकों का ही कल्याण हो रहा है । विधेयक में सिर्फ इतनी बात है कि जो माननीय मंत्री जी के चारों तरफ रहकर चाटुकार लोग हैं उनको एक मौका तब मिला जब कि अध्यापक लोग स्ट्राइक पर चले गए और आर० एस० एस० के लोगों की भर्ती कर दी गयी । प्रदेश की जनता में एक बू आती है कि जो इनके रिश्तेदार हैं या चाटुकार हैं, सारे लोगों को एप्वायन्ट कर दिया गया ।

इस विधेयक में एक बात यह भी लिखी है कि एक सप्ताह जिसने काम किया है उसको जब भी रिक्तियां होंगी उन पर प्राथमिकता दी जाय और एप्वाइन्ट किया जाय बिना यह देखे-भाले कि वे कहां तक पढ़े हैं, किस सब्जेक्ट को जानते ह । केवल एक हफ्ते, जिन्होंने काम किया है उनको ले लिया जाय भले ही उन्होंने नेकर पहनकर लाठी चलायी हो और शिक्षा से उनका कोई सम्बन्ध न रहा हो । शिक्षा से कोई वास्ता नहीं था । तो मैं इसका कोई औचित्य नहीं समझता हूं । मैं वर्मा जी का आभारी हूं कि वे यह संशोधन प्रस्ताव लाए । हमारी माननीया बख्शी जी ने भी कहा, भाई मैनेजर सिंह जी ने भी कहा, सदन की भी यह राय है, आप इस काले विधेयक को वापस ले ले तो अच्छा हो । यह जनहित में नहीं है, इससे पार्टी के कुछ लोगों का ही केवल भला होगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं । जैसे ही जनता पार्टी की हुकूमत बनी, कई वर्ग के लोगों, अन्य पार्टियो के सहयोग से, सरकारी काम-काज में व्यवधान डालना शुरू कर दिया, अड़चनें डालना शुरू कर दिया । शिक्षक संघ के शिक्षक नेताओं ने जिनका सम्बन्ध सत्ता कांग्रेस से था, कम्युनिस्ट पार्टी से था, सरकार के कामों में रोड़ा अटकाना शुरू किया गया ।

जो हड़ताल हुई वह कतई शिक्षकों के हित में नहीं थी । वह तो राजनैतिक कारणों से राजनैतिक हड़ताल थी । अन्तिम क्षणों तक माननीय मंत्री जी बात करते रहे, सम्मानित शिक्षक नेताओं को समझाते रहे कि हड़ताल वापस ले लें, पर वे अपनी जिद्द पर अड़े रहे । आखिर अन्तिम समय पर उनको हड़ताल वापस लेनी ही पड़ी । यह एक राजनीतिक हड़ताल थी और उनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं हो सकती थी । कांग्रेसी लोग जो जनतन्त्र की दुहाई देते हैं, उनके शासन में एक बार नहीं, कई-कई बार लाठियां और गोलियां चली हैं ।

माननीया बख्शी जी स्वयं जानती हैं, इस वक्त तो घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फायदा है, उस वक्त आपात काल में जब सबका मुंह बन्द कर दिया गया था और शासन का जुल्म चकरा गया आपने कभी देवी जी से यह नहीं कहा कि यह सब क्या कर

रही हो । आज उत्पन्न राजनीतिक कारणों से शिक्षकों को गलत प्रश्रय देकर आप शिक्षा व्यवस्था ही नष्ट करने पर तुले हैं । जिनके बच्चे आज पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वे ही लोग आज ऐसा करने पर तुले हैं ।

शासन की तरफ से जो घोषणा की गयी थी उसी का पालन यह सरकार कर रही है । यह कहा गया था कि इस समय जो भी अध्यापक अध्ययन कार्य पर आयेगा और पढ़ाई का काम शुरू करेगा, उसकी सेवा की सुरक्षा की जायेगी । आज उसी वायदे को पूरा किया जा रहा है । मैं इसका समर्थन करता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं शिक्षक हैं, उन्हें शिक्षकों से स्नेह है, प्रेम है, लेकिन एक वर्ग के हित के आगे पूरे समाज का हित बड़ा होता है । प्रदेश का हित बड़ा होता है और प्रदेश के हित में ही यह कदम माननीय मंत्री जी ने उठाया है । इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधन प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । पिछली बार शिक्षकों द्वारा जो हड़ताल हुई थी वह शिक्षा के प्रति ही गद्दारी नहीं थी, बल्कि उन बच्चों के प्रति थी जो शिक्षा पा रहे थे, उनके अभिभावकों के प्रति थी जिनके बच्चे पढ़ रहे थे । हम यह मानकर आए हैं प्राचीनकाल से कि अध्यापक पशु को ही इंसान बनाते हैं और इंसान में देवत्व फूंकते हैं और देवत्व फूंकने के बाद ही उसे ईश्वरत्व का मार्ग दिखाते हैं । जब बच्चे आवारा घूमने लगते हैं, तो वह वास्तव में शिक्षा जगत में ही नहीं, देश के प्रति भी वह गद्दारी समझी जायगी । जिन लोगों ने उस वक्त सरकार के आड़े समय में काम किया, सरकार के कहने पर बच्चों की शिक्षा प्रदान किया, उनका ध्यान प्राथमिकता के तौर पर रखना आवश्यक है और शिक्षा मंत्री जी ने उनका ध्यान रखा है । जो वेतन से वंचित रह गये हैं, जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया है, अगर वे अपने कृत्य पर खेद प्रकट करें, तो उनको भी वेतन दिया जा सकता है, क्योंकि वे बच्चों के अंग हैं, उनका वेतन इस तरह से रोके नहीं रखा जाना चाहिए । शिक्षा जगत में जो अव्यवस्थायें हैं, जो चली आ रही हैं, उन सब पर अंकुश रखने के लिए सरकार के हाथ में साधन और नियम रखने आवश्यक हैं । इसी कारण जो यहां पर विषय रखा हुआ है, वह उचित है और माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आपको ध्यान रखना चाहिए कि राम आसरे वर्मा की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

इसमें बिल में तरफ क्या होता है ? मुझे नहीं चाहिए समय, लेकिन यह कह कर कि आपकी तरफ के बोल चुके हैं, इसमें वह पार्टी का सवाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, पार्टी का सवाल क्यों नहीं है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामधर मिश्र—

हर बात पार्टी का विषय नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, प्रवर समिति में भेजने के पक्ष तथा विपक्ष में जिन माननीय सदस्यों ने विचार में भाग लिया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं । चर्चा के दौरान तमाम साथियों ने शिक्षकों के आन्दोलन को 'राजनैतिक' कह कर उसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण जैसा अपनाया है । मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि संघर्षों के इतिहास में जो संशोधन विधेयक इस समय है वह दमन नीति का परिचायक है ।

जहां तक आन्दोलन को राजनैतिक रूप देने का सवाल है, मैं उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने राजनैतिक कहकर बदनाम किया, उनसे कहना चाहता हूं कि जो ८० हजार शिक्षक आन्दोलन में थे, उनमें वह लोग भी थे, जिन्होंने आपातकालीन स्थिति में घाव सहे, उनके घाव अभी सूखे नहीं हैं । जिन्होंने राजनैतिक शब्द कहा, मैं समझता हूं कि इस तरह से आन्दोलन को कलंकित करना है । अधिकांश शिक्षक ऐसे थे, जिनके ऊपर आपातकाल के हमले हुए और वह आन्दोलन में थे । अतः यह उन अध्यापकों के प्रति नाइंसाफी है और उनके आंदोलन के प्रति नाइंसाफी है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

उनका आंदोलन सही आंदोलन था उनकी मांगें न्यायोचित थीं । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिनका वेतन रोका गया है उनको बिना किसी शर्त वेतन दिया जाय । मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं उन तमाम माननीय सदस्यों का जिन्होंने चर्चा में भाग लिया ।

श्री काली चरण—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक के संबंध में अपने विचार प्रकट किये । दो-तीन खास-खास बातें उठायीं गयीं हैं । एक बात यह उठायी गयी है कि अध्यापकों के सम्मान करने की इस संबंध में मेरा एक ही अनुरोध है कि सम्मान किसी से कराया नहीं जाता, सम्मान का जो पात्र होता है उसका सम्मान सब लोग विवश होकर करते हैं । जो अध्यापक ईमानदार है, अध्यापक के कर्तव्य का पालन करता है, सम्पूर्ण विद्यार्थी और समाज उसका आदर करता है । जो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, ऐसे अध्यापक कभी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते जो अपने विद्यार्थियों की जिन्दगी से खिलवाड़ करते रहें । जो उच्चतम उपाधियां प्राप्त करके भी विद्यालयों में काम नहीं करते हैं, जो विद्यार्थियों को विवश करते हैं कि वह स्कूल में न पढ़ें और घर पर ट्यूशन पढ़ें ऐसे अध्यापक कभी भी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते हैं ।

श्रीमन्, एक बात कही गयी है कि जो अध्यापक रखे जा रहे हैं उनसे शिक्षा का स्तर गिर जायगा। तो जो अध्यापक पहले रखे गये थे और यह जो वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अध्यापक रखे जा रहे हैं तो इनकी अर्हतायें उनसे किसी भी माने में कम नहीं हैं। वही अध्यापक रखे जा रहे हैं जो निर्धारित अर्हतायें रखते हैं। मेरा अपना विश्वास है कि अपनी परीक्षाओं में थोड़ा कम अंक प्राप्त करने वाले अध्यापक, विद्यार्थियों के साथ निरंतर परिश्रम करने वाले अध्यापक बहुत अच्छे हैं उन अध्यापकों से जो अच्छी-अच्छी डिग्री लेकर भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं।

माननीय श्री चेतराम गंगवार जी ने कहा कि इसमें जातिवाद की बू आ रही है। इस संबध में मेरा केवल इतना ही कहना है कि श्रीमन्, जिसकी नाक में बदबू ही भरी हो उसको कभी सुगंध आ ही नहीं सकती है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)।

श्री चेतराम गंगवार—

पान खाने से नहीं आती है, बहुत पान चबाने से नहीं आती है।

श्री काली चरण—

श्रीमन्, अध्यापकों के आन्दोलन और दमन के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं जिनका इस विधेयक से संबंध नहीं है। अनेकों बार किसी न किसी आंदोलन का प्रश्न इस सदन में बराबर आता रहा है। आया है और उनका सही रूप से उत्तर दिया गया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि अध्यापकों को किसी ने जेल नहीं भेजा था। सरकार ने कोई दमन नहीं किया था। आंदोलन के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया जाय और उसे लोकतंत्र की संज्ञा दी जाय तो मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र का क्या यही पक्ष है? परीक्षाओं का काल निकट है और उस समय में सारे प्रयासों के बावजूद जिसके सबूत में श्री कन्हैया लाल गुप्त ने बताया है इसलिये मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं और केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो शंका की जा रही है वह निर्मूल है, उसमें कोई भी नियुक्ति न तो दल के आधार पर, न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आधार पर और न जाति के आधार पर की गयी है। यह नियुक्तियां विद्यालयों की प्रबन्धाधिकरण द्वारा की गयी हैं जिनसे नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया था और यदि वह नियुक्ति नहीं कर सके थे तो जिला विद्यालय निरीक्षकों ने नियुक्ति किया था। एक बात और पहले कही गयी है कि उदारता का परिचय दें। तो इसमें कहना है कि उस उदारता के परिचय स्वरूप ही यह विधेयक आ रहा है कि जो अध्यापक विद्यार्थियों की पढ़ाई में अपने पूरे प्रयास के साथ अपने को समर्पित किया था उनको नियमित रूप से सेवा प्रदान करने के लिए यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इसमें एक बात और उठी कि हड़ताल के समय का वेतन नहीं दिया गया तो इसमें कहना है कि अध्यापक ने जब स्कूल ज्वाइन किया तो उस समय का वेतन दिया गया है और किसी को सेवा से पृथक नहीं किया गया है। यदि कोई ऐसा केस हो तो मुझे बतायें और फिर उसको सेवा में रख लिया जायेगा। अंत में अनुरोध है कि इस विधेयक के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान करें और श्री वर्मा से निवेदन है कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सत्तापक्ष के सदस्यों ने यह मांग की है कि मंत्री जी इसको स्वयं वापस ले लें तो मैं अपने प्रस्ताव को कैसे वापस ले लूं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २ तथा ३

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होगा

२—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

परिभाषाएं

३—इस अधिनियम में—

(क) निदेशक' का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ख) पद 'निरीक्षक', 'संस्था', 'प्रबन्धाधिकरण' और 'अध्यापक' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं, प्रतिबन्ध यह है कि 'अध्यापक' के अन्तर्गत कोई प्रधानाचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक सम्मिलित न होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है खंड २ और खंड ३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

आरक्षित समूह के अध्यापकों का आमेलन

४—(१) निरीक्षक विहित रीति से 'आरक्षित समूह अध्यापकों' का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७१ की धारा ४ की उपधारा

(४) के अधीन, जबकि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) अध्यादेश, १९७७ प्रवृत था, या तो प्रबन्धाधिकरण द्वारा या निरीक्षक द्वारा जिले में स्थित किसी संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये गये थे, और जिन्होंने ९ जनवरी, १९७८ और १९ जनवरी, १९७८ के मध्य उक्त उपबन्ध के अनुसार वस्तुतः अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया था ।

(२) जहां बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में अध्यापक के किसी पद की मौलिक रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, वहां निरीक्षक के अनुरोध पर प्रबन्धाधिकरण ऐसा पद ऐसे अध्यापक को देने की प्रस्थापना करेगा जिसका नाम उपधारा (१) में निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्ट हो ।

(३) यदि किसी अध्यापक को उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय और वह तदर्थ अनुमन्य समय के भीतर जो सात दिन से कम न होगा, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो उसका नाम उपधारा (१) में निर्दिष्ट रजिस्टर से हटा दिया जायगा, और नियुक्ति की प्रस्थापना उसी जिले के अन्य आरक्षित समूह अध्यापक को की जायेगी ।

(४) यदि ऐसा अन्य अध्यापक भी जिसकी नियुक्ति की प्रस्थापना की जाय, कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे तो इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराया जायगा जब तक कि उस जिले के आरक्षित समूह अध्यापकों की सूची निःशेष न हो जाय, और इस प्रकार निःशेष हो जाने पर, संस्था में नियुक्ति इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ की धारा १६-ङ और उसके अन्य सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।

स्पष्टीकरण--संदेहों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के उपबन्धों के आधार पर कोई अध्यापक किसी ऐसे पद पर जिसका उसने उपधारा (१) के अनुसार कार्यभार ग्रहण किया था या उसी वेतनमान या किसी उच्चतर वेतनमान में किसी पद पर नियुक्ति का दावा करने का हकदार न होगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५ तथा नया खण्ड ५-क

५--(१) यदि किसी जिले में किसी पाठ्य विषय में शिक्षण के लिये उपलब्ध रिक्तियां नियुक्ति के लिए आरक्षित समूह अध्यापकों की उपलब्ध संख्या से कम हों, या यदि ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या समीचीन हो, तो निदेशक धारा ४ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, निदेश दे सकता है कि किसी ऐसे अध्यापक का नाम किसी एक जिले में रखे गये रजिस्टर से निकाला जाय और उसे अन्य जिले में रखे गये रजिस्टर में सम्मिलित किया जाय ।

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निदेशक की शक्ति ।

(२) यदि किसी आरक्षित समूह अध्यापक का नाम उपधारा (१) के अनुसार अन्य जिले के रजिस्टर में सम्मिलित किया जाता है तो धारा ४ के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में लागू होंगे, सिवाय इसके कि ऐसे जिले में किसी अध्यापक के रूप में सेवा की अपेक्षा आवश्यक न होगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड ५ के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड ५—क के रूप में बढ़ा दिया जाय :

प्रबन्धाधिकरण द्वारा चूक की दशा में अध्यापकों की नियुक्ति

"५—क (१) जहां प्रबन्धाधिकरण निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा ४ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार किसी अध्यापक को किसी पद की प्रस्थापना करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे अध्यापक को नियुक्ति—पत्र जारी कर सकता है और संबंधित अध्यापक ऐसे नियुक्ति—पत्र के अनुसरण में पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार होगा ।

(२) जहां ऐसा अध्यापक जिसे उपधारा (१) के अधीन नियुक्ति—पत्र जारी किया जाय प्रबन्धाधिकरण की ओर से कोई कार्य या लोप किये जाने के कारण पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, वहां ऐसा अध्यापक अपना कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तब वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार हो जायगा ।"

कभी—कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि एक अच्छा काम जब किसी बुरे काम का कवच बन जाता है तो उस अच्छे काम का भी विरोध करना पड़ता है । शिक्षकों की हड़ताल हुई । बहुत सी मांगें ऐसी थीं जिनके प्रति हमारा समर्थन हो सकता है । जनता पार्टी की सरकार ने अपनी स्थापना के बाद उनकी मांगों पर सद्भावना के वातावरण में विचार किया और बहुत सी मांगों को स्वीकार किया । जैसे पेंशन में समानता हो, राज्य कर्मचारियों के महंगाई—भत्ते के साथ समानता हो अनेक प्रश्न ऐसे थे जिनपर बराबर आश्वासन दिया जाता रहा कि उन पर विचार किया जायगा लेकिन उसके बाद भी आन्दोलन का रवैया अपनाया गया और जानबूझ कर कुछ लोगों के संकेत पर ऐसा रास्ता अपनाया जिससे जनता पार्टी की सरकार जो नई—नई बनी है उसके चलने में बाधा उत्पन्न हो । फलस्वरूप छात्रों तथा अभिभावकों सभी के मन में उस हड़ताल के प्रति विरक्ति का वातावरण पैदा हुआ और सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि हड़ताल को चलने नहीं दिया जायगा और उसे विफल कर दिया जायगा क्योंकि जिस ढंग से हड़ताल की गयी थी उसका विरोध स्वभाविक था । लिहाजा सरकार के आवाह्न पर बहुत से नवयुवक अध्यापक नौकरी के लिए आये और उनको हड़ताली अध्यापकों के विरोध का सामना करना पड़ा । इसलिये इस सरकार ने उदारता के साथ ऐसा कदम उठाया है जिससे गाढ़े समय में जिन्होंने सरकार का साथ दिया था उनको नौकरी मिलने में प्राथमिकता दी जा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस वक्त भी जब अध्यापक रखे जा रहे थे तो प्रबन्धक सरकार द्वारा रखे अध्यापकों का अपने निजी स्वार्थ के कारण विरोध करते थे। आज जो संशोधन विधेयक आया है इसमें भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जब किसी अध्यापक की नियुक्ति कर दी जाय और अध्यापक जब विद्यालय जाय, चार्ज लेने तो प्रबन्धक उसे स्वीकार न करे। सीतापुर जिले की एक घटना उदाहरण स्वरूप में मैं सुनाना चाहता हूं महोली कृषक इन्टर कालेज में जब अध्यापक हड़ताल पर थे तो रवीन्द्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की गयी वैकल्पिक अध्यापक के रूप में लेकिन मैनेजर ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया और इसलिये नहीं दिया कि अध्यापक जो हड़ताल पर थे उनको मौका नहीं दिया जायगा, इसलिये उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया।

धारा चार के अन्दर यह प्राविधान किया गया है कि वह अध्यापक जिसने एक महीने का वेतन प्राप्त कर लिया हो और जिसने वास्तव में कार्यभार ग्रहण कर लिया हो। वह तो इस की परिधि में आयगा लेकिन वह अध्यापक जिसको मैनेजर ने हस्ताक्षर न करने दिये हो भले ही उसको एक महीने का वेतन मिल गया हो वह इसकी परिधि में नहीं आयेगा। इसलिये मेरा यह संशोधन इसी समस्या के समाधान हेतु है कि जिस अध्यापक की नियुक्ति हो गयी थी लेकिन प्रबन्धक ने उसे मौका नहीं दिया उसको भी इस संशोधन विधेयक के परिधि में लाया जाय और उसे भी नियुक्ति मिल सकेगी। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन को रख रहा हूं। एक बात और कहना चाहता हूं। जहां शासन ने उदारता का परिचय दिया है वहां मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक और उदारता का परिचय दे, देर आयद दुरुस्त आयद, अध्यापक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, अच्छा होगा कि उनका जो एक महीने का बकाया वेतन है उसको दे दिया जाय। यह सरकार की उदारता का परिचायक होगा।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन रखा गया है यह जरूरी है। विधेयक में यह लिखा है कि जो लिस्ट होगी उसमें मैनेजिंग कमेटी प्रस्तावना करेगी और तब टीचर रखा जायेगा। थोड़ी देर के लिये मैनेजिंग कमेटी प्रस्ताव नहीं करती है तब क्या होगा? तो उसके लिए संशोधन जरूरी है अगर मैनेजिंग कमेटी प्रस्ताव नहीं करती है तो निरीक्षक को अधिकार होगा कि लिस्ट में से प्रस्ताव कर दें। अगर मैनेजिंग कमेटी कार्यभार नहीं लेने देती है तो वह इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के यहां कार्यभार की रिपोर्ट दे कि हमने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अगर यह संशोधन नहीं होता है तो यह विधेयक बेकार हो जायेगा। इसलिए इसको मान लेना चाहिये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, यह जो संशोधन आया है, इसे मैं सरकारी समझता हूं क्योंकि मिली हुई कुश्ती हो रही है जिसको मंत्री जी नहीं ला सके उसे अब लाया जा रहा है। हम लोगों की शंका की इससे पुष्टि हो गई है। पहले बाचल के विरोध में नीतियों की बात थी उसमें विवाद इस बात का नहीं था जिसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधीर मिश्र]

राजेन्द्र कुमार जी ने जोरदार शब्दों में हड़ताल और गैरहड़ताल की बात की। हड़ताल का विषय इसमें नहीं है। इस समय सोचना यह है कि जो नीति सरकार ने इस समय प्रतिपादित की है उस पर आगे भी टिक सकती है या नहीं।

मुझे अच्छी तरह याद है केवल एक-दो साल पहले पी० डब्लू० डी० मंत्री बैठे हैं राजेन्द्र सिंह जी नहीं है, उनके विभाग में १२ हजार लोगों की छटनी हो गई थी। तो उनके लिए कोई विधेयक नहीं आया तो क्या यह परिपाटी आगे चलने वाली है कि जो लोग हड़ताल करेंगे और उनके स्थान पर जो १० २० दिन के लिए आयेंगे उनके लिए भी इसी तरह का विधेयक आयेगा जैसा कि राजेन्द्र कुमार जी लाये हैं कि अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं लेगी तो हमारे निरीक्षक जो जिलों में है उनकी बात को मानना पड़ेगा और उसे ज्वाइन किया हुआ समझा जायेगा। यदि ऐसा है तो फिर हमें यहां क्यों बुलाया गया। इसे पास किया हुआ समझा जाय और अध्यक्ष जी के दस्तखत किये हुये समझे जायं।

श्री अध्यक्ष--

आप तो केन्द्र में डिप्टी मिनिस्टर रह चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

हम रह चुके हैं लेकिन आपकी योग्यता के आगे कुछ नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जहां मेरी सत्याग्रहियों के संबंध में सहानुभूति है। मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि आप ऐसी परिपाटी कायम करने जा रहे हैं जिसमें न केवल योग्यता को विदाई देंगे बल्कि तरह-तरह के लोग चुने जायेंगे जिनकी कोई चयन समिति नहीं होगी कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं होगी। जो निरीक्षक होंगे वह सीधे कर लेंगे। तो मान्यवर, एक बिल ले आयें कि जितने इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल हैं, राष्ट्रीयकृत हो जायं और जैसा चाहें वैसा करें। न कोई निरीक्षक रहे और न कोई दूसरी बात हो। मंत्री जी रहें, अध्यक्ष महोदय, आप रहें और हमारी सदस्यता रहे। इसके अलावा कुछ न रहे।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यह समय इस बिल के लिए नहीं है। ठीक ५ बजे सप्लीमेंटरी बजट पेश किया जायेगा। फिर न्याय मंत्री जी का बिल उसके बाद में लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८ (क्रमागत)

खण्ड ५ तथा नया खण्ड ५—क

शिक्षा मन्त्री (श्री कालीचरण)—

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह तथा श्री गौरीशंकर 'एडवोकेट' ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड ५—क के रूप में बढ़ा दिया जाय।

प्रबन्धाधिकरण द्वारा चूक की दशा में अध्यापकों की नियुक्ति

५—क (१) जहां प्रबन्धाधिकरण निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारा ४ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार किसी अध्यापक को किसी पद की प्रस्थापना करने में विफल रहे, वहां निरीक्षक स्वयं ऐसे अध्यापक को नियुक्ति—पत्र जारी कर सकता है और संबंधित अध्यापक ऐसे नियुक्ति—पत्र के अनुसरण में पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार होगा।

(२) जहां ऐसा अध्यापक जिसे उपधारा (१) के अधीन नियुक्ति—पत्र जारी किया जाय प्रबन्धाधिकरण की ओर से कोई कार्य या लोप किए जाने के कारण पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, वहां ऐसा अध्यापक अपना कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट निरीक्षक को प्रस्तुत कर सकता है और तब वह उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिनांक से अपना वेतन पाने का हकदार हो जायेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ और नया खंड ५—क इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, ७, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

नियम बनाने की शक्ति

६—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १० सन् १९७८

७—(१) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज

(आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक,

१९७८

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, १९२१ के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कुछ अध्यापकों का आमेलन करने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

(२) यह २४ जून, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७, खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कालीचरण—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, १९७८, जैसा सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित करने और सदन के मत की घोषणा किए जाने पर ।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, नहीं की संख्या ज्यादा है, आप डिवीजन करवायें। अभी यह पारित नहीं हुआ ।

कई सदस्य (विरोधी पक्ष से)---

मान्यवर, डिवीजन करवायें।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, विभाजन कराइये।

श्री अध्यक्ष---

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाथ उठायें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

यह रिकार्ड में जाना चाहिए कि कौन विरोध कर रहा है। केवल संख्या का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

जब विभाजन होता है उस समय बोलने की अनुमति नहीं होती।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---७६,
विपक्ष में---२०।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

२६० में कुल ७६ ही हैं।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

जो नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें श्री सत्य प्रकाश मालवीय की सूचना स्वीकृत की है जिसमें यह है कि दिनांक २५ अगस्त, १९७८ को सायंकाल साढ़े पांच बजे इलाहाबाद शहर में जी० टी० रोड एवं जवाहरलाल रोड के क्रासिंग पर ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी।

माननीय गृह मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)---

मान्यवर, ३१ अगस्त को दे दूंगा।

रुहेलखंड विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार श्री ओम पाल सिंह पर बरेली सिविल लाइन्स स्थित रेस्टोरेन्ट में फायर करने तथा छात्रों द्वारा रजिस्ट्रार व कुलपति से जबरन इस्तीफा लिखवाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)---

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ९/१०-८-७८ की रात्रि में श्री ओम पाल सिंह सहायक कुल सचिव पर हमला होने की घटना की टेलीफोन पर सूचना

[श्री राम सिंह]—

मिलने पर थाना कोतवाली जिला बरेली पर ५ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३०७ भा० दं० वि० का अभियोग कायम किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है, दो ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया है तथा शेष दो अन्य की गिरफ्तारी हेतु कुर्की की कार्यवाही भी अमल में लायी जा चुकी है। इस घटना में प्रयोग की गई मोटर साइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। अब तक की विवेचना से इस घटना का कारण साधारण सी बातचीत पर नशे में अभियुक्तों द्वारा गोली चला देना ज्ञात हुआ है। श्री ओम पाल सिंह अब बरेली सदर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे है।

रूहेलखंड विश्वविद्यालय से सम्बन्ध कालेज ग्रीष्म-कालीन अवकाश में बन्द कर दिए गए थे और परीक्षाओं के प्रारम्भ होने की तिथि ८ जुलाई निर्धारित हुई थी। छात्रों का एक दल इन परीक्षाओं को ७ अगस्त से कराना चाहता था। कुलपति महोदय ने इन छात्रों की मांग पर ७ अगस्त से परीक्षाएं होने की घोषणा कर दी। इस पर दूसरे दल के छात्रों ने शीघ्र परीक्षा कराने की मांग की व १० जुलाई, १९७८ को कहा जाता है कि कुलपति व कुलसचिव से त्याग-पत्र लिखवा लिया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस में कोई अभियोग दर्ज नहीं कराया गया। १३ जुलाई, १९७८ को कुलपति ने प्रधानाचार्यों की एक बैठक बुलाई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं २७ जुलाई से ही ली जायेंगी। इस निर्णय के विरोध में छात्रों के एक दल ने कुलपति का घेराव किया और उक्त निर्णय वापस लेने के लिए अनुरोध किया व शान्ति भंग करने हेतु उत्तजित हो गए जिस पर वहां उपस्थित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया। इस घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग अंकित किया गया व २० अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। बाद में इस सम्बन्ध में ९ व्यक्ति और गिरफ्तार किए गए जिनमें से एक श्री के० के० जिन्दल भी थे। श्री जिन्दल के उग्र स्वभाव के कारण तथा उनके भाग जाने अथवा उनके साथियों द्वारा उन्हें छुड़ा लिए जाने की सम्भावना को देखते हुए उन्हें हथकड़ी लगाकर कचेहरी ले जाया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक की जांच से उपर्युक्त पैरा १ में उल्लिखित श्री ओम पाल सिंह के ऊपर गोली चलाये जाने की घटना का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध उक्त पैरा-२ में उल्लिखित घटनाओं से नहीं पाया गया। पैरा-१ में घटित घटना के पांच में से तीन अभियुक्तों के जेल जाने व दो की गिरफ्तारी के लिए धारा ८२/८३ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही किए जाने से जन-साधारण आश्वस्त है। उपर्युक्त पैरा-२ में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी से जन-साधारण में संतोष है क्योंकि इसके बाद छात्रों की उदण्डता में कमी आयी। उपर्युक्त दोनों मुकदमों में जांच समाप्त नहीं हुई है, अतः अभी किसी भी मुकदमें की वापसी का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, इसमें बड़ी भ्रमात्मक स्थिति है। के० के० जिन्दल जो 'विश्वमानव' से सम्बन्धित पत्रकार हैं, का किसी भी तरह से कुलपति पर हुए हमले से सम्बन्ध नहीं है। उन पर जो हमला हुआ, वह विद्यार्थी परिषद् के लोगों द्वारा हुआ और उनके निर्णय के विरुद्ध छात्रों के एक दल ने उनका घेराव किया और यह वही लोग थे, जिन्होंने जबरदस्ती उनसे इस्तीफा लिखवाया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो सूचना दे रहे हैं।

श्री रामआसरे वर्मा--

मैं पृष्ठभूमि केवल बना रहा हूं। श्री के० के० जिंदल ने वहां पर जो एक बार घोषाल कांड हुआ था उसके बारे में काफी रुचि लिया था, जो श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मंत्री बरेली के हैं, यह उनके हितों के बड़े रक्षक रहे हैं। इनकी उंगली जिधर उठ जाए, उसकी उंगली काट देने का यह काम करते हैं। इसलिए जिंदल उनकी नजरों में चढ़े हुए थे,

(व्यवधान)

यह जो कुछ भी काण्ड हुआ है, उसे सत्यप्रकाश अग्रवाल ने कराया है, लेकिन उसमें फंसाया गया है के० के० जिंदल और शिवशंकर लाल गुप्ता जैसे एम० काम० के छात्रों को और दूसरे लोगों को। इन लोगों के साथ पुलिस में घोर अत्याचार किया गया है। नंगा करके, सिर्फ अंडरवियर पहनाकर अदालत में ले जाया गया है और उन्हें इलेक्ट्रिक शाक लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, आप इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण दें।

(व्यवधान)

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश)--

अभी वर्मा जी ने मेरा नाम लिया था और मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि जिधर मैं उंगली उठाता हूं उधर ही सारा कार्य हो जाता है। यह तो सरकार का काम है और वह अपना काम करती है। बरेली में जिन लोगों ने गलत काम किए हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है और यह कहना कि किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा यह हुआ या किसी के दबाव में हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आपका जो नाम लिया गया है, उसके बारे में आप कहिए। वह सही है या गलत है, इससे आपका सम्बन्ध नहीं है। आप पर आक्षेप है, आपको यह बताना है कि वर्मा जी ने आपके खिलाफ जो कहा कि आपने इशारा किया या आपने हमला कराया ?

श्री सत्यप्रकाश--

मेरे ऊपर वर्मा जी के आरोप बिलकुल गलत हैं, निराधार हैं, इस घटना से मेरा कोई कभी सम्बन्ध नहीं रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

इसमें पृष्ठ दो पर यह कहा गया है कि श्री जिंदल के उग्र स्वभाव के कारण हथकड़ी लगाकर जेल ले जाया गया, जो 'विश्वमानव' पत्र के पत्रकार हैं। तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्रधान मंत्री मोरार जी देसाई ने यह ऐलान किया है कि किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या पत्रकार के साथ हथकड़ी लगाने का कार्य न किया जाए ? यदि इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो इन्हें हथकड़ी

[श्री नारायण दत्त तिवारी]—

लगाने का काम किया गया है। इसको देखते हुए कोई आदेश राज्य सरकार ने हथकड़ी न लगाने के सम्बन्ध में जारी किए हैं ?

श्री राम सिंह—

अभी तक जो कानून और नियमों में व्यवस्था है उसके मुताबिक वही है। अभी तक इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हथकड़ी न लगायी जाय, कुछ पर लगायी जाती है और कुछ पर नहीं लगायी जाती है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सभी पर लगायी जाय या न लगायी जाय। प्रधान मंत्री ने जो बयान दिया है, पत्रों में छपा है। उससे सम्बन्धित जो भी कार्यवाही, कोई आदेश होगा तो राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि ९ व्यक्ति बाद में गिरफ्तार किये गये, क्या वह नौ व्यक्ति मुन्ना चौबे के यहां जो एक विधायक के सुपुत्र हैं शान्तिपूर्वक मीटिंग कर रहे थे उस समय गिरफ्तार किए गए जिसमें के० के० जिंदल भी थे ?

श्री राम सिंह—

यह जानकारी सही नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर माननीय मंत्री जी जानकारी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मेरी सूचना के अनुसार उनकी जानकारी सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

१९७८–७९ के प्रथम अनुपूरक अनुदान तथा १९७२–७३ के बढ़ती व्यय के अनुदान

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७८–७९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को जो ३४.८३ करोड़ के हैं, इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कापी बंट जाने दीजिए। दोनों एक साथ रख दीजिये। दूसरा भी पेश कर दीजिये।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७२–७३ के बढ़ती व्यय के अनुदानों को भी प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इतने करोड़ रुपये का बजट है, यह कहा। क्या यह नियमों के अनुकूल है ? परम्परा यह है कि केवल इतना कहना चाहिये था कि मैं प्रस्तुत करता हूं। कितने करोड़ का बजट है यह टिप्पणी शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। उसको प्रस्तुत कर दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जो कार्यक्रम में छपा है उसी तरह से प्रस्तुत करें। वरना प्रस्तुत किया हुआ नहीं माना जायगा। दोबारा पढ़वा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

वह तो प्रस्तुत कर दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

भाषण शुरू कर दिया।

श्री मधुकर दिघे--

यह तो आपने कहा था कि कापी बंट जाने दीजिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

एक व्यवस्था दे दीजिए। अजेन्डा के अन्दर आइटम २२ और २३ माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। यह आपकी आज्ञा से उन्हीं शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिये। इस अजेन्डा के शब्द प्रोसीडिंग में आने चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जिस शब्दावली में प्रस्तुत किया है उसी तरह से कार्यवाही में लिखा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

जैसा आपने स्पष्ट किया है माननीय मंत्री फिर पढ़ देंगे।

श्री मधुकर दिघे--

पहला वाक्य वही कहा था जो इसमें है। आपने मुझे रोक दिया। आपने कहा कि कापियां सर्कुलेट करें। लेकिन मैं पुनः प्रस्तुत करता हूं।

मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७२-७३ के बढ़ती व्यय के अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

अध्यक्ष महोदय, कह दीजिए, कोई बजट पेश किया करें तो तिवारी जी के यहां हो लिया करें।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८†

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह जो छोटा सा विधेयक है वह मात्र न्याय किस तरह से शीघ्र मिले और सस्ता मिले, इसी को दृष्टि में रखते हुए लाया गया है। १९७६ में सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक संशोधन हुआ था उन्हीं के कारण से थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो गयी थी। उनको दूर करने के लिए मूल रूप से २ धारायें--३९ और ११५ में संशोधन किया गया। धारा ३९ के अन्तर्गत एक जिले में जो डिक्री पास हो जाती है उसके दूसरे जिले में एक्जीक्यूशन में बड़ी कठिनाई होती थी जिसके कारण निर्णय हो जाने के बाद भी उसको निर्णय नहीं मिल पाता था। अब यह व्यवस्था की गयी है कि अगर किसी जिले में डिक्री पास होती है तो दूसरे जिले में उसी स्तर की न्यायलय द्वारा उसका एक्जीक्यूशन किया जा सकता है और जो कठिनाई थी वह दूर हो जावेगी। दूसरे सस्ता न्याय मिले और हाई कोर्ट में न जाना पड़े इसलिए सरकार ने यह नियम बनाया था कि २० हजार तक के केसेज जिला जज के यहां पर होंगे लेकिन १९७६ के अमेन्डमेन्ट के द्वारा वह अधिकार हाई कोर्ट को दे दिया गया और इसमें भ्रम उत्पन्न हो गया कि जो यहां का प्राविधान है वह लागू होगा या जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है वह लागू होगा। अब यह कर दिया गया है कि २० हजार तक के रिवीजन में मुकदमों को डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा। इस तरह से यह एक छोटा सा संशोधन है। इसके अलावा प्लेन्ट या प्लाडिंग्स और रिटेन स्टेटमेन्ट बिना ओथ कमिश्नर के अटेस्टशन के नहीं फाइल हो सकते थे, अब हो सकेंगे। यह एक छोटा सा संशोधन है। रिवीजन के लिए हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इस दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है। व्यापक संशोधन के लिए एक कमेटी बनायी गयी है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

जो वर्मा जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह जो संशोधन लाया गया है और जो मंशा बतायी गयी है कि सस्ता न्याय मिलेगा उससे मैं नहीं समझ पाता जो उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा। आज तक सरकार की परम्परा रही है कि किसी भी समस्या की जड़ में जाकर हल नहीं करती है। श्रीमन्, विगत कांग्रेस शासन में उन गरीब भूमिहीन मजदूरों को या गरीब आदमियों को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए कानून में प्राविधान किया था कि जो रिटायर्ड मुन्सिफ है, रिटायर्ड जजेज हैं उनकी सेवायें लेने की व्यवस्था की जाये ताकि वह लोग जो पैसा नहीं दे सकते, बड़े वकीलों की सेवायें

---

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नहीं प्राप्त कर सकते या गलत लोगों के हाथ में फंस जाते हैं उनको सही कानूनी राय मिल सके। इसके लिए विगत कांग्रेस शासन में व्यवस्था की गयी थी। लेकिन जब से जनता पार्टी का शासन आया है, सब व्यवस्थायें रद्द कर दी गयी हैं। उनको बिल्कुल ही पीछे ढकेल दिया गया है। श्रीमन् यह, बड़े खेद की बात है। मान्यवर, इससे भी एक गम्भीर समस्या आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। हमारे जो न्यायालय हैं बड़े पवित्र न्याय के मन्दिर हैं लेकिन अफसोस की बात है कि जब से जनता पार्टी का शासन आया वह न्यायालय भ्रष्टाचार और राजनीति अखाड़े बन गये हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के मन्त्री हैं और जैसा कि परिहार साहब ने कहा पुराने पापी हैं।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैंने पुराने साथी कहा था, पापी नहीं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

मान्यवर, हर जिले के अन्दर ए० डी० जी० सी० की नियुक्तियां की गयी हैं वे सब जातिवाद के आधार पर और गलत तरीकों से की गयी हैं। मैं आगरे की एक बात कहता हूं। मन्त्री जी ने एक घटक विशेष के व्यक्तियों को वहां ए० डी० जी० सी० बनाया। उनकी शिकायतें आ रहीं हैं। उनकी कोई स्टैन्डिंग नहीं है। न्यायाधीश लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या आप आशा करते हैं कि ऐसे लोग न्याय उपलब्ध करा पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कौशल जी आप बिल तक सीमित रहें। यहां कोई अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा था कि सस्ता न्याय मिल सकेगा इसीलिये मैंने इन सब बातों का जिक्र किया। क्रिमिनल्स को, जिनके खिलाफ न्यायालय में इल्जाम है उनको ही जेल के विजिटर्स बना दिया। यह एक गम्भीर समस्या है। इन शब्दों के साथ हमारे माननीय वर्मा जी ने इस सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने की बात कही है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। श्रीमन्, इसमें तीन संशोधनों के विषय में बताया गया है। डाक्टर कौशल पता नहीं कैसे डाक्टर हैं और क्या निदान करते होंगे। जो डिग्री हो जाती है उसका एग्जीक्यूशन मुश्किल होता है एक तो उस सम्बन्ध में है। दूसरे जो २० हजार रुपये तक का रिवीजन है वह डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाय। तीसरे अभिवाचन के सत्यापन के सम्बन्ध में है। इन सब बातों को देखते हुए मेरा यह मत है कि यह बहुत ही जरूरी विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जिस बात का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, परोक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं था उस बात की चर्चा संशोधन रखने वाले माननीय सदस्य ने की है। जैसा कि हमने पहली बार कहा हमारा प्रयास है कि शीघ्र न्याय मिले इसलिए हमने सी० पी० सी० के ऊपर विचार करने के लिए एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उसने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं हमने सेन्टर के पास भेज दिया है। हम यह भी समझते हैं कि सी० पी० सी० का भी पूर्ण रूप से शुरू से अन्त तक रिव्यू करने की जरूरत है क्योंकि बार-बार मांग होती रही है कि हम संशोधन नहीं करते। इसलिए सर्व प्रथम हमने इसको लिया है और जो शेष डिटेल्स हैं जिससे शीघ्र न्याय मिल सके, उन पर हम आगे कानून का रूप तभी देगें जब कि एडवोकेट जनरल की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी है, उसके प्रस्ताव हमारे पास आयेंगे।

जहां तक गरीबों को कानूनी सहायता की बात है कि मुफ्त कानूनी सहायता उन्हें मिले तो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, वह आज भी चल रही है लेकिन उसका व्यावहारिक लाभ न पहले मिल रहा था न आज लाभ देने की सम्भावना है। इसके लिए सेन्टर ने एक उच्चाधिकार सम्पन्न कमेटी बनायी है कि किस प्रकार से गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सके। वे इस पर कि चाहे कितना भी पैसा लगे, ध्यान करके एक स्कीम बना रहे हैं। लुभाने वाली बात नहीं बल्कि सही अर्थों में कानूनी सहायता मिल सके, इस पर वे विचार कर रहे हैं। जैसे ही वह रिपोर्ट हमारे पास आयेगी, हम भी लागू कर देगें।

जहां तक संशोधनों का प्रश्न है उन पर तो कोई बोला नहीं है। इसलिए जो बात उन्होंने कहीं थी उनका मैंने जवाब दे दिया है। अतः अन्त में मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बिल को स्वीकार कर लें।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी न्याय एवं कारागार के मन्त्री हैं। दोनों से डर लगता है। इसलिये न मैं आरम्भ में बोला और न मैं चाहता हूं कि अन्त में बोलूं। लेकिन मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सिविल प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा ३९ में, उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्— अधिनियम संख्या ५, १९०८ की धारा ३९ का संशोधन

"(३) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय समझा जायगा, यदि ऐसे वाद की, जिसमें डिक्री पारित की गई हो, रकम या विषय वस्तु का मूल्य, डिक्री का अन्तरण करने के लिये आवेदन करते समय उसकी मामूली अधिकारिता की धन सम्बन्धी सीमा (यदि कोई हो) से अधिक न हो, भले ही उसे वाद पर विचारण करने की अन्यथा अधिकारिता न हो।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३, ४, ५, ६, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा। संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह १ अगस्त, १९७८ से प्रवृत्त समझा जायगा।

३—उक्त संहिता की धारा ११५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्— धारा ११५ का प्रतिस्थापन

"११५—उच्च न्यायालय बीस हजार रुपये और उससे अधिक मूल्य के मूलवादों या अन्य कार्यवाहियों से, जिनके अन्तर्गत १ अगस्त, १९७८ के पूर्व संस्थित ऐसे वाद या अन्य कार्यवाहियां भी हैं, उद्भूत होने वाले मामलों में, और जिला न्यायालय किसी अन्य मामले में, जिसके अन्तर्गत ऐसी तारीख के पूर्व संस्थित किसी मूल वाद या अन्य कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाला मामला भी है, किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा, जिसका विनिश्चय, यथास्थिति, ऐसे उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसकी कोई भी अपील उसमें नहीं होती, और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय में—

पुनरीक्षण

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो ऐसे निहित है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है, तो, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु जिला न्यायालय द्वारा विनिश्चत किसी मूल्य के मूल वादों या अन्य कार्यवाहियों से उद्भूत होने वाले मामलों के सम्बन्ध में केवल उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम होगा :

परन्तु यह और कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान दिये गए किसी आदेश में, जिसके अन्तर्गत किसी विवाद्यक को विनिश्चत करने का आदेश भी है, इस धारा के अधीन न तो फेरफार करेगा और न उसे उलटेगा, सिवाय उस आदेश के—

(i) जिसमें यदि फेरफार किया जाय या जिसे उलट दिया जाय तो वाद या अन्य कार्यवाही का अन्तिम रूप से निपटारा हो जायगा ; या

(ii) यदि रहने दिया जाय तो न्याय न हो पायेगा या उस पक्षकार को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था, अपूर्य क्षति होगी ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में, पद 'कोई मामला जिसका विनिश्चय किया गया' है, के अन्तर्गत वाद या

अन्य कार्यवाही के दौरान किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने का आदेश भी है।"

४---उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में, आदेश ६ में, प्रथम अनुनियम १५ में, उपनियम (१) में शब्द "संहिता की धारा १३९ के अधीन सशक्त किसी अधिकारी द्वारा दिलाये गये शपथ पर" के स्थान पर शब्द "उसके पाद भाग में" रख दिये जायेंगे। सूची के आदेश ६ का संशोधन

५---जहां ऐसे प्रकार की कार्यवाही, जिसमें जिला न्यायालय इस अधिनियम द्वारा यथा प्रति स्थापित उक्त संहिता की धारा ११५ के अधीन अभिलेख मांग सकता है और आदेश पारित कर सकता है, १ अगस्त, १९७८ के ठीक पूर्व---संकमण-कालीन उपबन्ध

(क) जिला न्यायालय में विचाराधीन थी, वहां ऐसा न्यायालय उसके निस्तारण की कार्यवाही करेगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ;

(ख) उच्च न्यायलय में विचाराधीन थी, वहां ऐसा न्यायालय उसके निस्तारण की कार्यवाही करेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १५ सन् १९७८ निरसन और अपवाद

६---(१) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, ५, ६, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ अगस्त, १९७८

विधान सभा सचिवालय

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४५ पर)

संलग्नक

रामकोला (खेतान) एवं छितौनी चीनी मिलों में ३१ मार्च, १९७८ तक हुए ब्रेकडाउन, उसके कारण तथा घाटा एवं उसके कारण :

सत्र ७७-७८ में गन्ना पेराई प्रारम्भ करने का दिनांक	ब्रेकडाउन की संख्या	ब्रेकडाउन का कारण	रिसीवर की नियुक्ति ३१ मार्च, १९७८ तक घाटा (लाख रुपयों में)	घाटे के कारण
१	२	३	४	५
		महेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया)		
१४ नवम्बर, १९७७	(१) २२/२३ नवम्बर, १९७७ की रात्रि में फर्स्ट डिसचार्ज रोलर टूट गया	ब्रेकडाउन का मुख्य कारण मिल की मशीनी का जर्जर एवं रुग्ण होना है अधिग्रहण के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में होने के कारण मिल की समुचित मरम्मत नहीं हो पाती है और आधुनिकीकरण तथा पुनर्वासन भी नहीं हो सका है। उपरोक्त ब्रेकडाउन से लगभग २ लाख रुपया की हानि इस वर्ष हुयी।	७६.४८	घाटे का कारण यह है कि चीनी मिल की मशीन अत्यन्त जर्जर और पुरानी है तथा उसकी पेराई क्षमता बहुत कम है। इसके अधिग्रहण के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा होने के कारण इस मिल का आधुनिकीकरण एवं पुनर्वासन भी नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में गन्ना मूल्य क्रयकर, श्रमिकों की मजदूरी तथा स्टोर के सामानों के मूल्य में अप्रत्याशित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
				बृद्धि हो गयी जिसके कारण उत्पादन लागत काफी बढ़ गयी एवं उसके अनुपात में चीनी का विक्रय मूल्य बहुत ही कम रहा। वर्ष १९७३ में गन्ने की फसल का पायरिला के कारण काफी क्षति हुयी थी।
	(२) १४ दिसम्बर, १९७७ को बेपरवाल्व २७ की बाडी टट गयी। (३) २८ फरवरी, १९७८ को अर्डमिल का रिडक्शन गियर साफ्ट टूट गया।			
		लक्ष्मीदेवी शुगर मिल्स, छितौनी (देवरिया)		
२६ नवम्बर, १९७७	इस मिल में २६ नवम्बर, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक कुल ११३ बार ब्रेकडाउन हुआ।	मिल में ब्रेकडाउन होने का मुख्य कारण मिल की मशीनरी का जीर्ण शीर्ण होना है। ब्रेकडाउन से मिल को लगभग ४ लाख रुपये की क्षति उठानी पड़ी।	मिल पर रिसीवर मई १९७७ में ही नियुक्त हुआ। वर्तमान पेराई सत्र अक्तूबर में समाप्त होगा एवं तभी बैलेन्सशीट को अन्तिम रूप दिया जावेगा। अतः सीजन में लाभ-हानि की धनराशि का बतलाना अभी सम्भव नहीं है।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४८ पर)

सूची

उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में जुलाई, १९७७ से १५ फरवरी, १९७८ तक की गयी नई नियुक्तियों का विवरण

क्र०सं०	पद नाम तथा वेतनमान	नियुक्त किये गये कर्मचारी का नाम तथा पता	जाति
१	२	३	४
१	टंकक लिपिक (रु० २००—३२०)	श्री सीता राम, ३४९/१०५, बड़ा बरहा आलमबाग, लखनऊ	चमार (अनुसूचित जाति)
२	तदेव	श्री कुशहर, ३८४/७३, सहादत-गंज पुराना चबूतरा, लखनऊ	तदेव
३	तदेव	श्री हरिनाम वर्मा पुत्र श्री बाबू लाल वर्मा, जयकृष्ण कामर्शियल कालेज, निशातगंज, लखनऊ	कुर्मी (पिछड़ी जाति)
४	तदेव	श्री श्रीराम पुत्र श्री परसादी, इन्दल भवन, लखनऊ	पासी (अनुसूचित जाति)
५	सहायक लेखाकार (रु० २५०-४२५)	श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री भगवती प्रसाद, निदेशालय उद्यान एवं फल उपयोग, उ०प्र०, लखनऊ	ब्राह्मण (सवर्ण)
६	तदेव	श्री रामकेश विश्वकर्मा द्वारा श्री जगमोहन ७५२, मियागंज, फैजाबाद	लोहार (पिछड़ी जाति)
७	जीप चालक (रु० १७५-२५०)	श्री मुहम्मद अजीज पुत्र श्री हबीब खां, रेलवे रोड, कासगंज, एटा	(सवर्ण) (मुसलमान)

१	२	३	४
८	जीप चालक (रु० १७५–२५०)	श्री जगदीश नारायण, ३३/१६०, कृषि डेरा नागेश्वर मन्दिर, लखनऊ	ब्राह्मण (सवर्ण)
९	ओवरसियर (रु० ३००–५००)	श्री जगदीश सिंह यादव पुत्र श्री देवी चरण सिंह यादव, ग्राम व पोस्ट मिर्जापुर, जिला गाजीपुर	यादव (पिछड़ी जाति)
१०	रिकर्डकीपर एवं डिस-पैचर (मुख्यालय) रानीखेत (रु० २००–३२०)	श्री गोपाल सिंह मेहरा पुत्र स्व० उमेद सिंह मेहरा, ग्राम एरोड़, पो० पन्तकोटली, जिला अल्मोड़ा	हिन्दू (राजपूत)
११	प्रयोगशाला परिचर (रु० १६५–२१५)	श्री जगन्नाथ प्रसाद पुत्र श्री बद्री प्रसाद, ग्राम व पो० अभारी बाजार, बस्ती	कुम्हार (पिछड़ी जाति)

मेरा पदुम विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

वर्ष १९७६

क्र०सं०	माह	रु०	योग	फर्मों का नाम जिनसे कोटेशन पर माल लिया गया
१	२	३	४	५
१	जनवरी, १९७६	७४·९१	९१५·९१	मै० उशामा, गोरखपुर ।
		१४३·५०		मे० बिन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		६९७·५०		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
२	फरवरी, १९७६	९९६·५०	८,२४१·६८	उशामा, गोरखपुर ।
		५,०९९·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		७७५·५०		बिन्दा मोटर्स, गोरखपुर ।
		१,३७०·६८		कार्मशियल आटो, देहली ।
३	मार्च, १९७६	२५५·००	१,३४०·००	बिन्दा मोटर्स, गोरखपुर ।
		१,०८५·००		बस मोटर्स, देहली ।
४	अप्रैल, १९७६	१,७८५·००	४,८०८·४०	बिन्दा मोटर्स, गोरखपुर ।
		८०८·४०		श्याम मोटर्स, कानपुर ।
		१६८·००		फ्रेन्ड्स आटो एजेन्सी, दिल्ली।
		२,०४७·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
५	मई, १९७६	३६०·००	६४४·८०	श्याम मोटर्स, कानपुर ।
		२८४·८०		कार्मशियल आटोस्टोर, देहली।
६	जून, १९७६	४८०·००	५,१६६·१५	श्याम मोटर्स, कानपुर ।
		४६५·६५		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		३,९६१·५०		बिन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		२५९·००		कार्मशियल आटोमोबाइल, गोरखपुर ।

१	२	३	४	५
७	जुलाई, १९७६	७९६·५०	१७,६७४·३२	विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		१,३६१·६८		उशामा, गोरखपुर ।
		१,१६५·००		फ्रेन्ड्स आटो एजेन्सी, देहली ।
		२,३४४·४९		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		११,५५६·६५		कामर्शियल आटोमोबाइल, गोरखपुर ।
		४५०·००		श्याम मोटर्स, कानपुर ।
८	अगस्त, १९७६	५,८५०·७०	८,९२०·७०	कामर्शियल, आटो, गोरखपुर ।
		३,०७०·००		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
९	सितम्बर, १९७६	८७८·६०	१,४५८·६०	विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		५८०·००		ओसिमा, गोरखपुर ।
१०	अक्टूबर, १९७६	८८३·५०	४,५००·३५	कामर्शियल आटोमोबाइल ।
		१,५१०·८५		कामर्शियल आटो स्टोर, देहली ।
		७५४·५०		राइटवे, दिल्ली ।
		५७०·००		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		७८१·५०		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
११	नवम्बर, १९७६	१५९·२०	७३५·२०	कामर्शियल, आटोमोबाइल ।
		५७६·००		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
१२	दिसम्बर, १९७६	१,०७९·००	५,७११·२०	कामर्शियल आटो स्टोर, देहली ।
		५८·४०		विन्द्रा वर्क, गोरखपुर ।
		१,९२०·००		राइटवे मोटर्स, देहली ।
		८००·००		कामर्शियल आटोमोबाइल, गोरखपुर ।
		१,८५३·८०		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।

१	२	३	४	५
		वर्ष १९७७		
१	जनवरी, १९७७	११,०३२·५५	१,२३९·०५	आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		६०·००		कामर्शियल आटो, गोरखपुर।
		२८०·००		विन्द्रा मोटर, गोरखपुर ।
		२६१·००		उशमा, गोरखपुर ।
		७५९·५०		टायर हाउस, गोरखपुर ।
२	फरवरी, १९७७	६०४·५०	२,११९·३१	राइटवे मोटर, देहली ।
		१,१७४·००		युनीवर्सल आटो ट्रेडर्स, देहली ।
		२३७·८०		माडर्न आटोमोटिव, देहली ।
		१०३·००		कामर्शियल आटो स्टोर्स, देहली ।
३	मार्च, १९७७	४४३·९५	५०६·४५	आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		६२·५०		कोहली आटो स्टोर्स, गोरखपुर ।
४	अप्रैल, १९७७	..	..	..
५	मई, १९७७	४२०·००	८,७०४·००	आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		८,२८४·००		हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
६	जून, १९७७	१,०६०·००	१,०६०·००	हरिहर आटोमोबाइल ।
७	जुलाई, १९७७	६,२४०·००	६,९३८·००	हरिहर आटोमोबाइल ।
		६९८·००		आनन्द मोटर एजेन्स ज ।
८	अगस्त, १९७७	९००·००	१,०८८·३०	श्याम मोटर, कानपुर ।
		१८८·३०		विन्द्रा मोटर, गोरखपुर ।
९	सितम्बर, १९७७	३,९७८·२०	१५,५२०·४५	विन्द्रा मोटर, गोरखपुर ।
		१,५४२·२५		हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।

१	२	३	४	५
१०	अक्तूबर, १९७७	६८·१०	९,०६४·८५	आनन्द मोटर एजेन्सी, लखनऊ ।
		२,५३२·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		१,६८५·००		कामर्शियल आटो स्टोर, देहली ।
		१,८२७·००		राइटवे, मोटर, देहली ।
		२,९५२·७५		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
११	नवम्बर, १९७७	९८०·००	७,२९५·५०	राइटवे मोटर, देहली ।
		५०७·३०		हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		४,७४५·७०		विन्द्रा मोटर, गोरखपुर ।
		१,०६२·५०		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
१२	दिसम्बर, १९७७	१३,३५४·६०	१४,४४६·३०	हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		७२५·९०		युनीवर्सल ट्रेनिंग कं०, देहली ।
		२९३·८०		फ्रेन्ड्स आटो देहली ।
		७२·००		आनन्द मोटर एजेन्सी, लखनऊ ।
		वर्ष १९७८		
१	जनवरी, १९७८	६,५३०.१२	१६,४८९·३२	हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		३२०·००		जनता आटो इन्डस्ट्रीज, देहली ।
		५,०८८·२०		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		४,५५१·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।

१	२	३	४	५
२	फरवरी, १९७८	८५४·६०	११,१०४·४५	फ्रेन्ड्स आटो एजेन्सी, देहली ।
		१,५८०·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		९६०·००		जनता आटो इंडस्ट्रीज, देहली ।
		६,०८५·६५		हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		१,०९०·००		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		५३४·२०		कामर्शियल, आटो स्टोर, देहली ।
३	मार्च, १९७८	५,६६९·५०	३४,२२३·८५	आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
		२६,५५६·९५		हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		७०८·००		विन्द्रा मोटर्स, गोरखपुर ।
		३४८·००		युनीवर्सल ट्रेडर्स, देहली ।
		५८१·४०		फ्रेन्ड्स आटो एजेन्सी, देहली ।
		३६०·००		जनता आटो इन्डस्ट्रीज, देहली ।
४	अप्रैल, १९७८	९०,९२१·००	१२,३००·७०	हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		२११·००		आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		५६९·७०		आनन्द मोटर्स एजेन्सी, लखनऊ ।
		५९९·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।
५	मई, १९७८	५४,०५४·३२	६०,५३६·७२	हरिहर आटोमोबाइल, लखनऊ ।
		२,१११·४०		प्रभात मोटर्स, कानपुर ।
		४,३७१·००		आटो ट्रेडर्स, गोरखपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५० पर)

मेरिट सूची (कनिष्ठ केन्द्र प्रभारी)

क्रम संख्या	रोल नम्बर	नाम
१	२	३
	सामान्य अभ्यर्थी	सर्वश्री
१	३४३३	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ।
२	३४९५	राजेन्द्र प्रताप सिंह ।
३	५३४०	वीरेन्द्र कुमार सारस्वत ।
४	५३४८	वीरेन्द्र प्रताप सिंह ।
५	१६८५	जय कान्त पुरवार ।
६	११२८	दिनेश चन्द्र लाल अस्थाना ।
७	१६२१	जगदीश सिंह ।
८	३४३०	राम मूर्ति वर्मा ।
९	०३३३	अभय कुमार ।
१०	३५८५	राकेश खरे ।
११	३७३३	राजेन्द्र प्रताप सिंह ।
१२	१०९५	धीरेन्द्र कुमार ।
१३	०४६७	अशोक कुमार सिंह ।
१४	२३६२	मुनव्वर हुसैन कुरेशी ।
१५	२९६८	पदम सिंह धाकरे ।
१६	४८०२	संत कुमार लाल ।
१७	५१२७	शिव कान्त तिवारी ।
१८	४७७४	शरद कुमार श्रीवास्तव ।
१९	१४२२	हरिश चन्द्र सक्सेना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३
२०	५४१७	वेद प्रकाश ।
२१	४२०९	सुरेन्द्र राय ।
२२	३४०९	राम बाबू तिवारी ।
२३	१६४८	जगदीश प्रसाद पान्डे ।
२४	०६३६	बुद्धि सागर गुप्ता ।
	पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी	
१	३२८१	राम जगत पाल ।
२	१३१२	गोविन्द स्वरूप ।
३	४६३८	सत्य नारायन ।
४	५३५०	विजय शंकर विश्वकर्मा ।
५	१२५६	ज्ञान वीर विक्रम सिंह ।
६	१०२६	दुर्गा प्रसाद यादव ।
	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	
१	५४२८	विद्याधर सिंह ।
	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	
१	३८५७	राम सनेही ।
२	५३०२	वेद राम पाल ।
३	३१८०	रतन लाल ।
४	३१७५	राम आसरे कुरील ।
५	३६९०	राम किशन ।
६	०५२३	भुइया दीन ।
७	३११६	राम वीर बहादुर ।
८	१७६६	जय राम ।
९	२१९२	लाल राम ।
१०	११२५	दिलीप कुमार वर्मा ।
११	००४१	अशोक कुमार ।

पी०एल०यू०पी०—७२ वि० सभा—२०—१—७६—८३५ (पी०डी०) ।